तृतीय माला, खंड 61, अंक 11 बुधवार, 16 नवम्बर, 1966/25 कार्तिक, 1888 (शक)

Third Series, Vol. LXI, No. 11 Wednesday, Nov. 16, 1966/Kartika 25, 1888 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary from Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/Contents

अंक 11—बुद्धवार 16 नवम्बर, 1966/25 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 11—Wednesday, November 16, 1966/Kartika 25, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
303.	शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी	Hindi as Medium of Instruction . .	1313—1316
304.	भारत उर्वरक निगम के लिए अमरीकी मशीनरी	US Machinery for Fertilizer Corporation of India . .	1316—1319
305.	नये उर्वरक कारखाने	New Fertilizer Plants	1319—1321
306.	नागा विद्रोही	Naga Hostiles	1322-1323
307.	औषधियां तथा रोगाणुनाशी पदार्थ	Drugs and Antibiotics .	1323—1327
309.	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी स्कूल	School of International Studies	1327—1331
310.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965 .	1331-1332

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
301.	हल्दिया में पेट्रोरसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex, Haldia	1332-1333
308.	मेसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी	M/s. Bennett Coleman & Co.	1333

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was ctually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
311.	महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी	Birth Centenary of Mahatma Gandhi .	1333–1334
312.	इंडिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन	India Office Library, London	1334
313.	गैर-सरकारी तेल कम्पनियां	Private Oil Companies	1335
314.	गोखले शताब्दी	Gokhale Centenary	1335
315.	आर्थिक (इकानामिक) 'पूल' का निर्माण	formation of an economic pool	1335
316.	दिल्ली के उप-राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां	Financial Powers of Lt. Governor of Delhi .	1336
317.	प्रत्येक राज्य में उर्वरक कारखाना तथा तेल शोधक कारखाना	Fertilizer Plant and Refinery in each State	1337
318.	भारतीय भाषाओं का विकास	Development of Indian Languages	1337
319.	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery	1337–1338
320.	गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं	Private Educational Institutions .	1338
321.	जयगुनपुरी में एक पुलिस शिविर पर मिजो विद्रोहियों द्वारा छापा	Raid by Mizo Hostiles on a Police Camp at Jaygunpuri	1339
322.	सीमा से भारतीयों का अपहरण	Kidnapping of Indians from Border	1339
323.	मजूरी ढांचा	Wage Structure	1340
324.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology	1340–1341
325.	काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास	Attempt of the Life of the Kashmir Chief Minister .	1341
326.	तरल पेट्रोलियम गैस का मूल्य	Price of Liquid Petroleum Gas . . .	1341–1342

ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
327.	तूतीकोरिन में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Tuticorin . .	1342
328.	फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Film Trade Employees	1342-43
329.	पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण तथा विपणन	Distribution and Marketing of Petroleum Products . .	1343
330.	मैसूर और केरल के बीच विवाद	Mysore Kerala dispute .	1343-1344

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1403.	केरल के मछुओं में साक्षरता	Literacy among Fishermen of Kerala .	1344
1404.	गंगाजली निधि न्यास	Gangajali Fund Trust . . .	1344-1345
1405.	औषध विक्रेताओं द्वारा मूल्य सूचियों का लटकाया जाना	Display of Price Lists by Chemists .	1345
1406.	त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स, लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम	Travancore Titanium Products Ltd., Trivandrum	1346
1407.	केरल का जनगणना विभाग	Census, Deptt. Kerala	1346
1408.	रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी	R. M. S. Employees	1347
1409.	महाराष्ट्र के पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन	Telephones in Panchayat Samiti Offices, Maharashtra	1347
1410.	विश्व अव्यावसायिक टीम गोल्फ चैम्पियनशिप	World Amateur Team Golf Championship .	1347-1348
1411.	नई डाक टिकटें	New Postal Stamps	
1412.	नेफा की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़ना	Climbing of [the Highest] Mountain Peak in NEFA	1348
1413.	डाक तथा तार विभाग के तार विभाग का पुनर्गठन	Re-organisation of Telegraph Arm of P. & T.	1349

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1414.	औषधियों का निर्माण तथा उनके बारे में अनुसंधान	Manufacture and Research of Drugs .	1349
1415.	सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों की सूची	List of Contactmen . .	1349-1350
1416.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली	Central Government Employees Consumers Cooperative Stores, New Delhi . .	1350
1417.	गुजरात उर्वरक कारखाना	Gujarat Fertilizer Factory .	1350—1351
1418.	दिल्ली में टेलीफोन	Telephone Connections in Delhi . .	1351
1419.	अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी	Hindi in Non-Hindi Speaking Areas . .	1351-1352
1420.	डाक तार विभाग में लेखा प्रणाली	Accounting System in P & T. Department .	1352
1421.	सस्ती पुस्तकों सम्बन्धी यूनेस्को परियोजना	UNESCO Project on Low prices Books	135
1422.	परीक्षाओं में सुधार	Examination Reforms .	1353
1423.	भारतीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी	Indian Administrative Academy, Mussorie .	1
1424.	अपराधों में वृद्धि	Upward Trend in Crime	1354
1425.	दुर्गापुर उर्वरक परियोजना	Durgapur Fertiilizer Project .	1354-1355
1426.	मद्रास रिफाइनरी	Madras Refinery	1355
1427.	स्कूलों में कृत्रिम संसद्	Mock Parliament in Schools	1355
1428.	पोलीटेक्नीक संस्थाएं	Polytechnics .	1355
1429.	हल्दिया तथा मद्रास में तेल शोधन परियोजनाएं	Refinery Projects at Haldia and Madras	1 357
1430.	मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ	Recognised Trade Unions	1357
1431.	विज्ञान तथा उद्योग का विकास	Growth of Science and Industry. . .	1357-1358
1432.	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from East Pakistan .	1358-1359

अता० प्र० संख्या
U.Q.Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1433. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल	Indian School of International Studies .	1359
1434. ब्रिटेन में भारतीय अध्यापक	Indian Teachers in U. K. . . .	1359-1360
1435. [ट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Petroleum Products . .	1360
1436. संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये यात्रा भत्ता देना	Grant of T·A. for Appearing in UPSC Interviews	1360
1437 अकोककर (नान कोकिंग) कोयले का [योग	Use of Non-coking Coal	1361
1438. विश्वविद्यालयों में एक रूप शिक्षण अवधि	Uniform Calendar of University Terms	1361
1439. बरौनी तेल शोधन कारखाना	Barauni Refinery	1361-1362
1440. आर्थिक विकास संस्था दिल्ली	Institute of Economic Growth, Delhi . .	1362
1441. अनुसूचित जातियों त ा अनुसूचित आदिम जातियों में बकारी की समस्या	Unemployment Problem among S.C. & S.T.	1363
1442. टेलीफोन के क्रासबार टेलीफोन उपकरण के बारे में प्रशिक्षण	Training in Cross bar Telephone Equipment for Telephones	1363—1364
1443. प टेल हाउस ह ा काण्ड	Patel House Murder Case	1364
1444. पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिये भमि का आवंटन	Allotment of Land to Persons Coming from Pakistan	1364-1365
1445.]तिलि याधिकार अभिसमय	Copyright Conventions	1365
1446. केन्द्रीय सरकारी कमचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली	C. G. E. Cooperative Stores Ltd. New Delhi	1365-66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
1447.	काश्मीर के एक ग्राम पर पाकिस्तानियों का धावा	Pak. Raid on Kashmir Village . . .	1366
1448.	नागालैण्ड और मनीपुर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees in Nagland and Manipur	1366–1367
1449.	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल	Indian School of International Studies .	1367
1450.	दिल्ली में शराब का अवैध रूप से तैयार किया जाना	Illicit Distilation of Liquor in Delhi . .	1367–1368
1451.	मद्य निषेध	Prohibition	1368
1452.	भविष्य निधि में अंशदान	Provident Fund Contributions . .	1368-1369
1453.	गोवा उर्वरक कारखाना	Goa Fertiliser Plant.	1369–1370
1454.	स्वामीनाथ विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल, अपकारा–पोन्नानी, पालघाट	Swaminath Vidyalaya Upper Primary School Apakara-Ponnani, Palghat . . .	1370–1371
1455.	उत्तर प्रदेश के उपकुलपतियों का सम्मेलन	Conference of U. P. Vice-Chancellors .	1371
1456.	प्रधान मंत्री की सभा में भगदड़ के बारे में जांच	Enquiry Regarding Stampede in P.M's' Meeting	1371
1457.	दिल्ली में चोरी की घटनायें	Theft Cases in Delhi . . .	1371-1372
1458.	कोचीन में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Cochin . . .	1372
1459.	चीनी उद्योग के लिये मजदरी बोर्ड	Wage Board for Sugar Industry . . .	1373
1460.	बिजली कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Electricity Workers . .	1373-1374
1461.	इन्टरनेशनल टेलीग्राफ आफिस	International Telegraph Office . . .	1374
1462.	तार इंजीनियरिंग तथा यातायात अधिकारियों के स्थानान्तरण	Transfers of Telegraph Engineering and Traffic Officers.	1374

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES.
1463.	इन्टरनेशनल टेलीग्राफ आफिस, नई दिल्ली	International Telegraph Office, New Delhi .	1375
1464.	केन्डुआडीह कोयला खान के खनिकों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Kenduadih Colliery Miners	1375
1465.	श्रम सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति	Implementation Labour Laws	1376
1466.	ऐलकोहल की मांग	Demand of Alcohol	1376-1377
1467.	पश्चिम बंगाल में बागान श्रमिक	Plantation Workers in West Bengal	1377
1468.	आप्रवासियों को भमि का आवंटन	Allotment of Land to immigrants	1378
1469.	खेमकरण सीमा पर पुलिस चौकियां	Border Police Posts on Khemkaran . .	1378-1379
1470.	मिजो विद्रोहियों द्वारा हत्या की धमकी	Murder Threat by Mizos .	1379
1471.	दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कलों के पुस्तकाध्यक्षों के वेतनक्रम	Pay scales of Librarians in aided Schools in Delhi	1379
1472.	शिक्षा मंत्रालय में सहायक	Assistants in the Ministry of Education .	1379-1380
1473.	आशलिपिकों तथा राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	Number of Stenographers and Gazetted Officers.	1380
1474.	उर्वरकों पर व्यय	Expenditure on Fertilizers . .	1380
1475.	रूस से तेल का आयात	Import of Oil from U.S.S.R. .	1381
1476.	शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Education Ministry . .	1381
1477.	रीजनल इंजीनियरी कालेज, कालीकट	Regional Engineering College, Calicut .	1381
1478.	केरल पोलिटेक्नीक इंस्टीटयूट	Kerala Polytechnic Institute . .	1381-1382
1479	सीमा पुलिस	Border Police	1382
1480.	देशबन्धु गुप्ता मार्केट में शरणार्थियों को दुकानों का दिया जाना	Allotment of shops to refugees in Deshbandhu Gupta Market	1382-1383

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1481.	देशबन्धु गुप्ता मार्केट में दुकानों का अलाटमेंट	Allotment of Shops in Deshbandhu Gupta Market.	1383
1482.	अगरतला में अत्याचार	Oppressive Conditions in Agartala .	1383-84
1483.	राजस्थान के न्यायालयों में मुकदमें	Cases in Rajasthan Courts . .	1384
1484.	मिज़ो नेशनल फ़्रण्ट के नेता	Mizo National Front Leaders. .	1384-1385
1485.	नागाओं द्वारा अपहरण	Kidnapping by Nagas	1385
1486.	दिल्ली के रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड इंजीनियर	Engineers Registered at Delhi Employment Exchange	1385-1386
1487.	मद्रास और कोचीन में इंडियन आयल क़ारपोरेशन के कर्मचारी	I.O.C. Staff at Madras and Cochin	1386
1488.	केरल में नय्यर बांध के निवासियों को भूमि	Land to Nayyar Dam Settlers in Kerala	1386
1489.	केरल बन्द के दौरान रजिस्टर किये गये मामले	Cases Registered during Kerala Bandh	1387
1490.	असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में हिन्दी	Hindi in Asstt. Grade Examination .	1387-1388
1491.	अभिभावक तथा शिक्षक परिषद् दिल्ली	Delhi Parents and Teachers' Council .	1388
1492.	कोयला उद्योग द्वारा लाभ सहभाजन बोनस भुगतान	Payment of Profit Sharing Bonus by Coal Industry	1388
1493.	विद्रोही मिजो लोगों से पकड़े गये हथियार	Arms captured from Mizo Hostiles .	1388-1389

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1494.	संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी	Hindi in U.P.S.C.	1389
1495.	शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान	Role of Panchyati Raj in Education .	1389
1496.	कृषि प्रधान शिक्षा	Agriculture Oriented Education .	1389–1390
1497.	इंजीनियरिंग कालेजों के लिए प्रोफेसर	Professors for Engineering Colleges .	1390
1498.	हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, केरल	Hindi Teachers' Training Colleges, Kerala .	1390
1499.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology .	1391
1500.	विशेष टिकट	Special Stamps	1391
1501.	दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spies in Delhi. .	1392
1502.	दिल्ली की सैन्ट्रल जेल	Central Jail, Delhi.	1392
1503.	शैक्षिक मेले	Educational Melas . . .	1392
1504.	सीता दिआरा गांव का बिहार से उत्तर प्रदेश में मिलाया जाना	Transfer of 'Sitah Diara' from Bihar to U. P.	1393
1505.	माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर दस्तकारी की शिक्षा	Craft Education at Secondary Level .	1393
1506.	स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चे	Primary School Age Group Children .	1393–1394
1507.	विद्यार्थियों की कुल संख्या	Total Students .	1394
1508.	श्रम न्यायालय की शक्तियां	Power of Labour Court	1394–1395

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1509.	प्रशासन सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	5
1510.	ढोलका में तेल के भंडार	Oil Structure at Dholka	1395
1511.	पहाड़ी राज्य मांग दिवस	Hill State Demands Day .	1395–1396
1512.	रामेश्वरम में छिद्रण कार्य	Drilling in Rameshwaram	1396
1513.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की आस्तियां	Assets of Indo-Burma Co. .	1396
1514.	उच्च न्यायालयों में द्वितीय दीवानी अपीलें	Civil Second Appeals in High Courts .	1396–1397
1515.	गोआनी देशभक्त	Goa Patriots . . .	1397
1516.	उत्तर प्रदेश में नैनीताल में विश्वविद्यालय	University in Nainital, U. P.	397–1398
1517.	उत्तर प्रदेश में शिक्षित] व्यक्तियों में बेरोजगारी	Educated Unemployment in U. P. .	1398
1518.	गाजीपुर का मुख्य डाकघर	Gazipur Head Post Office.	1398
1519.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	Compulsory Retirement . .	1398–1399
1520.	धनबाद न्यायाधिकरण के पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Dhanbad Tribunal Award	1399
1521.	कोयला खानों में श्रमिकों के अनुमोदित शिविर	Unapproved Labour Camps in Coal Mines	1399–1400
1522.	भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक भुगतान	Overpayment by I.O.C.	1400–1401
1523.	केन्द्रीय भर्ती संगठन प्रणाली	Central Recruiting Organisation System	1401
1524.	सेंट्रल जेल, दिल्ली	Central Jail, Delhi.	1401–1402
1525.	बोदरा में छिद्रण कार्य	Drilling at Bodra	1402
1526.	स्त्रियों के अनैतिक पण्य में लगे हुए लोगों का गिरोह	Gang Engaged in Trafficking of Women .	1402

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1527.	इंडियन आयल कारपोरेशन को देय बकाया राशि	Arrears due towards I.O.C.	1402-1403
1528.	लोक शिकायत आयुक्त	Commissioner for Public Grievances	1403-1404
1529.	नई दिल्ली की देशबन्धु गुप्ता मार्केट में दुकानें	Shops in Deshbandhu Gupta Market, New Delhi.	1404
1530.	गुरु गोविन्द सिंह के "दशम ग्रंथ" के श्लोक प्रकाशित करना	Publishing of Shlokas from Guru Govind Singh's Dasham Granth	1404
1531.	तंजौर के बृहदीश्वर मान्दर से मूर्तियों का चोरी हो जाना	Loss of Idols from Temple Brithadiswara, Tanjore.	1405
1532.	आगरा तथा दिल्ली में स्मारकों को देखने के लिये प्रवेश शुल्क	Entry fee for visit to Monuments in Agra and Delhi	1405-1406
1533.	हिन्दी में प्रपत्रों की छपाई	Printing of Forms in Hindi	1406
1534.	अध्यापकों के वेतन क्रम	Pay Scales of Teachers	1406
1535.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन आफिसर	Section Officers in the Central Secretariat Service	1407-1408
1536.	स्मृति टिकट	Communication Stamps	1408
1537.	बेबीसोर्ल कोयला खान	Babisole Colliery	1408
1538.	पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का नियतन	Allotment of land to Displaced Persons from Pakistan	1408-1409
1539.	पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का नियतन	Allotment of Land to D. Ps. from Pakistan	1409-1410
1540.	अवर सचिवों की तालिका	Panel for Under Secretaries	1410
1541.	राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी	Hindi in Devanagri Script as Official Language	141

U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT.	पृष्ठ/ PAGES
1542.	एशियाई इतिहास कांग्रेस	Asian History Congress	1411
1543.	सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के सचिव द्वारा विदेशों का दौरा	Visit to Foreign Countries by Secretary of Indian Council for Cultural Relation	1412
1544.	सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद्	Secretary Indian Council for Cultural Relations	1412-1413
1545.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव	Offer of Scholarships to Foreign Students by I.C.C.R.	1413
1546.	सिलचर प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज	Silchar Regional Engineering College .	1413-1414
1547.	मैसूर के लिये टेलीफोन	Telephones for Mysore .	1414
1548.	आसाम में घुसपैठिये	Infiltrators in Assam . .	1414-1415
1549.	पश्चिम बंगाल सीमा पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak. Infiltration on West Bengal Border	1415
1550.	नया नंगल उर्वरक कारखाने में हड़ताल	Strike in Naya Nangal Fertilizer Factory .	1415-1416
1551.	देशबन्धु गुप्ता मार्केट में दुकानों का नियतन	Allotment of Shops in Deshbandhu Gupta Market. . .	1416
1552.	नई दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में हड़ताल	Strike in I.T.I New Delhi .	1416-1417
1553.	बस्तर के लोगों के लिये तकनीकी प्रशिक्षण	Technical Training for People of Bastar	1417
1554.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाए	UPSC Examination	1417
1555.	मद्रास बन्दरगाह में तूफान	Cyclone in Madras Harbour	1418
1556.	पोस्टकार्ड लिफाफे डाक टिकट आदि	Post Stationery.	1418

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1419
दिल्ली में छात्रों की प्रस्तावित नेशनल मार्च	Proposed Students National March in Delhi	1419
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak	1419
श्री यशवन्तराव चह्वाण .	Shri Y. B. Chavan . .	1419
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query) .	1425
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	Papers Laid on the Table . .	1426
सदस्य की गिरफ्तारी .	Arrest of Member . . .	1427
(डा० राम मनोहर लोहिया)	(Dr. Ram Manohar Lohia) .	1427
राज्य सभा से संदेश . .	Message from Rajya Sabha . .	1428
पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) विधेयक	Police Forces (Restriction of Rights) Bill .	1429
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	As passed by Rajya Sabha .	1429
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	Committee on Private Members'-Bills and Resolutions	1429
अठानवेवां प्रतिवेदन .	Ninety-eighth Report	1429
प्रधान मंत्री की छिपे नागाओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के परिणाम के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Outcome of Prime Minister's Talk with Underground Naga Delegation	1429
श्री दिनेश सिंह .	Shri Dinesh Singh . .	1429
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Banaras Hindu University (Amendment) Bill	1430
अनुसूची, खंड 1 अधिनियमन सूत्र आदि	The Schedule, Clause 1 Enacting Formula etc.. . .	1430
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended . .	1430
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	1430
श्री रघुनाथ सिंह .	Shri Raghunath Singh	1431
श्री बालकृष्ण सिंह	Shri Bal Krishna Singh .	1434
श्री कृष्णपाल सिंह .	Suri Krishnapal Singh .	1435

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
श्री श्यामलाल सर्राफ .	Shri Sham Lal Saraf .	1435
श्री सरजू पाण्डेय . .	Shri Sarjoo Pandey . .	1435
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक	Jawaharlal Nehru University Bill	1436
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed b Raiya Sabha .	1436
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla .	1436
श्री हनुमन्तैया .	Shri Hanumanthaiya	1437
श्री कृष्णपाल सिंह .	Shri Krishnapal Singh	1440
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	1441
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheshwar Prasad .	1442
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey .	1444
श्री मुथिया . .	Shri Muthiah . .	1444
श्री विश्वनाथ पाण्डेय .	Shri Vishwanath Pandey .	1445
श्री प्रिय गुप्त . .	Shri Priya Gupta	1445
श्री शिव नारायण .	Shri Sheo Narain	1446
श्री प्रकाशवीर शास्त्री .	Shri Prakash Vir Shastri .	1446
श्री कन्डप्पन .	Shri S. Kandappan .	1447
श्री यशपाल सिंह .	Shri Yashpal Singh .	1448
खण्ड 2 से 27 तथा 1 .	Clauses 2 to 27 and 1] . .	1449
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended . . .	1450
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966–67 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1963–64	Demand for Supplementary Grant, 1966-67 and	1452
	Demands for Excess Grants, 1963-64 in respect of Railways .	1452
श्री स० का० पाटिल .	Shri S. K. Patil	1452
श्री हनुमन्तैया . .	Shri Hanumanthaiya	1453
श्री दीनेन भट्टाचार्य .	Shri Dinen Bhattacharya . .	1453
आगरा में आयकर अपीलों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion Re. Income Tax Appeals in Agra.	1453 1454
श्री श० ना० चतुर्वेदी	Shri S. N. Chaturvedi .	1454
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat .	1455

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 16 नवम्बर, 1966/25 कार्तिक, 1888 (शक)

Wednesday, November 16, 1966/Kartika 25, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleventh of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी

+

*303. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को शिक्षा तथा परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने में क्या प्रगति की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा तथा परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय ने हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं अपनाया है।

निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में दे सकते हैं :—

(1) हाई स्कूल परीक्षा,

(2) आर्ट्स और कॉमर्स (गणित-शास्त्र के अतिरिक्त) की विश्वविद्यालय-पूर्व परीक्षा,

(3) संस्कृत की बी० ए० परीक्षा,

(4) संस्कृत की एम० ए० परीक्षा,

(5) मुस्लिम धर्मशास्त्र ।

हिन्दी की सभी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र हिन्दी भाषा में ही पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर भी हिन्दी में दिये जाते हैं ।

2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

जुलाई, 1948 से अंग्रेज़ी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त (हिन्दी के अतिरिक्त) आई० ए०, आई० काम, आई० एस सी०, बो० ए०, बी० एड०, बी० कॉम बी० एस सी० (प्योर), ए० एम० एस० और एल एल० बी० परीक्षाओं में सभी विषयों में हिन्दी को शिक्षा के अतिरिक्त माध्यम के रूप में अपनाया गया था । 1950 से पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है । आर्ट्स और साइंस फैकल्टी की प्रवेश इंटरमीडियट और विश्वविद्यालय-पूर्व परीक्षाओं तथा बी० ए०, बी० एड०, एम-ए०, एम० एड०, बी० कॉम, बी० एससी० (प्योर) और विधि (लॉ) की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी अंग्रेज़ी एवम् प्राचीन और आधुनिक भारतीय भाषाओं (संस्कृत और हिन्दी के अतिरिक्त) सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिख सकते हैं ।

आयुर्वेद कालेज में शिक्षा और परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी है ।

3. दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रारम्भिक अवस्था में विश्वविद्यालय के आर्टस और सोशल साइन्स फैकल्टी की बी० ए० (पास), बी० ए० (ऑनर्स) के सहायक विषयों के और बी० कॉम तथा क्वालीफाईंग परीक्षाओं में अंग्रेज़ी, गणित शास्त्र और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमति दी गई थी । काफी वर्षों तक इस परीक्षण के पश्चात् विश्वविद्यालय ने ऐसे विषयों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधा दी जिनके बारे में विश्वविद्यालय को तसल्ली थी कि पुस्तकें उपलब्ध हैं और कालेजों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधायें थीं । पिछले वर्ष से बी० ए० (ऑनर्स) परीक्षा में इतिहास और संस्कृत में भी विद्यार्थियों को हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी गई थी ।

4. विश्व-भारती

विश्व-भारती ने शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को नहीं अपनाया है ।

Shri Bibhuti Mishra: It appears from the statement that although the Banaras Hindu University adopted Hindi as medium of instructions in 1948, no other University except Aligarh Muslim University and Delhi University have introduced Hindi even fifteen years after the constitution was framed. What action is being taken by Government to implement the provision in our constitution about Hindi by adopting it as medium of instructions at least in the Central Universities?

Shri Bhakt Darshan: I agree with this view of the hon. Member that it is the responsibility of the Union Government that Hindi should be adopted as medium of instructions especially in the Central University but our difficulty is that they are autonomous bodies. Of course, we invite their attention to it time and again. As regards Visva-Bharti question of adopting Hindi as medium of instructions does not arise as primarily Bengali is the medium.

Shri Bibhuti Mishra: Do they enjoy autonomy beyond our constitution? Autonomy is granted to institutions within the constitution. Have Government issued instructions to these universities that their autonomous status would be terminated, if they do not implement the provisions of the constitution?

Shri Bhakt Darshan: Sir, I agree with the hon. Member that the autonomy to our universities does not mean that they should act outside the constitution of the country. They should make attempts in that direction. As already mentioned in the statement, attempts in that direction are still continuing and we hope that there will be progress in that direction also.

श्री कंडप्पन : अहिन्दी-भाषी व्यक्तियों के साथ न्याय को ध्यान में रखते हुए जो इस देश में अधिक संख्या में हैं क्या सरकार सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम वाले विद्यालय स्थापित करने को तैयार है जैसे तमिलनाड में तमिल भाषा वाले, केरल में मलयालम भाषा वाले आदि ?

श्री भक्त दर्शन : शिक्षा आयोग की एक मुख्य सिफारिश इस विचार पर आधारित है और इस पर विचार किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

Shri Sidheshwar Prasad: Is it a fact that the Education Ministry proposes to set up a university in the South in Hyderabad or Bangalore, with Hindi as medium? Are Government considering the question of grant to give financial assistance to Hindi Mahavidyalaya, Hyderabad with this end in view; if so, the decision of Government on these two points?

Shri Bhakt Darshan: It was considered some years ago and the Ministry came to the conclusion that initially college with Hindi medium should be set up on a large scale and thereafter the question of setting up a university could be considered.

Shri Yashpal Singh: May I know the number of universities where candidates have to take M.A. (Sanskrit) examination with English medium? Will it not be advisable now that Hindi should be the medium for M.A. (Sanskrit) examination?

Shri Bhakt Darshan: Sir, this facility is there in all these four Central universities but I will have to gather information about other universities.

Shri M. L. Dwivedi: It is seen from the statement laid on the Table of the House that these four Central universities are pursuing divergent policy in the matter. Hindi medium has been adopted in particular in the Banaras Hindu University but it is not being done in other universities. When a time limit for 15 years was laid down in the constitution, what is the difficulty being experienced by the Ministry of Education in introducing Hindi in these universities and what are the reasons therefor?

Shri Bhakt Darshan: Sir, I will request the hon. member to go through the statement once more. There has been progress in this direction in the Delhi University and Aligarh Muslim University. I am satisfied with it, but I hope there will be satisfactory progress in this direction in future. Our attempt is to make steady progress.

भारत उर्वरक निगम के लिए अमरीकी मशीनरी

+

* 304. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइट्रो-फोसफेट संयंत्र के लिए भारत उर्वरक निगम को अमरीकी फर्म द्वारा भेजी गई मशीनरी अधिक दोषपूर्ण सिद्ध हुई;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की दृष्टि से इस मशीनरी की क्या कीमत थी;

(ग) क्या इस दोषपूर्ण मशीनरी को बिना कुछ दिये बदला जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) दोषपूर्ण मशीनों के आने के कारण निगम के उत्पादन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इक़बाल सिंह): (क) जी हां। कारखाने के नाइट्रो-फोसफेट एकक में मशीनें दोषपूर्ण पाई गई हैं।

(ख) नाइट्रो-फोसफेट एकक के लिए आयात की गई मशीनों का कुल मूल्य 39·76 लाख डालर है । मशीनों के दोषपूर्ण भाग का ठीक-ठीक मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अब तक लगभग 17,000 डालर के उपकरणों को बदला जा चुका है।

(ग) और (घ). जी हां, कितनी ही मशीनों को बिना कुछ लिए बदला जा चुका है। जिन मशीनों के बारे में दावा किया जा सकता है उनको बदलने पर भारतीय उर्वरक निगम जोर देगा।

(ङ) संयंत्र नवम्बर 1965 में चालू करने के लिए तैयार था। अभी तक निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। ठेकेदारों को संयंत्र के चालू होने से 13 महीने की अवधि में पूर्ण उत्पादन करने का समय दिया गया है ।

Shri M. L. Dwivedi: I wanted to know the extent to which the production schedule of the Corporation had suffered due to supply of defective machinery. The hon. Member has not answered this point. Was the defective machinery sent from U.S.A. or was it damaged in transit or was it damaged in fitting and assembling by the engineers?

श्री इकबाल सिंह : जब हमने संयंत्र चालू किया तो अनेक दोषों का पता लगा; कुछ स्थानों में पम्पों में खराबी थी ; कुछ में निर्माण सम्बन्धी खराबी भी थी ; कुछ में ले-आउट की ही खराबी थी और कुछ में घटिया दर्जे का माल भी दिया गया था। कुछ सामान बदल दिया गया है।

उत्पादन-कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ने की बात बाद में आयेगी ; करार के अन्तर्गत उन्हें संयंत्र के चालू होने से 13 महीने में पूर्ण उत्पादन आरम्भ करना होगा ; वह समय अभी पूरा नहीं हुआ और इस लिए हमने इसका अनुमान नहीं लगाया है और यदि लगाया भी हो, तो वह सूचना देना जन-हित में नहीं है ।

Shri M. L. Dwivedi: May I know whether the payment of the value of replacements would be made at the old rates or after taking into devaluation of the rupee?

श्री इकपाल सिंह : वे बिना कोई मूल्य लिए सामान बदल रहे हैं क्योंकि करार में ऐसी व्यवस्था है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या माल भेजने वाले स्थान पर अथवा सुपुर्दगी के समय अथवा निर्माण के समय कोई निरीक्षण किया गया था और यदि निर्माण के समय निरीक्षण किया गया था तो माल सप्लाई करने वाले की कितनी जिम्मेदारी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : अमरीकी कम्पनी 'कैमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन" को डिजाइन तैयार करने तथा यहां पर उपकरण आदि सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। हमने निरीक्षण का प्रबन्ध नहीं किया था क्योंकि सारी जिम्मेदारी इस अमरीकी कम्पनी की थी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस अमरीकी कम्पनी ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभाया क्योंकि संयंत्र का निर्माण करने पर हमें अनेक दोष पता लगे ; लेकिन करार के अन्तर्गत उन्हें इसे चालू करने के बाद तेरह महीने में परीक्षण चालन की गारन्टी देनी होगी। इसलिए उन्हें इतना समय दिया जा रहा है। इस बीच वे सभी दोषपूर्ण मशीनों को जिनका उन्होंने स्वयं पता पता लगाया है और दोषपूर्ण होना स्वीकार किया है, बदलने के प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh: Had the World Bank suggested that if machines were not purchased from U.S.A., the aid being given would be cut?

श्री अलगेसन : इसका डी० एल० एफ० के ऋण और ए० आई० डी० के ऋण से निर्माण किया गया था। ऋण की शर्त यह थी कि मशीनें अमरीका से खरीदनी होंगी।

श्री दे० द० पुरी : क्या करार में कोई व्यवस्था की गई थी कि संयंत्र के चलने में कोई खराबी होने पर निर्धारित मुआवजा देना होगा ?

श्री अलगेसन : मैं बता चुका हूं कि ठेकेदार को संयंत्र को निर्धारित क्षमता के अनुसार चलाने के लिए इसके चलाये जाने से तेरह महीने का समय मिलेगा । यदि वह ऐसा नहीं करता तब ही हमें कार्यवाही करनी होगी । मैं समझता हूं कि हम कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : उपमंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें उन के पास पड़ी फालतू पुरानी और बेकार मशीनें देना लगभग पूर्व आयोजित था और जिससे चह हानि हुई है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह यह कैसे कह सकती हैं कि यह पूर्व-आयोजित था ?

श्रीमती सावित्री निगम : हमें लाखों टन उर्वरक की हानि हुई है। इन खराब पुरानी मशीनों के कारण हमें उत्पादन में कितनी हानि हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका वह उत्तर दे चुके हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस ठेके पर हस्ताक्षर करने वाली किसी कम्पनी अथवा व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी डाल दी गई है जिससे यह ठेका इतना त्रुटिपूर्ण रहा कि हम इन मशीनों की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तेरह महीने का समय बाकी है जिसमें सप्लायर कमी को दूर कर सकता है या मशीनों को बदल सकता है। वह अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री काशी राम गुप्त : हमें नवीनतम मशीनों और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। क्या इस संयंत्र को आधुनिक और नवीनतम जानकारी के आधार पर बनाया गया था और यदि हां, तो क्या इसकी इस दृष्टि से जांच की गई थी ? यदि हां, तो इतने थोड़े से समय में कमियां कैसे हो सकती हैं ? क्या भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मशीनें खरीदते समय ऐसी बातें फिर न हों, सरकार कोई समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री अलगेसन : जो कमियां पता लगी हैं वे इसके निर्माण सम्बन्धी नहीं हैं बल्कि वे यांत्रिक और उपकरण सम्बन्धी कमियां हैं। जहां तक निर्माण के तरीके का सम्बन्ध है, वह बिल्कुल ठीक है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि रासायनिक संयंत्रों को अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन करने में कई महीने अथवा वर्ष तक लग जाते हैं। हम 6 या 9 महीनों में पूरा या कम से कम 75 प्रतिशत उत्पादन कर सकेंगे . . .

श्री रंगा : क्या सरकार ने यह योजना बनाते समय इन सब बातों पर विचार किया था ?

श्री अलगेशन : कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसके कार्य से संतुष्ट न हों। मैं ऐसा कह चुका हूं। हम समझते हैं कि इस कम्पनी ने हमारी बड़ी बदनामी कराई है। हमने यह बात उनको तथा 'एड' अधिकारियों को बता दी है। लेकिन ठेके के अन्तर्गत उनके पास समय है और हमें अभी इस बारे में प्रतीक्षा करनी है कि वे इसमें क्या सुधार कर सकते हैं।

श्री काशी राम गुप्त : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या यह नवीनतम जानकारी वाली एक आधुनिक मशीन है।

श्री अलगेसन : मैं शुरू में बता चूका हूं कि जहां तक निर्माण के तरीके का सम्बन्ध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तरीके अथवा जानकारी के पुराने होने का कोई प्रश्न नहीं है। ये सब ठीक हैं।

श्री रामनाथन चेट्टियार : जैसा समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है,क्या अमरीकी नियोजकों ने कुछ ऐसी असंभव शर्तें रखी हैं जो हमारी सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हैं ; यदि हां . . .

अध्यक्ष महोदय : इस संयंत्र के बारे में ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : जी, हां, हल्दिया के बारे में।

श्री इकबाल सिंह : यह हल्दिया नहीं, ट्राम्बे है।

नये उर्वरक कारखाने

*305. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर तथा कोचीन स्थित उर्वरक कारखानों के अतिरिक्त चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में दो और उर्वरक कारखाने स्थापित करने के नये सरकारी प्रस्ताव को कार्यरूप देने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इन नई परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा जुटाने की व्यवस्था कर ली गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भारतीय उर्वरक निगम ने, जिनको बरौनी में एक उर्वरक कारखाना लगाने और नामरूप में उर्वरक कारखाने का विस्तार करने के बारे में तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया था, अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। इन योजनाओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा जुटाने की व्यवस्था अभी नहीं की जा सकती।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नये संयंत्र लगाने की बात सोचने से पूर्व, जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है, क्या इस बारे में अनुमान लगा लिया गया है कि हमारी उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता (क) मौजूदा कारखानों का विस्तार करके (ख) उन कारखानों द्वारा जो निर्माणाधीन हैं और जो शीघ्र चालू हो जायेंगे और (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उन नये कारखानों द्वारा जिनके बारे में बातचीत काफी आगे पहुंच गयी है, किस हद तक पूरी हो सकेगी ; यदि हां, तो इस जांच-पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : कई ठोस प्रस्ताव हैं और कई परियोजनायें हैं जो निर्माणाधीन हैं और जो बहुत शीघ्र चौथी और पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में चालू होंगी। हम ट्राम्बे और नामरूप में विस्तार करने की बात सोच रहे हैं, हम बरौनी में एक नया कारखाना लगाने और गुजरात में कारखाने का विस्तार करने की बात सोच रहे हैं। इस प्रकार कारखानों का विस्तार करके और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में नये कारखाने लगा कर हम चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 21 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार नीवेली के घटिया किस्म के कोयले से उर्वरक बनाने के लिये एक नया संयंत्र स्थापित करने के किसी नये प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो वह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

श्री अलगेसन : नीवेली कारपोरेशन का एक उर्वरक कारखाना है जिसमें 'लिग्नाइट गैसीफिकेशन' तरीके से यूरिया बनाया जाता है। इसमें इस वर्ष के आरम्भ में उत्पादन शुरू हुआ था।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि सरकार को विश्व बैंक में एक यह नई मांग भेजी है कि या तो वह गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग के विकास के लिये विदेशी पूंजी आमंत्रित करने के सुझाव को स्वीकार करे अन्यथा अर्थ-व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये सहायता लेना बन्द कर दे ? क्या यह सच है कि उर्वरक उद्योग के बारे में विश्व बैंक से ऐसा दबाव पड़ा है और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अलगेसन : इस बारे में कल के समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था । ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई । विश्व बैंक ने भारत में उर्वरक कारखानों में पूंजी लगाने के लिये एक सार्थ-संघ बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है । इस बारे में वित्त मंत्री के साथ, जब वह वाशिंगटन गये थे, बातचीत की गई थी । वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमें पुराने सार्थ-संघ अर्थात् "बैक्टल का अनुभव है और उन शर्तों को मानना कैसे संभव नहीं है । विश्व बैंक ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि जब तक हम नये सार्थ-संघ प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, कोई धन नहीं दिया जायेगा । ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से कोई उर्वरक कारखाना नहीं चल रहा है ; गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव था । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में कारखाना नहीं लगाया जा सकता तो क्या सरकार राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित कर सकेगी ?

श्री इकबाल सिंह : हनुमानगढ़ में एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया था और इसको बाद में कोटा के लिये बदल दिया गया और अब इस पार्टी को लाइसेंस समाप्त करने के बारे में नोटिस दिया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye: In the fertiliser factory set up at Madras with foreign assistance, the investment by India is larger but even then we were not given the post of the Managing Director there. An American was appointed to that post. I want an assurance from the hon. Minister as to what steps are being taken to keep their control in future over such factories?

Mr. Speaker: What they are going to do, this assurance cannot be given.

श्री अलगेसन : इस प्रश्न पर सभा में प्रश्न-काल में और कई बार काफी चर्चा हुई थी । इस पर मैंने एक वक्तव्य भी दिया था । इस पर कई तरह से नियंत्रण रखा जाता है । ऐसा नहीं है कि यदि हम विदेशी सहयोगियों को प्रबन्ध-अधिकार सौंप देते हैं, तो वे हमसे परामर्श किये बिना हमारी इच्छा के कुछ कर सकें । यदि कोई विवाद उठता है तो उसको सुलझाने के भी तरीके हैं । करार में इसकी व्यवस्था की गई है । इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि हमारे पास वह तकनीकी जानकारी नहीं है । यदि हम परिस्थिति वश विदेशी सहयोगियों को इस समय या कुछ वर्षों के लिये प्रबन्ध-अधिकार सौंप देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वे अपनी मर्जी से कुछ कर सकें ।

Shri Braj Behari Mehrotra: Is it contemplated to set up a fertiliser plant at Singarauli where coal-mines have been found?

Shri Iqbal Singh: There is no such proposal.

श्री काशी राम गुप्त : नैफ्था तरीका एक नवीनतम तरीका है और उर्वरकों के लिये काफी धन, विदेशी मुद्रा और जानकारी की आवश्कता है । क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस देशमें मल संबंधी

नवीनतम प्रयोग सफलतापूर्वक किये गये और पता लगा कि इससे भूमि को कोई हानि नहीं पहुंचती और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पर बराबर जोर डाला जाये और सरकारी फर्मों को खाद के तौर पर मल का प्रयोग करने के बारे में बड़े पैमाने पर प्रयोग करने को कहा जाये ताकि उर्वरकों की कमी पूरी की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री काशी राम गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आधुनिक उर्वरक कारखानों के लिये काफी धन और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर भी विचार किया जायेगा और कमी को पूरा किया जायेगा ।

श्री अलगेसन : यह एक सुझाव है जिस पर खाद्य तथा कृषि मंत्री ध्यान देंगे ।

डा० कर्णी सिंहजी : दस वर्ष पहले भारत सरकार ने राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक उर्वरक कारखाना लगाने के प्रश्न की जांच करने के लिये श्री बी० सी० मुकर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था । इस बात को देखते हुए भी कि इस आयोग ने इस कारखाने के लगाने के बारे में रिपोर्ट दे दी और फिर भी यह क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री इकबाल सिंह : मैंने बताया था कि हनुमानगढ़ में एक उर्वरक कारखाना लगाने के बारे में एक पार्टी को लाइसेंस दिया गया था । फिर वह लाइसेंस कोटा के लिये कर दिया गया । इस पार्टी ने अभी कारखाना नहीं लगाया है । अब इस पार्टी को लाइसेंस समाप्त करने के लिये नोटिस दिया गया है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : सरकार को नामरूप उर्वरक कारखाने के कब पूरा हो जाने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बात बात पर सभी स्थानों पर उर्वरक कारखानों के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : यह कारखाना चालू नहीं हुआ है । मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कब चालू होगा और इस कारखाने को चालू करने में जो विलम्ब हो रहा है उसके क्या कारण हैं ।

श्री इकाबाल सिंह : यह अगले वर्ष अगस्त में चालू होगा ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : देश में, विशेषत: गुजरात राज्य में, अमरीकी सहकारी समितियों के सहयोग से सहकारी उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नागा विद्रोही

+

*306. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 सितम्बर, 1966 को नागा विद्रोहियों के एक बड़े दल द्वारा उखरूल में उखरूल-चासद रोड पर माकू स्थान पर मनीपुर राइफल के एकदल पर घात लगाने के फलस्वरूप मनीपुर राइफल्स के कुछ सिपाही मारे गये और बहुत से घायल हुए ;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 17 सितम्बर, 1966 को नागा विद्रोहियों के एक दल ने माकू के निकट मनीपुर राइफल्स के एक दल को घेर लिया । कुछ लोग हताहत हुए ।

(ख) मनीपुर राइफल्स के दो व्यक्ति मारे गये और तीन आहत हुए ।

(ग) सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ किया गया है ।

Shri Vishwanath Pandey: This incident did not take place only on that date. In Ukhrul and other surrounding areas Naga rebels attacked on Manipur Rifles several times. They burnt several places and damaged them. The security arrangements made by Manipur Rifles there is inadequate Do the Government contemplate to declare this area as Military zone and want to entrust the security work there to the Military.

Shri Vidya Charan Shukla: There is no such proposal.

Shri Vishwa Nath Pandey: The marks which are found on the arms used for ambushing Manipur Rifles men show that they were manufactured in Pakistan, America and China. What is the reaction of Government to this?

Shri Vidya Charan Shukla: It has been replied to several times on the floor of this House. We are taking steps to stop such incidents.

Shri Yashpal Singh: Are the people of that area helping thos eNaga rebels or are our security measures inadequate?

Shri Vidya Charan Shukla: The people there are with the Government and that is why people there are becoming desperate day-by-day.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In view of the recurrence of such incidents there for several years, I want to know whether our Police Department is unable to check them. Why the security measures there are not entrusted to the army? What is the difficulty in it?

Shri Vidya Charan Shukla: It is wrong to say that Police Department is unable to handle the situation. They are doing their best. The situation there is very difficult but they are doing their best.

श्री नि० रं० लास्कर : क्या यह सच है कि नागा विद्रोही ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे मनीपुर में अगले आम चुनाव न हो सकें ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये छुटपुट घटनायें हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि मनीपुर के लगभग तीन सब-डिवीजन नागा विद्रोहियों के कब्जे में हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह सच नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : एक ओर तो छिपे नागा इस समस्या के राजनीतिक समाधान के लिये प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी ओर नागा विद्रोही मनीपुर के उन क्षेत्रों में अपनी हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं जहां युद्ध-विराम समझौता होने से पूर्व शान्ति थी। क्या मैं जान सकता हूं कि (क) क्या सरकार ने मनीपुर में नागा विद्रोहियों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार ने वहां आम चुनाव शान्ति से निपटाने के लिये कोई कार्यवाही की है क्योंकि नागा विद्रोही ऐसा नहीं होने देना चाहते ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह सभी को पता है कि नागा विद्रोहयों में भी एकता नहीं है । उनमें भी कई गुट हैं । कुछ कार्यवाही किये जाने का समर्थन करते हैं और कुछ समर्थन नहीं करते । जहां तक लोगों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, पर्याप्त व्यवस्था की गई है और हमें स्थानीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है । सुरक्षा दलों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिलने से नागा विद्रोहियों के कुछ दल धीरे धीरे निरुत्साहित होते जा रहे हैं और उन्होंने हिंसक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं । हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां आम चुनाव हों ।

श्री हेम बरुआ : जो कुछ उपमन्त्री महोदय ने यहां कहा है, उससे मनीपुर के मुख्य मन्त्री सहमत नहीं हैं ? उनका कहना है कि नागा विद्रोही मनीपुर राज्य के कुछ क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और वे यह चाहते हैं कि चुनाव न हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुख्य मन्त्री उनकी बात से सहमत नहीं हैं, तो मैं क्या करूं ।

श्री हेम बरुआ : यह हमारे लिये चेतावनी है ।

श्री त्यागी : जब सरकार इस घटना को भारत सरकार और नागा विद्रोहियों के साथ किये गये कथित युद्ध-विराम अथवा शान्ति समझौते का उल्लंघन समझेगी, तब ठीक रहेगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां । हम ऐसा करते हैं ।

औषधियां तथा रोगाणुनाशी पदार्थ

*307. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में औषधियों तथा रोगाणुनाशी पदार्थों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अवमूल्यन के पश्चात् उन के मूल्य बढ़ गये हैं ; और

(ग) औषधियों तथा रोगाणुनाशी पदार्थों के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) खपत की मात्रा, भारत सरकार द्वारा चलाये गये स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा रासायनिक उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । इन लक्ष्यों पर आधारित देश में इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है तथा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक औषधियों जिनमें रोगाणुनाशी पदार्थ भी शामिल हैं, का उत्पादन इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है में भी आरम्भ किया जा रहा है । आशा की जाती है कि इस कम्पनी के दो एकक—एन्टीबायोटिक्स प्रोजैक्ट, ऋषिकेश तथा सिन्थैटिक ड्रग्ज प्रोजेक्ट, वर्ष 1966 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ कर देंगे । उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिये हर कार्यवाही की जा रही है । इन एककों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी में, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम है, अत्यावश्यक औषधियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) अवमूल्यन के पश्चात् औषधियों के मूल्यों में कोई सामा य वृद्धि नहीं हुई है । औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत औषधियों के मूल्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बढ़ाये जा सकते ।

(ग) यह अनुमान लगाया ज ता है कि जब सरकारी क्षेत्र के सद एकक पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अधिकतर अत्यावश्यक औषधियों में देश लगभग आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : विवरण में कहा गया है "क्रियान्विति के लिये उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।" मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या आयात को कम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री इकबाल सिंह : आयात पहले ही बहुत हद तक कम कर दिया गया है । वर्ष 1962-63 में आयात की लागत 11 करोड़ रुपये थी और अब घट कर यह 6 करोड़ रुपये रह गई है । अतः देसी उत्पादन बढ़ रहा है और आयात में कमी की जा रही है ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या ऋषिकेश तथा हैदराबाद की दो परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो गया है ? इनमें कितनी पूंजी लगाई गई है तथा उत्पादन आरम्भ होने में हुई अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं ?

श्री इकबाल सिंह : प्रारम्भिक अवस्था में इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में कुछ विलम्ब हो गया था । अब इन में अगले मास तथा जनवरी के आरम्भ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि बहुत सी अत्यावश्यक औषधियां उपलब्ध नहीं हैं, जबकि अन्य आयातित औषधियां बहुतायत में अर्थात् आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं? वर्ष 1966 में इन तीन कारखानों में उत्पादन आरम्भ होने के बाद क्या स्थिति होगी ? हमारी कितनी प्रतिशत आवश्यकतायें इन से पूरी हो जायेंगी ?

श्री इकबाल सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं गत वर्ष हमारा कुल उत्पादन 150 करोड़ रुपये का हुआ था तथा हमारा आयात केवल 6 करोड रुपये का था। जब हमारे दो कारखानों में उत्पादन आरम्भ होगा तो आयात में और गिरावट आयेगी ।

Shri Vishwa Nath Pandey: Medicinal plants and herbs are in abundance in India and very useful medicines can be produced from them. I want to know whether Government propose to establish a factory for producing drugs and antibiotics of indigenous system from these medicinal plants and herbs.

Shri Iqbal Singh: Medicines of indigenous system are produced by private parties. We are giving them as much help and facilities as they require. But Government is not going to establish any such factory in public sector.

श्री काशी राम गुप्त : हमारा औषध तथा रोगाणुनाशी पदार्थ उद्योग अनुसंधान-प्रधान होना चाहिए और अनुसंधान कार्य केवल सरकारी क्षेत्र के कारखानों, सरकारी संस्थान तथा उन भारतीय कम्पनियों में संभव है जो विदेशी सहयोग से चलाई जा रही हैं । क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निश्चित नीति बनाई है कि भविष्य में केवल उन्ही विदेशों फर्मों को सहयोग की अनुमति दी जायेगी, जिन के उद्योग अनुसंधान प्रधान होंगे अन्यथा नहीं ? क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों तथा सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्य आरम्भ कर दिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : पिम्परी स्थित हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में एक बहुत अच्छी अनुसंधान शाखा है । इस ने बहुत अच्छा कार्य किया है और कई नई दवाईयों का आविष्कार किया हैं जैसे हेमीसिन, एन्टीयामोबिन, स्ट्रीपटोसाइक्लीन तथा एयिरोफ्यूगीन, जो कि बहुत उपयोगी कीटनाशक पदार्थ है । विदेशी कम्पनियां भी इन अविष्कारों की ओर आकृष्ट हुई हैं, तथा उन्होने पैटेन्टस लिये हैं, जिस से वे इन्हें बेच सकेंगी और हमें रायलटी प्राप्त होगी इसलिये हमने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि उचित अनुसंधान किया जाये । एक अथवा दो गैर-सरकारी संस्थान भी ऐसे हैं जो औषधी संबंधी अनुसंधान कार्य करते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : मंत्री महोदय ने गलत उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय मुझे लिखकर दे सकते हैं कि यह उत्तर गलत है । मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा । परन्तु इस समय मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि यह उत्तर गलत है अथवा सही ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मूल अथवा मौलिक अनुसंधान के कार्य में, जोकि रोगाणुनाशक पदार्थ तथा अन्य जीवनदायक एवं महत्वपूर्ण औषधियां बनाने के कार्य में प्रगति करने के लिये बहुत आवश्यक है कितनी प्रगति हुई है ?

श्री अलगेसन : शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान मूल अनुसंधान का कार्य कर रहा है ।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण के भाग (ख) में कहा गया है :—

"औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत औषधियों के मूल्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बढ़ाये जा सकते"

क्या सरकार यह नहीं समझती कि इस आदेश का पालन कम और उ लंघन अधिक किया जाता है ? क्या यह सच नहीं है कि इस आदेश के होते हुए भी देश के विभिन्न भागों में औषधियों के दाम बढ़ गये हैं ? यह सुनिश्चित करने के लिये कि औषधियों के दाम न बढ़ें सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

श्री अलगेसन : माननीय सदस्य की धारणा निराधार है । वास्तविकता तो यह है कि जब हर क्षेत्र में वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं, औषधियों तथा दवाइयों के दाम उसी स्तर पर हैं, जिस पर वर्ष 1963 में थे । अधिकतर औषधियों के दाम नहीं बढ़ाये गये हैं औरप् उन्हें स्तर से नीचे ही रखा गया है यद्यपि उद्योग दाम बढ़ाने के लिये जोर डाल रहे हैं और उन का कहना है कि अन्य सब उद्योगों के उत्पादों के दाम बढ़ गये हैं तथा उनके लिये आवश्यक कच्चे माल के दाम भी बढ़ गये हैं । औषधियों तथा दवाइयों के दाम लगभग वही हैं जो वर्ष 1963 में थे । जहां तक नई दवाईयों का सम्बन्ध है उन के बारे में जब निर्णय किया जाता है , तब उनके लिये लाईसेंस की मांग की जाती है ।

डा० कर्णी सिंहजी : क्या रोगाणुनाशी पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त नियंत्रण किया गया है और क्या इस के परिणामस्वरुप अलर्जी हो जाने के मामलों में कमी आई है ?

श्री अलगेसन : मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ है । किस्म नियंत्रण के पर्याप्त प्रबन्ध हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : विवरण में बताया गया है कि औषधियों की आयात लागत घट कर 6 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रह गई है । परन्तु क्या भारत में चल रही विदेशी फर्मों को दी जाने वाली राशि का भी हिसाब लगा लिया गया है ? क्या उन पर कोई रोक लगाई गई है ? क्या ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया गया है जिससे इस राशि का दिया जाना समाप्त कर दिया जायेगा तथा हमारे सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण कारखानों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा, ताकि हम आत्मनिर्भर हो जायें ?

श्री अलगेसन : जी हां, आधा दर्जन फर्में ऐसी हैं, जिन में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी हुई है और वे अपने लाभों को विदेशों में भेजती हैं, जिस से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है । परन्तु जिस किसी फर्म में विदेशी पूंजी 60 प्रतिशत से अधिक लगी हुई है, चाहे वह 80 प्रतिशत हो अथवा 100 प्रतिशत, हम उस फर्म पर जोर डालते हैं कि विदेशी पूंजी की मात्रा को 60 प्रतिशत से नीचे लाया जाय । बहुत से मामलों में हम सफल हुए हैं । इस तरह से हम धीरे-धीरे विदेशी पूंजी के बाहर जाने को कम कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh: Have Government ever considered the reasons as to why we could not achieve any substantial results even after spending crores of rupees? I think our failure is due to the fact that this department has been entrusted in non-technical hand and while it should have been entrusted to those who have studied medicine, it have been entrusted in the hands of engineers. In my opinion entrusting this department in the hands of engineers is like entrusting the work of Parliament in the hands of wrestlers or entrusting the work of the Supreme Court into the hands of doctors. So I suggest that this department should be taken away from the hands of the engineers and it should be handed over to doctors. Then alone we will be able to achieve some substantial results?

श्री अलगेसन : शायद वह समझते हैं कि औषधियों तथा दवाईयों का निर्माण गैर-तकनीकी व्यक्तियों को सौंपा गया है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन औषधियों के निर्माण का कार्य बहुत ही दक्ष तकनीकी व्यक्तियों को सौंपा गया है ।

प्रश्न संख्या 309 के बारे में

Re. Q. 309

श्री खाडिलकर : इस प्रश्न की ग्राहता के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यह प्रश्न कार्यसूची में दर्ज किया जा चुका है ।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी स्कूल

+

*309. **श्री स० चं० सामंत :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संबंधी भारतीय स्कूल में विद्यार्थियों को हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में शोध कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती और उन पर विभिन्न प्रकार की पाबन्दिया लगाई जाती हैं ;

(ख) क्या स्कूल द्वारा अब भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि जिस भाषा में शोध सामग्री उपलब्ध न होगी, उस भाषा में शौध की अनुमति नहीं दी जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि उस विशेष भाषा का शोध शिक्षक स्कूल में न हो, तो विद्यार्थी को उसकी पसन्द की भाषा में शोध कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है ; और

(घ) क्या यह संस्था अपने को समय की आवश्यकताओं के अनुरुप ढालने को तैयार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). स्कूल की अकादमी-परिषद यह निर्णय पहले ही कर चकी है कि स्कूल में शिक्षा, परीक्षा तथा अनुसन्धान का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी । फिर भी अनुसंधान अध्ययन बोर्ड स्वविवेक से अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में थीसिस लिखने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को अनुमति दे सकता है, बशर्तेकि थीसिस की भाषा में थीसिस की जांच करने के लिए सक्षम अधीक्षक और परीक्षक मिल जाएं ।

स्कूल के अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के सामने उक्त निर्णय के अनुसार किसी अनुरोध पर विचार करने के लिए अभी तक ऐसा कोई मामला नही आया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि उस संस्था के एक परीक्षार्थी ने प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी में लिखे थे, तथा उसके मामले पर अभी तक विचार नहीं किया गया है और उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है ? यदि हिन्दी में प्रश्न पत्रों का उत्तर देना नियम विरुद्ध नहीं माना जाता, तो उसका परिणाम प्रकाशित किये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री भक्त दर्शन : जैसा कि मैं ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है, ऐसा कोई मामला बोर्ड के नोटिस में नहीं आया है। यदि हमारे सामने ऐसा कोई मामला आयेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि कल अथवा परसों इस संस्थान द्वारा सप्रू हाउस में एक गोष्ठी का अयोजन किया गया था और इस संस्थान के एक विद्यार्थी को इसलिये निकाल दिया गया क्योंकि वह गोष्ठी में हिन्दी में बोला था ?

श्री भक्त दर्शन : मुझे इस की कोई जानकारी नहीं, है, परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे लिखेंगे तो मैं जांच करूंगा।

Shri M. L. Dwivedi: Despite the assurances given by the Ministry many a time that students can do research work in Indian languages, whenever any students do research work in a Indian language they are given ill treatment and they are not liked. Whenever any information is asked from the Ministry in this regard, the answer is given that they have no information. It is said that if the Members would write to them, they would conduct enquiries. I want to know when the notice of the question was given more than a month ago, why is that they have no information. I know when that student was turned out, he was told by his professor that go and complaint against us to the Parliament, to the Members of Parliament and to the Government and they can do no harm to us. I want to know by what time the Ministry will decide to provide guides for the Indian languages incorporated in the constitution, so that the students may not face difficulties in taking examinations in these languages?

Shri Bhakt Darshan: This question can be divided in two portions.

Mr. Speaker: Last portion may be replied.

Shri Bhakt Darshan: The answer to last portion is that if any student has been turned out his case will be investigated.

Mr. Speaker: He has asked about the time by which Government will take a decision.

Shri Bhakt Darshan: I have stated in reply to the main question that whenever students will make such requests, full facilities will be given to them. No such case has so far been brought before the Commission.

श्री प्र० चं० बरुआ : सर्वश्री सामन्त तथा द्विवेदी की बात का समर्थन करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संबंधी संस्था में सरकार कब तक हिन्दी आरम्भ कर सकेगी ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस संबंध में मैं अपने मूल उत्तर को दौहराने के अतिरिक्त यह सुविधा पहले ही दी हुई है और कुछ नहीं कह सकता।

Shri Madhu Limaye: I have got a note from an officer of the Indian School of International Studies. The name of the student about whom this discussion is going on is Ved Prakash Vedic. The said officer has stated in his note:

> "अंग्रेजी अनुवाद अपेक्षित है। जब तक आप उसे नहीं भेजेंगे, मैं आप के पत्र का मूल्यांकन नहीं कर सकता। यदि आप चाहें, तो इस मामले को निदेशक के पास भेज सकते हैं।"

Then if any student writes his name in the attendance register in Dev Nagri script, his name is cut off. If he again corrects his name, the officer concerned writes that:

"उन्हें बता दो कि रजिस्टर स्कूल का अधिकृत दस्तावेज है तथा इसमें हेर फेर करना उस के लिए बहुत अनुचित है"

श्री त्यागी : उस अधिकारी का नाम क्या है ?

Shri Madhu Limya: His signatures are not legible. You can see it. My point is how the teachers or other officers of an institution dare to behave like this, which has been given more than 50 lakhs of rupees from the central exchequer, though I have this point that according to the constitution Hindi alone is the national language of the country. I take all Indian languages to be the national languages. I would like to know the nature of steps Government propose to take to stop giving grants to that institution and the time likely to be taken for the same?

Shri Bhakt Darshan: The question put by the hon. Member relates to a particular person. If he writes to me, I will look into it.

Shri Madhu Limaye: It is a question of principle.

Mr. Speaker: You can hand over these papers.

Shri Madhu Limaye: I am handing over these papers. But it is a question of principle.

Mr. Speaker: Please take your seat. I will take them from you.

Shri Bhakt Darshan: I have not yet completed my reply. In regard to the question of principle raised by the hon. Member, I want to draw his attention towards the statement given by the hon. Education Minister on 7th September, in which he has stated that:

"मैं 3 सितम्बर को हुई आधे घंटे की चर्चा के दौरान दिये गये अपने आश्वासनों को दोहराता हूं कि यदि मेरा ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर दिलाया गया जिसमें अध्यापकों के चयन अथवा किसी अन्य मामले में संस्थान ने कोई ऐसा कार्य किया है, जो नहीं किया जाना चाहिए था, तो मैं उस मामले की स्वयं जांच करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों का उचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है"

I can say nothing more than this.

श्री कपूर सिंह : क्या हम यह समझें कि माननीय मंत्री का विचार अधिकारियों को केवल इसीलिए सजा देने का है कि उन्होंने सोच समझ कर काम किया है ?

श्री हेम बरुआ : चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संबंधी स्कूल एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है यह एक राष्ट्रीय संस्था है और यह राष्ट्रीय संस्था भारतीय भाषाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके अधिकारी उचित ढंग से काम करें, सरकार का क्या कड़ी कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं इस धारणा को ठीक करना चाहता हूं कि यद्यपि यह संस्था भारत में स्थित है, फिर भी इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप भी है ।

श्री हेम बरुआ : नहीं, नहीं; बिलकुल नहीं । इससे बहुत बड़ा अन्तर हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् जी, इस संस्थान में न केवल बहुत से छात्र और शिक्षक देश के विभिन्न भागों से आते हैं, बल्कि विदेशों से भी छात्र तथा शिक्षक आते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री मधु लिमये के प्रश्न में जिस विद्यार्थी के मामले का उल्लेख किया गया है, वह जहां तक मुझे स्मरण है, कई महीनों से इस सभा में उठाया जा रहा है । मंत्री महोदय ने जो अभी कहा है कि सरकार ने इस संस्था में डिग्री पाने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इस विशेष विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया गया है और उन लोगों ने इस के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है जो भारतीय भाषाओं को हीन समझते हैं तथा इस संस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और सरकार उन व्यक्तियों के व्यवहार को ठीक करने के लिए, जो अपने आप को अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समझते हैं तथा जो भारतीय भाषाओं का आदर नहीं करते हैं, कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं केवल अपने आश्वासन को दोहरा सकता हूं कि मैं स्वयं इस मामले पर गौर करूंगा ।

श्री कंडप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है तीन महीने की अवधि में यह प्रश्न सभा में चौथी बार उठाया गया है । क्या सरकार इस संस्थान का स्तर बनाये रखना चाहती है अथवा केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होने के कारण इस संस्था में हिन्दी का प्रचार करना चाहती है ? इस संस्थान में विदेशों के छात्र तथा तामिल नाड के छात्र भी शिक्षा पाते हैं । केवल श्री वेद प्रकाश वैदिक नामक एक छात्र, जिसके अभिभावक एक संसद सदस्य हैं, शरारत करता है ।

Shri Madhu Limaye: He is a very good student. I have raised other matter also.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें, उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री रंगा : इस मामले का सम्बन्ध केवल एक छात्र से और आपने इस सम्बन्ध में कई बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात पर आपत्ति की है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि वह शरारत कर रहा है । यह प्रश्न पन्द्रह दिन पहले रखा जाना चाहिए था । कल की घटना उक्त छात्र द्वारा पूर्व आयोजित थी ।

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह लड़का अपने बचाव के लिए यहां उपस्थित नहीं है । वह ये सब बातें उसके बारे में कैसे कह सकते हैं ?

श्री कंडप्पन : इस संस्थान को उसकी स्वायत्तता से वंचित किया गया है । क्या सरकार का विचार शिक्षा के स्तर को बनाये रखने का है अथवा केवल हिन्दी का प्रचार करना है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार न केवल हिन्दी अपितु सभी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहती है ।

श्री खाडिलकर : हम एक बहुत गंभीर मामले पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यह मामला एक विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और शिक्षा से सम्बन्धित है। (अन्तर्बाधा)

श्री प्रिय गुप्त : मुझे प्रश्न पूछने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभा से निकाला गया था। किन्तु अब माननीय सदस्य को उसकी अनुमति दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री खाडिलकर : मुझे इस प्रश्न की ग्राह्यता के बारे में आपत्ति है। चूकि एक छात्र की संसद् सदस्य तक पहुंच है अत: इसे चौथी बार उठाया गया है। इससे विश्वविद्यालय के प्राधिकार उपेक्षा होती है और अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। पूसा संस्थान आदि इसी प्रकार के संस्थान देश में और भी हैं। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त इस प्रकार की संस्थाओं को चलाने के लिये सरकार उन्हें अनदान देती है अत: क्या सरकार उनमें भी शिक्षा के माध्यम के बारे में वही नीति लागू करती है ?

श्री भक्त दर्शन : सरकार के दृष्टिकोण का सारांश यह है कि इन संस्थानों को पूरी स्वायत्तता दी जाये किन्तु इन संस्थाओं को भी देश में आम शिक्षा पद्धति के अनुसार कार्य करना चाहिए।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

+

*310. **श्री मौर्य :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बागड़ी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के बारे में 7 सितम्बर 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तीन से पांच वर्षों की औसत के आधार पर निकाली गई बोनस की वर्तमान दर को कायम रखने केहेतु बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में एक नई धारा जोड़ने के सझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस प्रकार का एक सुझाव तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा पैदा की गई स्थिति का सामना करने के लिए कुछ अन्य सुझाव इस समय द्विपक्षीय समिति के सामने हैं। द्विपक्षीय समिति का गठन स्थायी श्रम समिति द्वारा 26 अक्तूबर, 1966 को हुई अपनी बैठक में किया गया था। द्विपक्षीय समिति की पहली बैठक 26 अक्तूबर, 1966 को हुई और इसकी अगली बैठक 10 जनवरी, 1967 को होना निश्चित हुई है।

Shri Maurya: The Bonus Act does not apply to certain industries such as shoe and chappal industries in Agra, Kanpur and Delhi employing 50 to 100 persons as a result of which thousands of workers are adversely affected. May I know whether Government propose to take some steps in this regard?

Shri Shah Nawaz Khan: The question relates only to those industries which come under the purview of the Bonus Act.

Shri Maurya: Since this Act does not apply to the various industries mentioned above as a result of which the workers of these industries are adversely affected. I want to know what steps are proposed in this regard.

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): So far this question is concerned, this relates to a particular matter. But this Act should be applied to all such industries which come under its purview. It does not apply to shoe industry. The hon. Member should know that if there is some labour dispute in those industries which came under State Government, they should approach the State Government in that regard.

Shri Maurya: The hon. Ministers deliberately evade or try to evade certain issues. The owners of shoe industry take a plea for not applying the Payment of Bonus Act that they employ workers on contract basis. May I know whether the attention of the Government has been drawn to this exploitation of workers.

Shri Jagjivan Ram: The hon. Member should know that a board has been constituted for the workers working in shoe and leather industry. The board will look into these matters and then necessary steps will be taken.

Shri Yashpal Singh: May I know how the Government would compensate the workers for the loss being suffered by them due to judgement of the Supreme Court and for not amending this Act?

Shri Shah Nawaz Khan: As I have stated the matter is being looked into by a committee of the representatives of workers and employers. Necessary steps will be taken in this regard after the recommendation of the Committee are received.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

*301. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर 1966 के 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' तथा 21 सितम्बर, 1966 के "अमृत बाजार पत्रिका" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चौथी योजनाकाल में हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की योजना छोड़ दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि जिन विदेशी फर्मों तथा सरकारों ने इस के लिये ऋण तथा विदेशी सहायता देने के प्रस्ताव किये थे वे एक एक करके अपने प्रस्ताव वापिस ले रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) किसी भी विदेशी फर्म या विदेशी सरकार से कोई भी पेशकश प्राप्त नहीं हुई थी और उनके पेशकशों को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी

*308. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के कुछ डायरेक्टरों (निदेशकों) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के आधार पर इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) : महा न्यायवादी का समुपदेश प्राप्त हो गया है और आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जायेगी।

महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी

*311. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1969 को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यूनेस्कों तथा उसके सदस्य देशों को समारोह में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया है जिससे शताब्दी समारोह को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके ;

(ग) क्या यूनेस्को गांधी जी के जीवन तथा सिद्धांतों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी करवाने के लिए सहमत हो गई है ; और

(घ) क्या महात्मा गांधी के सम्पूण जीवन की गतिविधियां दर्शाने तथा उसे समस्त विश्व में प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है जिससे लोगों को गांधी जी के जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सके ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत में गांधी शतवर्षिकी का समारोह मनाने के लिए एक पूरे-पूरे कार्य-क्रम का समन्वय, भारत सरकार द्वारा गठित एक

राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं। एक कार्यकारी समिति भी गठित की गई है जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं। शतवार्षिकी के लिए गांधी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें चलाने के लिए बारह उप-समितियां भी बनाई गई हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए अपने-अपने यहां राज्य शतवार्षिकी समितियां भी गठित की हैं।

अब तक तैयार किए गए कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

दिल्ली में "गांधी दर्शन" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन ; दिल्ली में 1969 में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार और देश के अन्य भागों में अन्य ऐसे सेमिनारों का आयोजन ; विदेशों में शतवार्षिकी समारोह उपयुक्त रूप से आयोजित करना ; गांधी जी से सम्बन्धित सभी रचनाओं और निबंधों की ग्रंथसूची तैयार करना ; घर-घर में गांधी जी का संदेश पहुंचाना ; सार्वजनिक संचार के सभी साधनों को काम में लाना ; गांधी संग्रहालयों और गांधी-कोषों की स्थापना ; जिन स्थानों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था न हो, वहां इसकी व्यवस्था करना ; देहाती पुनर्निर्माण का आर्थिक कार्यक्रम हाथ में लेना ; नशाबंदी को और भंगी मुक्ति को अमल में लाना ; देश में एकता को बढ़ावा देना और महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण।

(ख) जी, हां।

(ग) यह यूनेस्को के विचाराधीन है।

(घ) दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, किन्तु इसे विदेश भेजने का इरादा नहीं है। फिर भी विदेशों के प्रमुख संग्रहालयों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए सहायता देने का विचार है।

India Office Library, London

***312. Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Warior:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the progress made in the direction of transfer to India of India Office Library, London; and

(b) when the Library is likely to be transferred to India?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Government of India have no information of further progress from the position stated in reply to Starred Question No. 77 given on 27th July, 1966 in this House.

(b) Does not arise.

गैर-सरकारी तेल कम्पनियां

*313. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1966-67 में कुछ गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उन में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोखले शताब्दी

*314. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोखले शताब्दी वर्ष के दौरान स्वर्गीय श्री गोखले की याद मनाने के लिए कोई विशेष कार्य करने के बारे में सरकार विचार कर रही है, यदि हां, तो क्या;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई राशि निर्धारित की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन के लिए कोई केन्द्र अथवा अकादमी स्थापित करने तथा उसका नाम स्वर्गीय श्री गोखले के नाम पर रंखने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). जी नहीं,। परन्तु स्वैच्छिक निजी प्रयत्न द्वारा आयोजित 'गोखले शताब्दी समिति' नाम की एक समिति बनाई गई है, जिस के अध्यक्ष उप राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन हैं।

Formation of an Economic Pool

*315. **Shri Naval Prabhakar:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 353 on the 23rd September, 1964 and state:

(a) whether Government have since arrived at some conclusion regarding the formation of an Economic Pool for staffing various managerial positions in the Public Sector Undertakings; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The various aspects connected with the formation of Central Economic Pool are still under consideration.

दिल्ली के उप-राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां

*316. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय मामलों में और अधिक शक्तियां मांगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली के उप-राज्यपाल से उनको अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां दिए जाने के बारे में कोई स्पष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए। हां, उन्होंने विकास योजनाओं को लागू करने में विभिन्न मंत्रालयों को स्वीकृति के लिए लिखने की आवश्यकता के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर मामूली सा संकेत किया है। उनसे उन विशिष्ट अतिरिक्त शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है जिन्हें वे योजनाओं की क्रियान्विति तथा अन्य मामलों के लिए प्राप्त करना चाहेंगे।

प्रत्येक राज्य में उर्वरक कारखाना तथा तेल शोधक कारखाना

*317. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में एक-एक उर्वरक कारखाना तथा एक-एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की एक योजना है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना को कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या इस योजना में भरतीय उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग (डिवीजन) में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्तियों की सेवाओं का अनुकूल उपयोग करने की व्यवस्था है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि जहां तक उर्वरक कारखानों का सम्बन्ध है, जब उन कारखानों का निर्माण पूरा हो जावेगा जिनका निर्माण चालू है या जिनको स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं, तो लगभग प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कारखाना हो जाएगा।

(ग) भारत के उर्वरक निगम के योजना तथा विकास प्रभाग के पास जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है उसका उपयोग किया जा रहा है।

भारतीय भाषाओं का विकास

*318. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय भाषाओं के विकास तथा केन्द्रीय सरकार के काम में उनके अधिकाधिक प्रयोग के लिये हिन्दी तथा अहिन्दी दो क्षेत्र बनाने/तत्काल अनुवाद करने की योजना बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी काम में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग के बारे में सरकार किन वैकल्पिक योजनाओं को आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार ऐसी कोई योजना बनाने का विचार नहीं कर रही है ।

(ख) किसी वैकल्पिक योजना के बनाने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी भारत की सरकारी भाषा बन चुकी है और राज भाषाएं अधिनियम, 1963 की धारा 3 में उन सभी सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग की व्यवस्था है, जिनके लिए यह 26 जनवरी, 1965 से पहले प्रयोग की जा रही थी ।

गौहाटी तेल शोधक कारखाना

*319. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 12 और 13 सितम्बर को गोहाटी तेल शोधक कारखाने के एकक बन्द कराये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना नुक्सान हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक पम्प में खराबी पड़ जाने के कारण कोकिंग यूनिट को बन्द करना पड़ा था । तैयार हुए करूड के लिये स्टोरेज की कमी के कारण करूड डिस्टिलेशन यूनिट को भी बन्द करना पड़ा था ।

(ग) इन दिनों में काम बन्द रहने के कारण 4500 टन करूड साफ नहीं हो सका। यदि इस कमी को बाद में पूरा किया जाये तो कोई हानि नहीं होगी।

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं

*320. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखने संबंधी आदर्श विधेयक पर राज्य सरकारों ने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में यह विधान लागू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अब तक केवल सात राज्य सरकारों ने उत्तर दिये हैं जो कि इस प्रकार हैं :—

1. आसाम : प्रस्तावित विधान पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. जम्मू तथा काश्मीर : विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के पास किये जाने से सिद्धान्त रूप में सहमत है और उसका अभिप्राय उसको राज्य विधान मण्डल में यथा समय लाने का है।

3. मध्य प्रदेश : विधेयक के उपबन्धों से सामान्य रूप से सहमत है।

4. महाराष्ट्र : मामला विचाराधीन है।

5. पंजाब (पुनर्गठन से पूर्व) : प्रस्ताव के साथ सिद्धान्त रूप में सहमत हैं ; संसद् द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधेयक पारित किये जाने के बाद पास करेगा।

6. उत्तर प्रदेश : कोई टिप्पण नहीं। (राज्य सरकार को फिर लिखा गया है)।

7. मद्रास : इस प्रयोजन के लिये एक अधिक व्यापक विधेयक तैयार किया है और राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापन से पूर्व उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिये भेजा है।

(ग) और (घ). मनीपुर प्रशासन ने इस प्रयोजन के लिये मनीपुर विधान सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। अब तक जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मामला विचाराधीन है।

[जयगुनपुरी में एक पुलिस शिविर पर मिजो विद्रोहियों द्वारा छापा

*321. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी जिले से लगते कछार जिले में जयगुनपुरी में 60 सशस्त्र मिजो विद्रोहियों ने 27 सितम्बर, 1966 को एक पुलिस शिविर पर हमला किया था और उस पर बुरी तरह गोलीबारी की थी जिसके परिणामस्वरूप तीन पुलिस कांस्टेबल मर गये तथा अन्य ग्यारह घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 26 सितम्बर, 1966 को रात के लगभग ढाई बजे, लगभग 100 मिजो विद्रोहियों ने मिजो पहाड़ी जिले से लगते हुए कछार जिले में जयराम पूंजी पुलिस चौकी पर राइफलों, हथगोलों तथा स्वचालित शस्त्रों से हमला कर दिया। विद्रोहियों ने चौकी के आसपास के तीन टीलों पर मोर्चा जमाया और लगभग दो हजार गोलियां चलाईं। हमारी सशस्त्र पुलिस तथा मिजो विद्रोहियों के बीच सात बजे तक गोली चलती रही। इस झड़प के परिणामस्वरूप तीन कान्सटेबल मारे गये और ग्यारह आहत हुए। चार मिजो विद्रोहियों के मारे जाने की सूचना मिली।

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिये जबर्दस्त सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है।

Kidnapping of Indians from Border

*322. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to a news item of the 28th September, 1966, three Indians were kidnapped by Pakistanis from the border;

(b) if so, whether they have since been returned; and

(c) if not, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). In the absence of details of the place of incident or the newspaper in which the report appeared, the incident if any cannot be exactly identified.

मजूरी ढांचा

*323. श्री सेक्सियान :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी उपक्रमों की मजूरी ढांचे के बारे में हाल ही के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक ही प्रकार के उद्योगों में लगे हुए सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों की मजूरी की दरें और अन्य शर्तों में गम्भीर विषमता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों में, जहां भी सम्भव हो, इन शर्तों को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) संबंधित प्रतिष्ठानों की संख्या और उत्पादन व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रणाली में विषमता तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में उत्पादिता को प्रभावित करने वाले अन्य अनेक तथ्यों के कारण, प्रश्न में उल्लिखित कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology

*324. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of tours and the number of senior officers of the Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology who undertook these tours during the last six months together with the total expenditures involved; and

(b) whether the tours by these Officers are approved by his Ministry?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a):

	Commission for Scientific and Technical Terminology	Central Hindi Directorate
Number of Senior Officers who proceeded on tour during the last six months 1st May to 31st October, 1966)	25	11
Number of tours involved	12	11
Total Expenditure	Rs. 13,888	Rs. 3,940

(b) No. Sir, The Director, Central Hindi Directorate and the Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, being Heads of Departments, are their own controlling authorities for purposes of official tours and also competent to approve the tours of officers working under them.

काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास

*325. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 220 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के मुख्य मंत्री पर फेंके गये हथगोले के फटने के संबंध में पूछ-ताछ पूरी कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि पूछ-ताछ पूरी नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस मामले की जम्मू-काश्मीर की राज्य सरकार द्वारा अभी तक जांच की जा रही है और इसमें बहुत से व्यक्तियों से पूछ-ताछ की जायेगी । अभी तक अपराधियों का पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका ।

तरल पेट्रोलियम गैस का मूल्य

*326. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के मूल्यों संबंधी कार्यकारी दल ने सरकार को 1965 में दिये गये अपने प्रतिवेदन में $14^{1}/_{2}$ किलोग्राम तरल पैट्रोलियम गैस के प्रत्येक बैरल पर 3 रुपये की तदर्थ कमी करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या तेल कम्पनियों ने $14^{1}/_{2}$ किलोग्राम के प्रत्येक बैरल पर केवल 2.33 रुपये की कमी की है ; और

(ग) कार्यकारी दल की सिफारिश पर अमल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां ।

(ख) घरेलू उपभोक्ताओं के लिये तरल पेट्रोलियम गैस के खुदरा मूल्यों में विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा निम्न कटौती की गई है :

	सिलेंडर का आकार किलोग्राम	विक्रय कर रहित पुराना मूल्य रु०	कमी रु०
(एक) बर्मा सेल	14.5	18.84 (बम्बई)	2.59
(दो) एस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न	12.8	16.97 (बम्बई)	2.29
(तीन) कांलटेक्स (i) लिमिटेड	12.8	17.06 (विभाग)	2.00
(चार) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	12.2	17.50 (कलकत्ता)	1.22

(ग) ऊपरी कटौतियां तेल उत्पाद मूल्यों सम्बन्धी सरकार द्वारा किये गये परिवर्तन के प्रकाश में और इन मूल्यों पर अवमूल्यन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बातचीत के द्वारा की गई हैं।

तूतीकोरिन में उर्वरक कारखाना

*327. **श्री मुथिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की अनुमति से एक जापानी दल ने 28 सितम्बर, 1966 को तूतीकोरिन का दौरा किया था और वहां पर एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थानों तथा स्थितियों का अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या यह दल तूतीकोरिन में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये जापानी सहयोग प्रदान करने के लिये इच्छुक है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह कारखाना लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) चतुर्थ योजनावधि में तूतीकोरिन के स्थान पर उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । तथापि, हाल ही में अधिकारियों के जिस दल ने अमरीका और कैनाडा का दौरा किया था उसने एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये अन्य उपलब्ध स्थानों के साथ साथ तूतीकोरिन की भी सिफारिश की है ।

फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

*328. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिये दिये गये आश्वासनों को पूरा करने तथा फिल्म उद्योग में रोजगार की शर्तों के सम्बन्ध में प्रारूप विधान को अन्तिम रूप देने के लिये एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। फिल्म उद्योग में रोजगार की शर्तों के बारे में नए विधान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण तथा विपणन

*329. **श्रीमती विमला देवी** :
डा० रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम आयल कम्पनी (ए० ओ० सी०) के डिगबोई तेलशोधक कारखाने के तथा इंडियन आयल कारपोरेशन के नूनमाती तेल शोधक कारखाने के पेट्रोलियम उत्पादों के सुव्यवस्थित वितरण तथा विपणन के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन तथा आसाम आयल कम्पनी (ए०ओ०सी०) के बीच हुए उत्पाद विनिमय समझौते के पश्चात् सभी तेलशोधक कारखानों के पेट्रोलियम उत्पादों के सुव्यवस्थित वितरण के लिये एक अखिल भारतीय उत्पाद विनिमय समझौता कराने के लिये कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा रुपये में भुगतान लेने वाले देशों से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के सम्बन्ध में विरोध करना छोड़ दिया है ; और

(ग) उचित उत्पाद विनिमय समझौते के द्वारा सुव्यवस्थित वितरण में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा विपणन पर कितना अतिरिक्त धन व्यय किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) नूनमाती और बरौनी तेल शोधक कारखानों के उत्पाद के विनिमय के लिये भारतीय तेल निगम और अन्य तेल कम्पनियों में एक करार है। गुजरात और कोचीन तेल शोधक कारखानों के उत्पादों के विनिमय पर सामान्य रूप से यह करार लागू किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) स्वदेशी और आयातित दोनों उत्पादों के सुव्यवस्थित वितरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तेल उत्पादों के लिये मासिक वितरण तथा वहन योजना सरकार के पर्यवेक्षण में तैयार की जाती है और इसलिये भारतीय तेल निगम द्वारा अतिरिक्त व्यय किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर और केरल के बीच विवाद

*330. **श्री मणियंगाडन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के बीच सीमा विवाद की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये एक सदस्यीय आयोग को मैसूर और केरल की सीमा के प्रश्न की जांच करने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस की प्रार्थना पर किया गया है ;

(ग) क्या आयोग की नियुक्ति से पहले केरल सरकार से परामर्श किया गया था ;

(घ) क्या केरल ने यह मांग की है कि केरल में लोकप्रिय सरकार की स्थापना से पहिले आयोग को इस प्रश्न की जांच नहीं करनी चाहिये ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ङ). मैसूर और केरल का सीमा विवाद एक सदस्यीय आयोग को सौंप दिया गया है। लोक सभा मे तारांकित प्रश्न संख्या 987 के उत्तर में 23 मई, 1962 को बताया गया था कि मैसूर सरकार ने कासरगोड तालुक के केरल से मैसूर राज्य को हस्तांतरण का सुझाव दिया था। इस मामले को परस्पर सहमति द्वारा तय करने के लिये किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुए। इसलिये सरकार ने इस मामले को एक सदस्यीय आयोग को सौंपने का निर्णय किया। आयोग की नियुक्ति से पूर्व केरल सरकार से परामर्श नहीं किया गया था, किन्तु समय समय पर इस बारे में व्यक्त उनके विचारों को ध्यान में रखा गया था। केरल की ओर से सरकार को सुझाव दिया गया है कि जब तक केरल में मंत्री परिषद् का निर्माण नहीं हो जाता तब तक आयोग को किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं करना चाहिये जिसका केरल पर प्रभाव पड़ता हो। यह सुझाव आयोग को भेज दिया गया है। आशा है कि आयोग इसे ध्यान में रखेगा।

केरल के मछुओं में साक्षरता

1403. श्री इम्बीचीबावा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की जन संख्या के प्रमुख भाग की तुलना में केरल में कितने प्रतिशत मछुए साक्षर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल का मछुआ वर्ग प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है ; और

(ग) सरकार अथवा राज्य सरकार मछुओं के सम्बन्ध में असमानता को कम करने के लिये यदि कोई कार्यवाही कर रही है, तो क्या ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) स (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Gangajali Fund Trust

1404. Shri Radhelal Vyas: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3673 on the 31st August, 1966 and state:

(a) whether the previous sanction of the Central Government was obtained in regard to any or all of the amounts referred to in the statement laid on the table in reply to the aforesaid question before the decision was taken by the Trust for payment of those amounts; and

(b) if so, the amounts for which previous sanction was obtained and the dates thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). A statement showing the dates of sanctions in respect of the amounts disbursed from the Gangajali Fund Trust is attached. (Placed in **Library. See No.** Lt-7327/66]. The previous sanction of the Central Government was obtained in all cases except in regard to the sums of Rs. 3 lakhs in item 3 and Rs. 5 lakhs in item 4 which were disbursed earlier, though the amounts so disbursed were covered by the Government's sanctions issued on the dates mentioned.

औषध विक्रेताओं द्वारा मूल्य सूचियों का लटकाया जाना

1405. श्री लाखन दास :
श्री मधु लिमये :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में गत्यावश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य किसी विधि के अधीन एक अधिसूचना जारी की थी कि औषध विक्रेता उनके द्वारा बेची गई औषधियों की मूल्य सूचियां लटकायें ;

(ख) क्या वह अधिसूचना एक दम लागू होनी थी ;

(ग) क्या इस बीच एक परिपत्र के द्वारा उस सरकारी आदेश/अधिसूचना की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ). अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत 30 जून, 1966 को एक आदेश, जिसका नाम औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1966 है, जारी किया गया था। आदेश जारी होने की तिथि को ही लागू हो गया। उसके दो उपबन्धों का सम्बन्ध व्यापारियों द्वारा मूल्य सूचियों के प्रदर्शन और दवाइयों के डिब्बों पर खुदरा मूल्यों की मोहर लगाने से है। चूंकि अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि दवाइयों के डिब्बों पर मल्यों को लिखने से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होगा, इसलिये मामले पर पुनः विचार करने का निर्णय किया गया और प्रसिद्ध औषध संस्थाओं को सूचना दी गई कि सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने तक मूल्यों को छापने सम्बन्धी उपबन्ध क्रियान्वित न किया जाये ।

तथापि, पूरी तरह विचार करने के बाद, सरकार ने इस उपबन्ध को लागू करने का निर्णय किया है और 19 सितम्बर, 1966 को एक आदेश जारी किया गया था जिसका नाम है औषध मल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1966। यह निर्णय किया गया कि निर्माताओं को आदेश के जारी किये जाने की तिथि से लेकर 2 मास के भीतर भीतर इस मूल्यों की छाप सम्बन्धी उपबन्ध को क्रियान्वित करना चाहिये ।

त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड त्रिवेन्द्रम

1406. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में मज़दूरों तथा प्रबन्धकों के संबंध अब बहुत बिगड़ गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कारखाने के मज़दूर संघों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) मज़दूरों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि०, त्रिवेन्द्रम में मज़दूरों तथा प्रबन्धकों के संबंध पिछले कुछ समय से कुछ तनावपूर्ण से रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) विवाद को समझोते के लिए उठाया गया लेकिन लम्बी चर्चा के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका । बाद में संबंधित पक्षों ने 8 अक्तूबर, 1966 को चर्चा की लेकिन वे किसी स्वीकृत निर्णय पर नहीं पहुंच सके । उनका विचार आगे चर्चा जारी रखने का है और इस संबंध में आगे क्या प्रगति होती है, इसकी प्रतिक्षा की जा रही है ।

केरल का जनगणना विभाग

1407. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के जनगणना विभाग के छंटनी किये गये कमचारी अभी तक बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि छंटनी किये गये उन कर्मचारियों को दूसरा रोजगार देने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें दूसरा रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). केरल संबंधी संसदीय सलाहकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार छंटनी किये गये कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नियुक्ति ढूंढने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी

1408. श्री राम हरख यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए देशव्यापी कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) रेल डाक सेवा कर्मचारियों के किसी भी मान्यता-प्राप्त एसोसिएशन से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है । फिर भी अक्तूबर, 1966 के अन्तिम सप्ताह में समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि अखिल भारतीय रेल डाक सेवा सहायक अधीक्षक तथा निरीक्षक एसोसिएशन ने, जिसे डाक तार विभाग से मान्यता मिली हुई है, अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए देश भर में आन्दोलन करने का निश्चय किया है ।

(ख) चूंकि उक्त एसोसिएशन ने कोई नोटिस नहीं दिया है, अतः उसकी शिकायतें, यदि कोई हैं, तो मालूम नहीं ।

(ग) सरकार किसी भी आन्दोलन के पक्ष में नहीं है ।

Telephones in Panchayat Samiti Offices, Maharashtra

*1409. **Shri D. S. Patil:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Panchayat Samiti Offices in Maharashtra having telephones as on the 31st January, 1966; and

(b) the number of such offices to be provided with telephones in the State during 1966-67?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) 174.

(b) Six.

Out of these six, the following three have already been provided with Long distance P.C.Os.:

(1) Kandhar.

(2) Surgana.

(3) Jafferabad.

विश्व अव्यावसायिक टीम गाल्फ चैम्पियनशिप

1410. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मैक्सिकों में हाल में खेले गये आईजनहावर कप विश्व अव्यावसायिक टीप गाल्फ चैम्पियनशिप में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय टीम का खेल किस प्रकार रहा ; और

(ग) इस चैम्पियनशिप में कितने देशों ने भाग लिया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारतीय गाल्फ यूनियन कलकत्ता से जानकारी मंगाई गई है और मिलते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

नई डाक टिकटें

1411. श्री राम हरख यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस महीने दो नई डाक टिकटें जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त टिकटें कितने कितने मूल्य की होंगी : और

(ग) ये कब से जारी की जायेंगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) स (ग). नवम्बर, 1966 में चार नये डाक-टिकट जारी करने का कार्यक्रयम है। वे सभी 15 पै०के मूल्यवर्ग के हैं। उनके विषय और जारी करने की तारीखें नीचे दी गई है —

1.	अबुल कलाम आज़ाद	11-11-66
2.	स्वामी रामतीर्थ	11-11-66
3.	बाल-दिन, 1966	14-11-66
4.	इलाहाबाद हाई कोर्ट	25-11-66

नेफा की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़ना

1412. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सैनिक एवं असैनिक अभियान दल हाल ही में नेफा की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़ने में सफल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) जिस चोटी पर यह दल चढ़ा है, उसकी ऊंचाई कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक तथा तार विभाग के तार विभाग का पुनर्गठन

1413. श्री रा० बरुआ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार बोर्ड डाक तथा तार विभाग के तार विभाग का पुनर्गठन करने की योजना को अन्तिम रूप दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). डाक-तार सर्कल में (जिसकी सीमा आम तौर पर वही है जो राज्य की है) स्थित तारघरों के कार्य पर इस समय सर्कल के मुख्यालयों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। विचाराधीन नई योजना के अंतर्गत प्रत्येक सर्कल में डिविज़न बनाने का विचार किया गया है ताकि तारघरों के परियात तथा तकनीकी काम पर अधिक कारगर ढंग से नियंत्रण रखा जा सके।

(ग) ज्यों ही सरकार द्वारा विस्तृत ब्यौरा को अन्तिम रूप देकर उन्हें मंजूर कर लिया जाएगा।

Manufacture and Research of Drugs

1414. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government propose to urge upon the manufacturers of drugs to spend more on research; and

(b) if so, whether Government also propose to enact a legislation in this regard?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b). The industry is alive to the need for undertaking research work in their own interest and some of the units have already set up separate research centres for carrying out group research. The other units have also evinced interest in setting up such research facilities. The Government have also been urging the manufacturers of drugs and pharmaceuticals to spend more on research. They have however no proposal at present to enact any legislation in this regard.

सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों की सूची

1415. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने अथवा यह सूची कम से कम संसद् सदस्यों को केवल उनकी व्यक्तिगत जानकारी के लिये देने के

प्रश्न पर इस बीच पुनर्विचार कर लिया है, ताकि उनमें से अधिक सतर्क लोग उनकी अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रख सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । सूची को प्रकाशित करना या संसद् सदस्यों को देना उचित नहीं होगा ।

(ख) नामों का प्रकट करना उचित नहीं होगा क्योंकि उनके विरुद्ध कोई स्पष्ट अभियोग नहीं है । ऐसा करने से सरकार कानूनी कार्यवाही में उलझ सकती है ।

Central Government Employees Consumers Cooperative Stores, New Delhi

1416. Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the amount of loss incurred annually during the last two years in running the Central Government Employees Consumers' Cooperative Stores, New Delhi;

(b) the amount advanced by Government so far in the form of grants, assistance or loan; and

(c) the irregularities misappropriation of funds, wasteful expenditure noticed in the working of the stores as also the loss and pilferage of articles?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) The Society earned a net profit of Rs. 1,30,301 and Rs. 1,70,929 during the years 1963-64 and 1964-65 respectively. The Profit & Loss Account for the year 1965-66 is still under compilation.

(b) The details are given below:—

(i) Loan	..	..	Rs. 24 lakhs
(ii) Subsidy	..	..	Rs. 2,59,345.16
(iii) Investment in share capital		..	Rs. 4,66,644

(c) A few such cases have come to notice. The Stores are however, insured against theft, burglary and fire. Sureties in the form of cash as also fidelity bonds have been obtained from the staff handling cash, stores and sales. Losses in such cases have been recovered or are in the process of recovery. Suitable remedial measures have also been taken to avoid recurrence of such cases in future.

गुजरात उर्वरक कारखाना

1417. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जापान से येन ऋण लेकर गुजरात उर्वरक कारखाने का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस संबंध में जापान से बातचीत की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित ऋण की राशि क्या है और इस बारे में जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). मैसर्स गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड को, बडौदा में उसके कारखाने के विस्तार के लिये एक आशयपत्र जारी किया गया है । संभरणकर्ता की साख पर मशीनें और संयंत्र सप्लाई करने के लिये वह पत्र जापानी संभरणकर्ताओं से बातचीत कर रहा है ।

Telephone Connections in Delhi

1418. Shri Naval Prabhakar:
Shri Maheswar Naik:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of applications pending for telephone connections in Delhi at present;

(b) the categories under which the connections were applied for; and

(c) the time by which the shortage of telephones in Delhi is likely to be removed?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) 53,359.

(b) Own your Telephone Category	..	5,950
Other (including exempted categories).	..	47,400

(c) Shortages are likely to continue for quite some time. Continuous work for expanding the existing telephone exchanges and for opening new telephone exchanges to provide more telephone connections is being undertaken to the extent possible consistent with the available resources.

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी

1419. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये कौन सी विशेष अथवा अतिरिक्त सुविधाएं दी गयी हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिए उठाए गए कदम और दी गई सुविधाएं नीचे बताई जा रही हैं :—

(1) स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर अहिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय मदद दी जाती है ।

(2) अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को 100 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय मदद अपने अपने राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए दी जाती है ।

(3) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय मदद ऐसे कार्यकलाप के लिए दी जाती है, जैसे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं चलाना, हिन्दी के शिक्षण और हिन्दी अध्यापकों और प्रचारकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय स्थापित करना, हिन्दी पुस्तकालय खोलना, हिन्दी में गोष्ठियां, भाषण-दौरे, वाक प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना, हिन्दी में प्रवीणता के लिए पुरस्कार, हिन्दी नाटकों के लिए, हिन्दी पुस्तक-प्रदर्शनियों के लिए और ऐसे दूसरे कार्यकलाप के लिए, जो अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए सहायक समझे जाएं ।

(4) अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को मैट्रिक के बाद के स्तर पर हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

(5) अहिन्दी भाषी राज्यों के लेखकों को, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, उनकी हिन्दी रचनाओं के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं ।

(6) अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में बिना मूल्य वितरण के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीदी और बेची जाती हैं ।

(7) चौथी आयोजना के दौरान नीचे लिखी नई योजनाएं अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए अमल में लाने का प्रस्ताव है :—

(क) पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ाना ;

(ख) हिन्दी प्राइमरों और स्वयं शिक्षक रीडरों का प्रकाशन और लिंगुआफोन, टेप आदि अध्यापन में सहायक चीजों को तैयार करना :

(ग) हिन्दी निरीक्षणालयों की स्थापना और उन्हें मजबूत बनाना, अहिन्दी भाषी प्रदेशों के छात्रों के हिन्दी प्रदेशों में शैक्षिक दौरे, स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को अनुदान और वे दूसरी योजनाएं जिनको राज्य सरकारें अपने आप अमल में लाना चाहती हैं ; इस प्रयोजन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को चौथी आयोजना के राज्य क्षेत्र में पैसा उपलब्ध कर दिया गया है ।

डाक-तार विभाग में लेखा प्रणाली

1420. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने दूरसंचार व्यवस्था में लेखा प्रणाली को सरल बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1964–65 में एक परामर्शदातृ दल ने डाक-तार विभाग की दूरसंचार प्रणाली की पुनरीक्षा की थी ।

(ख) उनकी रिपोर्ट 7 सितम्बर, 1966 को सभा-पटल पर रख दी गई थी । सरकार ने उक्त सिफारिशों पर अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है ।

सस्ती पुस्तकों सम्बन्धी यूनेस्को परियोजना

1421. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने यूनेस्को के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि वह सस्ती पुस्तकों का उत्पादन तथा वितरण में वृद्धि करने के लिये एशिया में एक बड़ी परियोजना आरम्भ करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यूनेस्को की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर 25 अक्तूबर से 30 नवम्बर, 1966 तक पेरिस में होने वाले यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा विचार किया जायेगा।

(ख) सामान्य सम्मेलन के निर्णय की प्रतीक्षा है।

परीक्षाओं में सुधार

1422. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा संस्था द्वारा हाल में समूचे देश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा सम्बन्धी सुधार का सघन कार्यक्रम आरंभ करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और क्या उसकी कार्यान्विति आरंभ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसकी कार्यान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सुधार करना है :

(एक) सार्वजनिक परीक्षाओं में ताकि उन्हें ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके और उनका मापन मूल्य सुधारा जा सके ; और (दो) स्कूल मूल्यांकन ताकि परीक्षा विद्यार्थी की उपलब्धियों में सुधार ला सके।

(ग) फिलहाल माध्यमिक स्तर पर परीक्षा सुधार शुरू किया गया है। जिन राज्यों में यह शुरू किया जा चुका है वहां अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और राजस्थान में इसकी गति तेज कर दी गई है और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास और दिल्ली में इसे शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी कुछ काम शुरू किया गया है। असम में जल्द ही इसका सूत्रपात करने की उम्मीद है।

प्रारंभिक, अध्यापक-शिक्षा और विश्वविद्यालय स्तरों पर इस कार्यक्रम को 1967 और उससे आगे लागू करने का प्रस्ताव है।

भारतीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी

1423. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सदा के लिये बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अपराधों में वृद्धि

1424. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संकलित अपराध आंकड़ों से पता चलता है कि 1961 से 1965 के दौरान देश में अपराध बढ़ रहे हैं ; और

(ख) इस बुरी प्रवृत्ति के मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1961 से 1965 के दौरान अपराधों की दर में कोई लगातार वृद्धि नहीं हुई। संसद के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

वर्ष	हस्तक्षेप्य अपराधों की कुल संख्या	अनुमानित आबादी करोड़ों में	एक लाख की आबादी पर अपराध के परिमाण की दर
1961	6,25,651	43.768	143.0
1962 .	6,74,466	45.314	148.9
1963 .	6,58,830	45.906	143.5
1964 .	7,59,013	47.552	159.6
1965 . . .	7,51,267	48.698	154.3

1965 के नवीनतम आंकड़ों से पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, अपराधों की संख्या में कमी हुई है ।

दुर्गापुर उर्वरक परियोजना

1425. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामंत :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक परियोजना को प्राथमिकता वाली परियोजना समझा गया है ;

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और यह विदेशी मुद्रा किस स्रोत से उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) क्या इस कारखाने की इमारत का बनना आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) करीब 17.00 करोड़ रु० । अपेक्षित विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग टली से संभरण-कर्ताओं की साख से पूरा किया जायेगा ।

(ग) मुख्य संयंत्र की इमारतों के लिये असैनिक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है परन्तु स्टोरेज 'साइलो" का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

मद्रास रिफाइनरी

1426. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के साम्य पूंजी (इक्विटी) अंश आम जनता को बेचने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोगकर्ताओं और जनता द्वारा पृथक-पृथक कितने प्रतिशत अंश खरीदे जायेंगे ; और

(ग) क्या अवमूल्यन के पश्चात् इस परियोजना के पूंजी परिव्यय की कुल राशि का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह निर्णय किया गया है कि जनता को कोई अंश नहीं दिये जायें ।

(ख) सरकार 74 प्रतिशत अंशों को रखेगी और दो विदेशी सहयोगी 13 प्रतिशत अंश रखेंगे ।

(ग) निर्माण के लिये आई निविदाओं के प्रकाश में इसकी जांच की जा रही है । चतुर्थ योजना में उपबन्धित अनुमानित परिव्यय 35 करोड़ रु० है ।

Mock Parliament in Schools

1427. Shri Yashpal Singh:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) whether his department has recently organised 'Mock Parliament' in Delhi Schools;

(b) if so, the purpose thereof;

(c) the amount spent thereon; and

(d) whether Government propose to extent this programme to other States also?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narain Sinha): (a) Yes, Sir.

(b) The purpose was to induce among school children interest in, and respect for, the Parliamentary institutions to inculcate in them a sense of discipline and tolerance for views of others; and to educate them, in this process, about the rudiments of procedure of work in the Parliament.

(c) An expenditure of Rs. 1,500 is estimated.

(d) A proposal is under consideration, but it is feared that paucity of funds may stand in the way of the Scheme being extended to Schools in all States.

पोलीटेक्नीक संस्थाएं

1428. श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक देश में कितना पालीटैक्नीक संस्थाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) क्या बेकारी को दूर करने के लिए सेकेन्डरी शिक्षा के स्तर पर छात्रों को सामान्य शिक्षा की बजाय तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार का पालिटैक्नीक संस्थाओं की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) चौथी योजना अवधि में कितनी पालिटैक्नीक संस्थाएं चालू करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 188 ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पालिटैक्नीक शिक्षा का प्रयोजन उत्तर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के अन्त तक जिन अतिरिक्त स्थानों (सीटों) की व्यवस्था की जानी है उनके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति चौथी आयोजना के दौरान अपेक्षित स्थानों की संख्या और तकनीकी कर्मचारियों संबंधी जरूरतों का पुनः मूल्यांकन कर रही है ।

हल्दिया तथा मद्रास में तेल शोधन परियोजनाएं

1429. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दिया तथा मद्रास की प्रत्येक तेल शोधन परियोजना के पूर्ण होने पर कितना खर्च होने की संभावना है और सितम्बर 1966 तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : सितम्बर 1966 तक मद्रास तेल शोधक कारखाने पर कुल करीब 1 करोड़ रु० व्यय किया गया था तेल शोधन परियोजना पर कुल व्यय लगभग 41 करोड़ रु० होगा ।

हल्दिया तेल शोधक परियोजना पर अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है। **चतुर्थ योजना में** इसके लिए 39 करोड़ रु० का उपबन्ध है।

मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ

1430. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह्० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में फरवरी-मार्च में होने वाली कपड़ा मज़दूरों की हड़ताल और हाल ही की दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र की हड़ताल में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के अधिकारों पर आपत्ति की गई थी ; और

(ख) क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इस प्रकार की संहिता स्वीकार कर ली जाये जिसकी शर्तों के अनुसार बहुमत वाले धार्मिक संघों को विवादों को रिपोर्ट दी जा सकेगी और उन्हें प्रबंधकों के साथ सौदेबाजी का भी अधिकार होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस प्रश्न का विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) भारतीय श्रम सम्मेलन (20वां अधिवेशन, अगस्त, 1962) ने पहले ही यह सिफारिश की है कि अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त यूनियनों को मामले उठाने और सामान्य प्रश्नों पर सामूहिक समझौते करने का अधिकार होना चाहिए ।

विज्ञान तथा उद्योग का विकास

1431. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह्० चा० लिंग० रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और उद्योग के और अधिक विकास के उद्देश्य से अनुसंधान तथा विकास कार्य को उद्योग से सम्बधित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकारी वैज्ञानिकों के लिये कारखानों में कार्य करने की कोई व्यवस्था की गई है जिससे वे उत्पादन विधियों के निकट सम्पर्क में रह सकें; और

(ग) सरकारी तथा गैर सरकारी वैज्ञानिकों के बीच भेदभाव की भावना को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन्) : (क) अनुसंधान और विकास को उद्योग से संबंधित करने के विशिष्ट प्रयोजन से राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा उद्योगों की प्रक्रियाओं के लाइसेंस देना इस दिशा में एक कदम है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास को उद्योग से संबंधित करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं:-

(1) उद्योगों के सहकारी अनुसंधान संठनों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना। वस्त्र उद्योग के लिए तीन; रेशम तथा नकली रेशम, रबर, पेंट, प्लाईवुड, सीमेंट, ऊन, चाय, जूट और इलैक्ट्रोनिक्स उद्योगों में से प्रत्येक के लिए एक-एक ; इस तरह कुल बारह सहकारी अनुसंधान संगठन पहले से ही काम कर रहे हैं ।

(2) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों और वैज्ञानिक उप-समितियों में उद्योगों के वैज्ञानिकों और टैक्नीलोजीविदों का प्रतिनिधित्व ।

(3) परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा उद्योगों के लिए परामर्श-सेवा ।

(4) अनुसंधान तथा उद्योग के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान और उद्योगों का एक सम्मेलन दिसम्बर, 1965 में आयोजित किया गया था ।

(5) उपजों और प्रक्रियाओं के विकास के लिए उद्योगों द्वारा आयोजित अनुसंधान योजनाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोशालाएं अपने हाथ में लेती हैं ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर काम करने की अनुमति समय समय पर दी गई है ।

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी वैज्ञानिकों के बीच भेदभाव की भावना की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

1432. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
खी ब० कु० दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कैम्पों में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन लोगों को बस्तियों में बसाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) 1965 तथा 1966 में इन कैम्पों को छोड़कर जाने वालों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इनको छोड़ कर जानेवालों के बारे में यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है तो उसका परिणाम क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 10-11-1966 को 1,46,176 व्यक्ति ।

(ख) जानकारी बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—7328/66]**

(ग) 1965	44,105 व्यक्ति
1966	16,804 व्यक्ति
30-9-66 तक,	
कुल	60,909 व्यक्ति

(घ) इनको छोड़ कर जाने वालों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जैसाकि शिविरों के कार्यभारी अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है । छोड़ कर जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—7328/66]**

Indian School of International Studies

1433. Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any student in the School of International Studies submitted his thesis in Hindi on Indo-Mongolian relations and Asylum in International Law;

(b) whether it is a fact that Hindi is not only the mother tongue of the Heads of the Departments concerned but they are also qualified in this subject; and

(c) whether in spite of that, they have rejected the thesis?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) No, Sir.

(b) No, Sir. Hindi is their mother tongue but they are not qualified to teach in that language.

(c) Does not arise.

ब्रिटेन में भारतीय अध्यापक

1434. श्री श्रीनारायण दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि साउथ हाल सर्वेक्षण से पता चला है कि ब्रिटेन के एक ही जिले में 1000 भारतीय अध्यापक अदक्ष श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि उन्होंने ब्रिटेन जाना तथा वहां अदक्ष श्रमिकों के रूप में काम करना क्यों पसन्द किया, कोई जांच की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। किंतु 4 नवम्बर, 1965 क "इंडिया वीकली", लंदन में भारत के जीवन बीमा निगम के लंदन कार्यालय के कार्यभारी अधिकारी के हवाले से छपी खबर के अनुसार साउथ हाल क्षेत्र के कारखानों में लगभग 1000 भारतीय स्नातक और उत्तर स्नातक काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यताओं के अनुसार दूसरे धंधे नहीं मिल सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

1435. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत तथा उनके निर्यात का अन्तिम अनुमान क्या है ;

(ख) क्या इस वर्ष तेल सलाहकार समिति की बैठक हुई है ;

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार किया गया तथा क्या सिफारिश अथवा सुझाव दिये गये; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) नवीनतम अनुमान के अनुसार 1970-71 के दौरान उपभोग 2 करोड़ टन हो सकता है। निर्यात एक मात्रतः अस्थायी रूप से फालतू मात्रा वाली वस्तुओं तक ही सीमित है जैसे कि नैफ्था, मोटर गैसोलाइन आदि जिनको चतुर्थ योजना के बाद के वर्षों में निर्यात करना संभव नहीं होगा।

(ख) जी हां।

(ग) तेल सलाहकार समिति ने चतुर्थ योजनावधि के दौरान पेट्रोलियम मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग के अग्रिम अनुमानों पर चर्चा की थी। और अपनी सिफारिशें तैयार की थीं। समिति ने सिफारिश की थी कि वितरण के लिए एक उचित नीति तैयार करने सम्बन्धी प्रश्न का अध्ययन एक विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया जाना चाहिए जो कि अपना प्रतिवेदन उचित कार्यवाही के लिए सरकार को देगी।

(घ) सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और अग्रेतर कार्यवाही की जा जा चुकी है।

संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए यात्रा भत्ता देना

1436. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इण्टरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को यात्रा अथवा अन्य भत्ता देने के बारे में कोई समान नियम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह नियम क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अकोककर (नान-कोकिंग) कोयले का प्रयोग

1437. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह : श्री राम सेवक यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था द्वारा निकाले गये तरीके के आधार पर अकोकर कोयले का कोककर कोयले के रूप में प्रयोग करने की परियोजना के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). प्रयोगशाला में प्रक्रिया के बुनियादी ब्यौरों पर काम कर लिया गया है । बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तकनीकी जानकारी और डिजाइन सप्लाई करने हेतु प्रायोगिक संयंत्र के रूप में जांच करना जरूरी समझा जा रहा है ।

विश्वविद्यालयों में एकरूप शिक्षण अवधि

1438. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह : श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विश्वविद्यालयों के लिये समान शिक्षा अवधि (कैलेंडर आफ टर्म) के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को एक जैसा ही शिक्षण कलेंडर अपनाने का सुझाव दिया है । शिक्षण कलेंडर अपनाने के संबंध में निर्णय विश्वविद्यालयों को ही करना है । अभी तक 19 विश्वविद्यालयों ने अपने उत्तर भेजे हैं, और ये आमतौर पर सुझाव से सहमत हैं ।

बरौनी तेल शोधन कारखाना

1439. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह : श्री बागड़ी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बरौनी तेल शोधन कारखाने के कुछ एककों में संयंत्र लगाने का काम (ले आउट) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : "ल्यूब आयल कॉम्पलेक्स" के "डिवैक्सिंग" यूनिट को छोड़ कर तेल शोधक कारखाने का निर्माण पूरा हो गया है। इस यूनिट के दिसम्बर, 1966 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

आर्थिक विकास संस्था, दिल्ली

1440. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने, यूनेस्को ने तथा अन्य संस्थाओं ने आर्थिक विकास संस्था को कितना धन दिया है ;

(ख) क्या इस संस्था ने यह दावा किया है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य अमरीकी प्रतिष्ठानों तथा अभिकरणों का एक भाग है ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके अपने कोई नियम और विनियम नहीं हैं ;

(घ) क्या वहां कर्मचारियों को जून, 1966 में एक महीने के उपार्जित अवकाश पर जाने के लिये बाध्य किया गया था ;

(ङ) 1966 में अनुसन्धान पर क्या क्या पुस्तकें निकाली गई हैं ; और

(च) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को भविष्य निधि की पास-बुकें जारी नहीं की गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : संस्थान द्वारा 1964-65 और 1965-66 के दौरान विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुए अनुदानों और चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर किये गये अनुदानों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०--7329/66]**

(ख) जी नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इसके अध्यादेशों के अन्तर्गत संस्थान को एक अनुसन्धान संस्थान के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं। संस्थान आर्थिक विकास समिति के संस्थान द्वारा चलाया जाता है जो कि समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत समिति है और जिसके अपने नियम हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) संस्थान द्वारा 1966 में निकाले गये प्रकाशनों की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०--7329/66]**

(च) संस्थान के भविष्य निधि नियमों में 'पासबुक' जारी करने का उपबन्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में बेकारी की समस्या

1441. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद : **डा० म० मो० दास :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में बेकारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश के सभी काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को नौकरी दिलाने के लिये सरकार द्वारा पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यद्यपि रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के नौकरी तलाश करने वालों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ी है, अन्य सभी श्रेणियों में आवेदकों के मुकाबिले वृद्धि दर कम ।

(ख) गैर तकनीकी पदों के लिये भी कभी कभी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं ।

(ग) रोजगार दफ्तरों को हिदायत दी गई है कि उनको सूचित किये गये रक्षित स्थानों के लिये वे उपयुक्त उम्मीदवारों का पता लगाने के लिये विशेष प्रयत्न करें ।

टेलीफोन के क्रासबार टेलीफोन उपकरण के बारे में प्रशिक्षण

1442. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **डा० म० मो० दास :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन क्रासबार उपकरण के बारे में प्रशिक्षण के लिये कुछ अधिकारियों को फ्रांस तथा बेल्जियम भेजा गया था ;

(ख) क्या ये अधिकारी तकनीकी व्यक्ति थे ; और

(ग) क्या बैल इन्डस्ट्रीज़ ने भी भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, बंगलौर में कुछ इंजीनियर भेजे हैं और यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जी हां । सहयोग समझौते के अधीन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ को निम्नलिखित भुगतान

करने होते हैं :

(एक) बेल्जियम टेलीफोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (बी० टी० एम०) के प्रविधिज्ञों के बेल्जियम में देय दरों पर वेतन, भत्ते और ऊपरी खर्चे ;

(दो) उनकी भारत तक और भारत से वापस यात्रा का व्यय ; और

(तीन) उनका यहां निवास का व्यय तथा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लि० के कार्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा भारत में की गयी यात्राओं का व्यय ।

Patel House Murder Case

1443. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Bagri:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Hari Vishnu Kamath:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 770 on the 31st August, 1966 and state:

(a) whether any further clue regarding the murder in the Vithal Bhai Patel House, New Delhi has been received;

(b) if so, the action taken in the matter; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative whether Government propose to entrust the investigation to CBI at this stage?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A special team of selected detectives from the Crime Branch, under the supervision of the Superintendent of Police, Crime and Railway and other senior officers investigated this case. The police also recorded the statement of the husband of the deceased. A large number of residents of the flats, labourers of the adjoining huts, residents of servants' quarters, drivers of adjoining taxi stand and a number of other persons were interrogated. The C.P.W.D. employee of Vithal Bhai Patel House who was arrested in this case on suspicion, was also thoroughly interrogated but nothing incriminating was found against him. He was subsequently discharged and the case sent as untraced on 18th July, 1966. On instructions from the Ministry of Home Affairs, the investigation of the case was reopened and the suspected persons were again interrogated thoroughly but without any result. The case will be reopened as and when some useful clue/information becomes available.

(c) In view of the position explained in the statement, it was considered that no useful purpose would be served if this matter was investigated by the Central Bureau of Investigation.

पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए भूमि का आवंटन

1444. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 के पश्चात् पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों का पुनर्वास करते समय सरकार ने उन्हें खेती के लिए भूमि दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1962 से कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	एकड़
आन्ध्र प्रदेश	3,000
उत्तर प्रदेश	1,415
बिहार	1,494
मध्य प्रदेश (डी० एन० के० परियोजना को छोड़कर)	3,226
महाराष्ट्र	6,800
नेफा	1,966
डी० एन० के० परियोजना क्षेत्र (उड़ीसा और मध्य प्रदेश)	29,500 (लगभग)

आसाम और मनीपुर के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय

1445. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय पर विचार करने के लिये भारत में एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तथा कहां किया जायेगा ; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में कौन कौन व्यक्ति होंगे और इस सम्मेलन में अन्य कौन से देश भाग लेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण का संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो जेनेवा (यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फोर दि प्रोटेक्शन आफ इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी, जेनेवा) पूर्व एशियाई देशों का एक सेमिनार कापीराइट के संबंध में नई दिल्ली में जनवरी, 67 में आयोजित करने का विचार कर रहा है ।

(ग) आयोजकों ने अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, लाओस, मलयेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम के प्रतिनिधियों तथा बर्न कापीराइट यूनियन के सभी सदस्य राज्यों और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रेक्षकों को आमंत्रित किया है । भारतीय प्रतिनिधिमंडल के गठन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया र ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली

1446. **श्री बागड़ी** : **श्री रामसेवक यादव** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री मौर्य** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगत कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली की सामान्य सभा की बैठक कब होगी ;

(ख) भण्डारों के आरम्भ होने से अब तक बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में कानूनी औपचारिकताओं का पालन न करने के कारण इन भण्डारों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाहीं करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन के मुख्यायुक्त ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था को 31-7-68 तक बम्बई सहकारी संस्था अधिनियम के कुछ उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देते हुए उक्त अधिनियम के दिल्ली में लागू रूप में की गई व्यवस्थाओं के अधीन एक आदेश जारी किया है। इनमें वह उपबन्ध भी शामिल है जिसके अधीन वार्षिक सामान्य बैठक बुलाना जरूरी है। तदनुसार आशा है कि संस्था की वार्षिक सामान्य बैठक मन् 1968 के उत्तरार्ध में बुलायी जाएगी।

काश्मीर के एक ग्राम पर पाकिस्तानियों का धावा

1447. **श्री बागड़ी :** **श्री बासप्पा :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामसेवक यादव : **श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी घुसपैठियों ने सितम्बर, 1966 के दूसरे सप्ताह में बारामूला जिले के एक ग्राम में धावा बोला और कुछ घरों को लूट लिया ; और

(ख) इस धावे का ब्योरा क्या है और ऐसे घुसपैठियों से सीमा की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख). सम्भवत: गत सितम्बर मास बारामूला जिले की सौपोर तहसील में की गई डकैतियों का हवाला दिया गया है। कहा जाता है कि 10 सशस्त्र व्यक्तियों के एक गिरोह ने बारामूला जिले में बूमे स्थान पर 12 सितम्बर, 1966 को डाका डाला। इस डाके में गिरोह के कुछ सदस्य एक फलों के व्यापारी के घर में जबर्दस्ती घुस गये और पिस्तौल दिखा कर नकदी और जेवर लूट ले गये। संदेह किया जाता है कि वे लोग मूलत: स्थानीय न होकर सीमा पार के इलाके के थे। जब इस अपराध की प्रकृति तथा अपराधियों का पता लगाने के प्रयत्न चल रहे थे तब तक ऐसी ही सुसंगठित डकैती 12/13 सितम्बर, 1966 की रात को बूमे से चौदह मील दूर नदिहाल ग्राम में की गई। अपराधी एक हेडकान्सटेबल के मकान में घुस गये और पिस्तौल दिखा कर उसे अपने साथ जाने के लिये बाध्य किया तथा बाद में खंजर से उसकी हत्या कर दी। इस घटना तथा गिरोह के सदस्यों का ब्योरा भी अपराधियों के विदेशीपन की ओर संकेत करता था। जबर्दस्त खोज के बाद गिरोह के चार सदस्य 14 सितम्बर, 1966 को पकड़े गये। गिरोह का एक सदस्य मुठभेड़ में मारा गया। तीन सदस्यों पर पहले ही श्रीनगर के एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार हमारी सीमाओं को सीमा पार के आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिये सतर्क हैं।

नागालैण्ड और मनीपुर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

1448. **श्रीमती रेण चक्रवर्ती :** **श्री मुहम्मद इलियास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता दिया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भत्ता उन कर्मचारियों को भी देने का विचार है जो मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा भत्तों की दर आसाम में समान पदों के वेतनक्रम और भत्तों पर आधारित है । मनीपुर के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता । क्योंकि आसाम के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता ।

Indian School of International Studies

1449. Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some students who obtained high rank in order of merit in the Vikram University were declared unfit for taking up higher research by the Indian School of International Studies and were also refused admission into the School, whereas others with lesser academic qualifications were admitted;

(b) if so, the reasons for this discrimination; and

(c) whether there has been any shift in the School's admission policy?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) One student who had passed his M.A. examination from the Vikram University and who applied for admission to the School during the session commencing in October, 1966, took the tests and appeared in the interview. He, however. did not fare well and was, therefore, not selected by the Selection Committee.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. The admissions to the School are made on the basis of academic qualifications and performance in a general knowledge test, an essay written by the candidate and an interview.

दिल्ली में शराब का अध रूप से तैयार किया जाना

1450. डा० म० मो० दास
श्री ब० कु० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अवैध रूप से शराब तैयार करने का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष अवैध शराब तैयार करने के कितने मामले पकड़े गये; और

(ग) क्या दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री की दुकानों की कुल संख्या में पिछले दस वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और 1956 से अब तक कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शक्ल) : (क) अवैध रूप से शराब तैयार करने का कार्य कुछ बढ़ा हुआ मालम पड़ता है ।

(ख) सन् 1963, 1964 और 1965 के दौरान पकड़े गए अवैध शराब तैयार करने के मामलों की संख्या क्रमशः 672, 681 और 792 थी ।

(ग) जी हां ।

मद्य निषेध

1451. श्री उटिया : **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 840 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में मद्य-निषेध सम्बन्धी कानूनों और उनके प्रवर्तन में ढील दी गयी है ;

(ख) क्या ढील देने का निर्णय करने से पहले केन्द्र से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार आगामी चुनावों से पहले संघ राज्य-क्षेत्रों और सशस्त्र सेनाओं में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करना चाहती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो असैनिकों और सैनिकों तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी नीतियां अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) मद्य-निषेध वाले राज्यों में मद्य-निषेध सम्बन्धी कानूनों अथवा उनके प्रवर्तन में कोई ढील नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) और (ङ). संविधान में निर्धारित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत नीति राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती है । जिन राज्यों में मद्य-निषेध लागू नहीं है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही अभी तक विचाराधीन है और इस बारे में किया जाने वाला अन्तिम निर्णय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होगा । संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले में अलग रखना उचित नहीं है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में परस्पर विरोधी नीतियां अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता । सशस्त्र सेनाओं के बारे में नीति यह है कि वे मद्य-निषेध नीति को पूर्ण रूप से उस समय लागू करें जब यह राष्ट्रीय आधार पर सभी राज्यों में लागू कर दी जाए तब तक के लिये सशस्त्र सेनाओं में मद्य-पान को हतोत्साहित करने के लिये इस समय लागू नियंत्रण तथा विनियमन पर्याप्त सन्तोषप्रद हैं और इनके अतिरिक्त और कोई कदम उठाने का विचार नहीं है ।

भविष्य निधि में अंशदान

1452. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि में अंशदान करने के मामले में कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से दोषी है ;

(ख) क्या अंशदान की बकाया राशि को चुकाने में उन उद्योगों की सहायता करने के लिये सरकार का एक विशेष ऋण जारी करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने शोलापुर मिल्स की ओर से जिनको भविष्य निधि में अंशदान के रूप में राशि चुकानी थी काफी बड़ी राशि का भुगतान किया है ; और

(घ) कौन सी अन्य कपड़ा मिलों ने, अपने संकट में संघ सरकार से सहायता मांगी थी और उनको दी गई राशि को पुनः वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने शोलापुर मिल्स को 94 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया । श्रमिकों को भविष्य निधि अंशदान का उनका हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत बनाये गए स्पेशल रिजर्व फंड में से किया गया ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इंडिया यूनाइटेड मिल्स, बम्बई को उनकी सम्पत्ति के बंधक में 150 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई ; उतनी ही धन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है । निम्नलिखित मिलों की भी सहायता करने का फैसला किया गया है ताकि वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों से या वाणिज्यिक बैंकों से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आधी-आधी गारंटी देने पर सीधे ऋण प्राप्त कर सकें :--

मिल का नाम	राशि
	(रुपये लाखों में)
1 म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर	80
2 डिगविजय स्पिनिंग एंड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	30
3 इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर	25
4 न्यु कैसर-इ-हिन्द स्पिनिंग वीविंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	50

गोवा उर्वरक कारखाना

1453. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० कर्णी सिंहजी :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुधांशु दास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित गोवा उर्वरक कारखाने के अमरीकी सहयोगी ने महाराष्ट्र, गोवा तथा मैसूर की मंडियों में अन्य उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह आयातित तथा देशी उर्वरकों के इस प्रकार विपणन की अनुमति न दे जिससे गोवा परियोजना के लिए अनुचित प्रतिद्वन्दता हो जाये ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में तथा मूल्य निर्धारित करने की नीति के संबंध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अन्य उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के इस पक्ष के प्रस्ताव से सरकार सहमत नही हुई क्योंकि यदि ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया तो उर्वरक वितयण के लिये खुली मण्डी की शर्तें पूरी नहीं हो सकेंगी जिनकी सभी गैर-सरकारी उर्वरक परियोजनाओं ने मांग की है । तथापि, सरकार यथासंभव यह सुनिश्चित करेगी कि कम्पनी को अनुचित प्रतिस्पर्धा न करनी पड़ें । जहां तक मूल्यों का संबंध है, नीति यह है कि 31 मार्च, 1967 तक लाइसेंसशदा सभी उर्वरक परियोजनाओं को अपने मूल्य निर्धारित करने और वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने से सात वर्ष तक अपने वितरण को संगठित करने की स्वतन्त्रता होगी बशर्ते कि सरकार यदि चाहे तो तय किये गये मूल्य पर 30 प्रतिशत उत्पादन ले सकती है ।

स्वामीनाथ विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल अनकारा-पोन्नानी, पालघाट

1454. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वामीनाथ विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल अनकारा-पोन्नानी, पालघाट का दर्जा बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां हाई स्कूल कक्षाएं कब चालू हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि स्थानीय लोगों ने खेल के मैदान को बड़ा बनाने के लिए तीन एकड़ तथा स्कूल भवन बनाने के लिये पांच एकड़ भूमि दे दी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह स्कूल 13 अपर प्राइमरी तथा लोयर प्राइमरी स्कूलों के बीच स्थित है ;

(ङ) क्या स्कूल को अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं । स्कूल अभी भी एस० वी० जी० बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल अनकारा से सम्बद्ध एक आदर्श स्कूल के रूप में मौजूद है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी हां । 1964-65 के दौरान अनकारा में खुले नये गवर्नमेन्ट हाई स्कूल को, जो इस समय एस० वी० जी० बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल भवन के एक भाग में स्थित है, दूसरी जगह ले जाने का एक प्रस्ताव है ।

(च) एक स्थानीय जमींदार गवर्नमेन्ट हाई स्कूलों अनकारा को 6 एकड़ जमीन और अस्थायी आवास तथा एक सुरक्षित कमरा मुफ्त देने के लिए राजी हो गये हैं। प्रस्तावित स्थान, एस० वी० बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल, अनकारा से जहां हाई स्कूल इस समय काम कर रहा है, लगभग एक मील की दूरी पर है।

उत्तर प्रदेश के उप-कुलपतियों का सम्मेलन

1455. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 414 के उत्तर के संबंध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के नैनीताल में हुए सम्मेलन में किये गये सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, हाँ।

(ख) विश्वविद्यालयों को सहायता देने के प्रस्तावों पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनके गुण-दोषों को देखते हुए विचार किया जाएगा और वे जितनी सहायता देने की आवश्यकता समझेंगे उतनी सहायता दी जाएगी ।

प्रधान मंत्री की सभा में भगदड़ के बारे में जांच

1456. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री प्रधान मंत्री के भाषण के बाद भगदड़ के बारे में 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 389 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच आयोग नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने सरकार को इस बीच कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। आशा है कि आयोग अपना प्रतिवेदन 30 नवम्बर, 1966 तक दे देगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में चोरी की घटनायें

1457. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कारवाई की गई है ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस में इस प्रयोजन के लिए एक विशेष दस्ते की स्थापना के हेतु विशेष नियत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं:—

(i) स्थानीय पुलिस द्वारा नामी बदमाशों, ज्ञात चोरों तथा सेंध मारों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी ।

(ii) जिन क्षेत्रों से भारी संख्या में चोरी के मामलों की सूचना मिले उनमें सादा वर्दी तथा वर्दीधारी पुलिस द्वारा जबर्दस्त गश्त ।

(iii) गुण्डों के खिलाफ दंड प्रक्रिया-संहिता की निरोधक धाराओं के अधीन समय समय पर कार्यवाही ।

(iv) सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध को कम करने के लिए नाकाबन्दी और जाल बिछाना ।

(v) गिरह-कटी और साइकिल चोरी के मामलों में रंगे हाथ गिरफ्तार होने वालों की गहरी छानबीन ।

(vi) घरेलू नौकरों के पंजीकरण के लिए ज़ोरदार अभियान ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोचीन में उर्वरक कारखाना

1458. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक उर्वरक कारखाना खोला जाने वाला है ;

(ख) यदि हां तो उसमें कब से उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) इससे देश की आवश्यकता कहां तक पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) 1969 के मध्य तक ।

(ग) आशा है कि यह संयंत्र प्रति वर्ष 145,000 टन नाइट्रोजन उर्वरक पैदा करेगा और इस हद तक यह देश की आवश्यकता को पूरी करेगा ।

चीनी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

1459. **श्री प० कुन्हन :**
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड ने श्रमिकों के लिए अंतरिम सहायता की सिफारिश की है और यदि हां, तो कब; और

(ग) मजूरी बोर्ड अपने प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दे देगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) मजूरी बोर्ड ने जांच-पड़ताल के अन्तर्गत विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए चार बैठकें की हैं। एक व्यापक प्रश्नावली भी जारी की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि बोर्ड अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप कब तक दे सकेगा ।

बिजली कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

1460. **श्री प० कुहन :**
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने बिजली कर्मचारियों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड ने मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है और यदि हां तो कब तक ;

(ग) क्या मजदूर संगठनों तथा मालिकों के संगठनों को कोई प्रश्नावली भेजी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मजूरी बोर्ड ने अब तक तीन बैठकें की हैं ।

(ख) बोर्ड को इस मामले की जानकारी है, परन्तु उसने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ग) और (घ) अभी तक नहीं। अक्तूबर, 1966 में हुई बैठक के सामने प्रश्नावली का मसौदा रख दिया गया था और इसे सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में 21–22 नवम्बर को होने वाली आगामी बैठक में अन्तिम रूप दिए जाने का विचार है।

'इन्टरनेशनल टेलीग्राफ आफिस'

1461. **डा० मेलकोटे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल टेलीग्राफ आफिस को एक आदर्श तारघर समझा जाता है और कर्मचारियों की व्यवस्था बिना किसी नियम के आधार पर की जाती है ;

(ख) क्या उन लोगों को नियुक्त किया जाता है जो अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं को ठीक प्रकार समझ और बोल नहीं सकते और इससे पर्यटकों तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या टेलीफोन यंत्रों, टाइपराइटरों तथा उपयुक्त कक्षों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण पार्टियों से फोनोग्राम बहुत विलम्ब के बाद मिलते हैं;

(घ) क्या यह कार्यालय प्रति दिन 10,000 रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कर्मचारियों की व्यवस्था बिना किसी सूत्र के आधार पर नहीं की जाती।

(ख) इस कार्यालय में निम्न स्तर के कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किये जाते।

(ग) हालांकि अधिकांश फोनतार 20 मिनट के भीतर मिल जाते हैं पर अत्यधिक व्यस्त समय के दौरान कुछ मामलों में देरी हो जाती है।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अत्यधिक व्यस्त समय के दौरान फोनतारों का शीघ्रता से निपटान करने की व्यवस्था की जा रही है।

तार इंजीनियरिंग तथा यातायात अधिकारियों के स्थानान्तरण

1462. **डा० मेलकोटे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तार इंजीनियरिंग तथा यातायात के कितने अधिकारियों को छः वर्ष से अधिक अवधि तक दिल्ली में रहने दिया गया है ;

(ख) वर्ष 1965 तथा 1966 में कितने ऐसे स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया और इसके क्या कारण थे ;

(ग) डाक व तार विभाग के यातायात तथा इंजीनियरिंग शाखा में अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) क्या डाक व तार निदेशालय उक्त नीति का पूरी तरह पालन करता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा-संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

इन्टरनेशनल टेलीग्राफ आफिस, नश नई दिल्ली

1463. **डा० मेलकोटे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल टेलीग्राफ आफिस, नई दिल्ली का निरीक्षण तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग निरन्तर 24 घंटे नहीं करते, विशेषकर शाम को और रात्रि में जब कि सबसे अधिक संख्या में यहां से तार आते जाते हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रभावी निरीक्षण के अभाव के कारण ही स्वर्गीय एयर मार्शल मुकर्जी की मृत्यु का केबल असाधारणतः बिलम्ब से मिला था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी कार्य प्रणाली पर पुनर्विचार करने का है जिससे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए 24 घंटे उचित तकनीकी निरीक्षण रहे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगनाथ राव) : (क) कार्यालय में योग्यता-प्राप्त कर्मचारियों के अधीन पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था है। प्रातः काल 2.00 बजे से 6.00 बजे तक की अवधि के दौरान भी, जब कि काम बहुत कम होता है, ड्यूटी पर रहने वाले वरिष्ठ तार प्रचालक की जिम्मेवारी होती है।

(ख) जी नहीं। उस समय हुई ढाई घंटे की देरी व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की भूल के कारण हुई थी जिन के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्डुआडीह् कोयला खान के खनिकों द्वारा भूख हड़ताल

1464. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रं० रं० चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ब० कु० दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 सितम्बर, 1966 से केन्डुआडीह् कोयला खान के 140 खनिक उस खान में लगभग 1000 फुट की गहराई पर अंधेरे में भूख हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या कुछ खनिकों को उस खान से बाहर निकाल कर धनबाद अस्पताल में ले जाना पड़ा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) से (ग) केन्डुआडीह् कोयला खान के 150 खनिक वेतन और बोनस की बकाया रक़म की मांग पूरा कराने के लिए 12 से 17 सितम्बर, 1966 तक भूमि के नीचे "अन्दर रुको" हड़ताल पर चले गये। कुछ हड़ताली मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। केन्द्रीय समझौता मशीनरी के हस्तक्षेप पर उस समय तक के बकाये की सारी अदायगी बाद में की गई।

श्रम सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति

1465. **श्री सुबोध हंसदा**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी उपक्रमों में श्रम कानूनों की क्रियान्विति तथा मालिक-मजदूर सम्बन्ध के बारे में मूल्यांकन अध्ययन कराने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को करने के लिए एक समिति अथवा कोई संगठन स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा और क्या यह कार्य प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के क्रियान्विति और मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रशासक मंत्रालय और संबंधित राज्य के श्रम विभाग के सहयोग से पहले ही अध्ययन किए जा रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को तीन साल में कम से कम एक बार अध्ययन करने का विचार है ।

ऐलकोहल की मांग

1466. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ऐलकोहल की मांग में कमी हो चुकी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में मांग में कमी हो जाने के कारण ऐलकोहल उत्पादनकर्ताओं को कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या उस उत्पादन का कुछ भाग निर्यात किया जाता है ;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पादनकर्ताओं को राहत मिली है ; और

(ङ) क्या इस बात को देखते हुए कि इस समय पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस कार्य में विस्तार की अनुमति दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं। बरेली (उत्तर प्रदेश) के कृत्रिम रबड़ के कारखाने में एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप कारखाने के अस्थायी रूप से बन्द रहने के कारण वर्ष के पूर्वार्द्ध में माल धीरे उठाया गया था ।

(ख) बरेली में कृत्रिम रबड़ संयंत्र द्वारा ऐलकोहल लिया जाना अचानक बन्द किये जाने के कारण कम माल उठाये जाने और ऐलकोहल निकालने वाले कारखानों में माल के पूरा भर जाने के कारण एक या दो कारखानों को कठिनाई उठानी पड़ी थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी हां, बहुत बड़ी हद तक ।

(ङ) 13 मई, 1966 को सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत 'शक्ति ऐलकोहल' को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजीकरण और लाइसेंस की छूट दी गई है जिसका अर्थ है कि नया एकक स्थापित करने या विद्यमान एकक को बड़ा करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । ऐलकोहल की स्वदेशी मांग में किसी भी कमी को निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है ।

पश्चिमी बंगाल में बागान श्रमिक

1467. श्री कोल्ला वेंकया : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में चाय बागान श्रमिकों ने अगस्त, 1966 में सामान्य हड़ताल आरम्भ कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या थीं; और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग क संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी का शीघ्र निर्धारण ।

(2) 1959 की न्यूनतम मजूरी अधिसूचना के अनुसार महंगाई भत्ता की बकाया राशि की अदायगी ।

(3) मेनन कमीशन के निष्कर्षों के अनुसार 1954 के आंकड़े के बराबर प्रति एकड़ श्रमिकों का अनुपात करना ।

(4) कार्यभार में कमी ।

(5) सेवा निवृत्त आयु और ग्रेच्युटी या पेंशन द्वारा सेवा वृत्ति लाभ ।

(6) राशन के खाद्यान्न के मूल्य में कमी और राशन लेने के लिए आश्रितों की संख्या पर लगाई गई पाबन्दी हटाना ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार की औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के हस्तक्षेप से समझौता हो गया ।

Allotment of Land to Immigrants

1468. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give forest land in U.P., Madhya Pradesh and Himachal Pradesh to persons migrating from Pakistan, Burma and Ceylon during 1960 to 1965 or to other landless persons for cultivation;

(b) if so, the terms on which the land will be given; and

(c) the number of persons who have been given such land so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) In U.P., no general decision has been taken to allot forest land to immigrants or other people, but the State Government have, as a special case, utilized 1,500 acres of forest land for rehabilitating certain families of East Pakistan migrants. In Madhya Pradesh, reclaimed forest land is being given to migrant families from East Pakistan. There has been no decision to give forest land in so far as Himachal Pradesh is concerned.

(b) The terms and conditions have not yet been finalised.

	Migrant families	
(c) (i) U.P.	330	
(ii) (a) Madhya Pradesh (excluding areas included in Dandakaranya Project).	635	
(b) Areas of Madhya Pradesh included in Dandakaranya Project.	2835	+495 tribal families.
Total:	4295	

Border Police Posts on Khemkaran

1469. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Punjab Government have requested that the work relating to the establishment of Police posts on Khemkaran Border should be completed;

(b) if so, the action being taken by the Central Government in this regard; and

(c) the time by which the work is likely to be completed?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Murder Threat by Mizos

1470. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 4 dated the 17th August, 1966 and state:

(a) whether an enquiry has been made regarding the author of the letter holding out a murder threat by Mizo rebels to the editor of an Assam newspaper;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when the report is likely to be received?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The writer of the letter could not be traced and it has not been established beyond doubt that the letter was initiated by the Mizo rebels.

(c) Does not arise.

Pay-scales of Librarians in Aided Schools in Delhi

1471. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:
Shri Kindar Lal:
Shri Vishva Nath Pandey:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1852 on the 10th August, 1966 and state:

(a) whether Government have since received any reply from the Delhi Administration regarding the pay-scales of the Librarians working in aided schools in Delhi;

(b) if so, a brief description thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in this matter?

The Deputy Ministr in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). The Delhi Administration asked for clarification on certain points which has since been furnished to them and the Administration have been asked to decide the matter expeditiously. It is expected that the decision will be taken by the Administration shortly.

Assistants in the Ministry

1472. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Assistants working in his Ministry and the number out of them who are Graduates or are more highly qualified; and

(b) the number out of them whose Hindi qualification is upto the standard of Matriculation or above?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) 234; Out of them 153 are graduate and above.

(b) 102.

Number of Stenographers and Gazetted Officers

1473. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Gazetted Officers and Stenographers separately in the Central Secretariat as in December, 1948; and

(b) their number separately as in March, 1966?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Expenditure on Fertilizers

1474. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the amount of expenditure incurred over manufacturing fertilizers other than compost manure during the last five years; and

(b) the amount proposed to be allotted for the above during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) The capital expenditure incurred for the last five years was about Rs. 148.45 crores.

(b) Rs. 493.00 crores for fertilizers and pesticides.

Import of Oil from U.S.S.R.

1475. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of oil so far imported from the U.S.S.R. and, whether any quota has been fixed for the States;

(b) if so, the quota fixed for each State; and

(c) whether the distribution of oil has also been entrusted to private firms?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) The total import of oil products from 1960 to September, 1966 is 40,01,578 tonnes. No quotas of these imports have been fixed for the different States.

(b) Does not arise.

(c) M/S. Hindustan Organisers Private Limited, who have an agreement with the Indian Oil Corporation Limited regarding the purchase of some Kerosene for distribution and agents of the Indian Oil Corporation, handle Soviet Oil products.

Reorganisation of Education Ministry

1476. **Shri Vishram Prasad:**
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has been reorganised recently;

(b) if so, the number of Gazetted posts increased as a result thereof; and

(c) the additional annual expenditure on these increased Gazetted posts?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No additional gazetted post was created as a result of the recent reorganisation of work in the Ministry. In fact, two senior posts were reduced resulting in an annual saving of Rs. 70,000 approximately.

रीजनल इंजीनियरी कालेज, कालीकट

1477. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीजनल इंजीनियरी कालेज, कालीकट में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में शिक्षा सम्बन्धी दौरों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या यह सच है कि कालेज में पीने के पानी की कमी है और अध्यापकों की कमी के कारण अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को चुने हुए विषय पढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार को विद्यार्थियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 852।

(ख) 26,647.73 रुपये ।

(ग) जी, नहीं । इस समय कालेज और छात्रावास की इमारतों में पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है, ताकि अन्तिम वर्ष के विद्यार्थी वैकल्पिक विषयों में परीक्षा दे सकें ।

(घ) जी, हां। विद्यार्थियों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर कालेज के गवर्नरों के बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाए हैं ।

केरल पोलिटेक्नीक इंस्टीट्यूट

1478. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री उमानाथ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले शिक्षा वर्ष तक केरल पोलिटेक्नीक इंस्टीट्यूट से वेष भूषा डिजायन करने तथा ड्रैस बनाने का डिप्लोमा लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उन्हें क्या क्या सरकारी नौकरियां दी जाती हैं और जिन डिप्लोमा प्राप्त लोगों को नौकरी दी गई हैं, उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार डिप्लोमा-प्राप्त लोगों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 94 ।

(ख) वेष भूषा डिजायन करने तथा पोशाक बनाने के पाठ्यक्रम का प्रयोजन यह है कि युवा महिलाओं में इस पेशे में प्रवीणता विकसित की जाए और उन्हें जिन्दगी में लाभ वाले रोजगार के लिए तैयार किया जाए। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पहले से विद्यमान हैं और पोशाक बनाने के उद्योग में और विकास के साथ साथ बढ़ रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि वे सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में ही बढ़ रहे हों । केरल सरकार द्वारा 8 डिप्लोमा वालों को नौकरी दी गई है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इस डिप्लोमा वालों को अधीनस्थ पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए मान्यता दी है और जहां भी सम्भव हुआ इस डिप्लोमा को भर्ती के लिए विहित किया गया है ।

सीमा पुलिस

1479. **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में सीमा पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सीमा सुरक्षा दल को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गये हैं। इसकी दक्षता को बढ़ाने और कमियों को दूर करने की दृष्टि से इन उपायों का लगातार पनिरक्षण होता रहता है।

देशबन्धु गुप्ता मार्केट में शरणार्थियों को दुकानों का दिया जाना

1480. **श्री कजरोल्कर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959 में शरणार्थियों को देशबन्धु गुप्ता मार्केट में कुछ दुकानें दी गई थीं और उनसे 4010. 90 रुपये प्रति दुकान देने को कहा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अलाटियों से 1965 में इन दुकानों के मूल्य के रूप 100 रुपये अधिक देने को कहा गया तथा 100 रुपये पर 1959 से पूरी अवधि का ब्याज देने को भी कहा गया ;

(ग) क्या सरकार को 100 रुपये पर ब्याज देने के औचित्य के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा प्रत्येक अभ्यावेदन को निबटाने में कुल कितना समय लगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां। यह सच है कि देशबन्धु गुप्ता मार्केट की कुछ दुकानों की कीमत अलाटियों को 4222 रु० बताई गई थी और भूमि के मूल्य पर 10 प्रतिशत छूट दिये जाने के बाद जो कि उस समय अनुज्ञेय था, शेष देय राशि 4010.90 रु० बैठती थी। तथापि, 1960 में मूल्यांकन कर्मचारियों की जानकारी में यह बात आई कि दुकानों का सही मूल्यांकन 4322 रु० था न कि 4222 रु० जैसा कि पहले सूचित किया गया था। भूमि की कीमत पर छूट देने के बाद शुद्ध देय राशि 4110.90 रु० थी। इस वृद्धि के बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों को जानकारी समय समय पर दी गई थी और इस अतिरिक्त 100 रुपयों पर अभी तक किसी से भी ब्याज वसूल नहीं किया गया है।

(ग) क्योंकि इस अतिरिक्त 100 रु० की राशि पर किसी ब्याज की मांग नहीं की जा रही है, इसलिए इसके विरुद्ध किसी अभ्यावेदन का प्रश्न ही नहीं उठता है और ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देशबन्धु गुप्ता मार्केट में दुकानों का अलाटमेंट

1481. **श्री काजरोलकर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशबन्धु गुप्ता मार्केट, नई दिल्ली में दुकानों के अलाटियों द्वारा पूरी कीमत दे दिये जाने के बावजूद उनके बार बार प्रार्थना करने पर भी उनको इन दुकानों के हस्तान्तरण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) इस प्रकार के कितने मामले इस समय लम्बित हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले को निपटाने में देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां। कुछ मामले ऐसे हैं जहां दुकानों की कुल कीमत प्राप्त कर लेने पर भी यह सम्भव नहीं हो सका है कि उन्हें हस्तांतरण पत्र दिये जा सकें, क्योंकि जिन्हें दुकान दी गयी हैं, उन्होंने या तो अपनी दुकानों के लिये अन्य देय राशियों का भुगतान नहीं किया है या हस्तांतरण पत्र तैयार करने के लिये आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

(ख) और (ग). ऐसे चार मामले अभी विचाराधीन हैं। इन मामलों में दुकानों के लेने वाले व्यक्तियों ने अपने साथियों से "कोई आपत्ति नहीं।" प्रमाणपत्र लेकर पेश नहीं किये हैं जो हस्तांतरण पत्र तैयार करने के लिये आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, एक की तो अभी गृह-कर के रूप में 32.95 की राशि का भी भुगतान करना है।

अगरतला में अत्याचार

1482. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कैदियों के एक दल ने, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, अगरतल्ला के मुख्यायुक्त को, अगरतला सेन्ट्रल जेल में किये जा रहे अत्याचारों के विरोध में एक अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच के समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश को क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (घ). अगरतला सैन्ट्रल जेल में ऐसे कैदियों के एक दल ने, जिसमें बीरेन दत्त भी शामिल हैं, और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त को 11 सितम्बर, 1966 को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें भोजन, मिलाइयों, पत्रों, फर्नीचर, प्रसाधन सामग्री, वस्त्रों तथा अन्य ऐसी सुविधायें नहीं दी जा रही थीं, जिन्हें प्राप्त करने का उन्हें अधिकार था। श्री दत्त ने जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार की भी शिकायत की थी। मुख्य आयुक्त ने जांच का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की पूरी तरह जांच की किन्तु उन्हें इन आरोपों का कोई आधार नहीं दिखाई दिया। उन्होंने इन बन्दियों को कोई वचन अथवा आश्वासन नहीं दिया। अतः किसी आश्वासन की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के न्यायालयों में मुकदमें

1483. **श्री मु० बि० भार्गव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मुकदमों, सिविल सेकिन्ड अपीलों, सिविल फर्स्ट अपीलों, सिविल पुनर्विचार अपीलों, फौजदारी अपीलों, फौजदारी पुनर्विचार अपीलों, लेख याचिकाओं तथा अन्य विविध मुकदमों की संख्या क्या है ; जो

(एक) राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर बैंच में उसके समाप्त होने से पहले के एक वर्ष में दायर किये गये थे ;

(दो) राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर बेंच में राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना से पहले के एक वर्ष में दायर किये गये थे ; और

(तीन) विभिन्न डिवीज़नों अर्थात् अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर तथा बीकानेर से पृथक पृथक पत्नी वर्ष 1957 से 1966 तक प्रति वर्ष तथा जनवरी, 1966 से जून, 1966 की अवधि में दायर किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (एक) से (तीन) : जो सूचना मांगी गई है उसको बताने वाले तीन विवरण संलग्न हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7730/66।]

मिजो नेशनल फ़्रण्ट के नेता

1484. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लाल डांगा तथा मिजो नेशनल फ्रन्ट के अन्य नेता जो कि पूर्वी पाकिस्तान में हैं और वहां से मिजो पहाड़ियों में विद्रोह का संचालन और नेतृत्व कर रहे हैं, हाल ही में तथाकथित

मिजो नेशनल फ्रन्ट की उत्तरी और दक्षिणी कमान की बैठक में भाग लेने मिजो क्षेत्र की पहाड़ियों में आये और पुन : पूर्वी पाकिस्तान वापस चले गये ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थितियों में ये लोग सीमा के आर-पार जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कहा जाता है कि लाल डांगा पूर्वी पाकिस्तान गया था और मिजो पहाड़ी जिले में लौट आया है। किन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसने तथाकथित मिजो नेशनल फ्रन्ट की उत्तरी और दक्षिणी कमान की बैठक में भाग लिया है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता। मिजो पहाड़ी जिले और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमाओं के आर-पार आने जाने से रोकने के लिये यथासम्भव सभी सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं।

Kidnapping by Nagas

1485. Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 356 on the 27th July, 1966 and state:

(a) whether the enquiry into the case of kidnapping of persons by the Naga hostiles has been completed;

(b) if so, the brief particulars thereof; and

(c) if not, when it is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Out of the two incidents of kidnapping, inquiry in respect of the incident of the 15th April, 1966, has been completed. A case under the various provisions of the I.P.C. and Indian Arms Act has been registered. The case is pending in the court.

Inquiry regarding the incident on 20th April, 1966 is in progress and is expected to be completed very shortly.

Engineers Registered at Delhi Employment Exchange

1486. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 500 engineers have been registered at the Delhi Employment Exchange;

(b) whether it is also a fact that the names of these persons were registered three years back, but no steps have been taken to provide them employment; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) No.

(c) The Employment Exchanges are making all possible efforts to place these engineers in suitable employment by sponsoring them against notified demands.

मद्रास और कोचीन में इण्डियन आयल कार्पोरेशन के कर्मचारी

1487. **श्री वारियर :** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुभवी पेट्रोलियम कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारियों पर तरजीह देकर तेल उद्योग में अनुभवहीन बहुत से नये लोगों को इण्डिडन, आयल कारपोरेशन के कोचीन और मद्रास स्थित तेल प्रतिष्ठानों में नौकरी पर रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन की क्या नीति है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में नय्यर बांध के निवासियों को भूमि

1488. **श्री इम्बीचीबावा :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने नय्यर बांध के निवासियों को वह भूमि, जिस पर वे बस गये हैं , उनको ही स्थायी रजिस्ट्री के अधार पर देने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि संसदीय परामर्शदात्री समिति ने भी यही सिफारिश की थी ;

(ग) क्या नय्यार्टिकारा जिले (केरल) की वेल्लारडा पंचायत ने नय्यर बांध के निवासियों की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य मागें की गई है ; और

(ङ) इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपसमिति ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि क्या समान्यतः भू-संरक्षण के प्रभावशाली उपायों को अपना कर और विशेषतः नय्यर बांध की 10 शृंखला पट्टी से विस्थापन न करके 10 शृंखला पट्टी प्रायोजनाओं से लोगों का विस्थापन रोका जा सकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) उनकी मुख्य मागें यह हैं :—

(i) निवासियों को विस्थापित न करना ।

(ii) भुमि को स्थायी रजिस्ट्री के अधार पर देना ।

(ङ) ऐसा निर्णय किया गया है कि जब तक उप समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक किसी को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं और वन्यभूमि पर कब्जे के मामलों में भी यथास्थिति को बनाये रखा जाए ।

केरल बन्द के दौरान रजिस्टर किये गये मामले

1489. **श्री इम्बीचीबाबा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) हाल ही में केरल बन्द आन्दोलन के दौरान कोजीकोड जिले (केरल) के बडगरा और एडीचेरी थानों में कितने मामले दर्ज किये गय हैं ;

(ख) उन मामलों में कितने व्यक्तित अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) क्या सरकार सब अनिर्णीत मामलों को वापिस लेने के लिये सहमत हो गयी है और क्या सरकार ने केरल सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को भी ऐसा ही आश्वासन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कितने मामले वापिस ले लिये हैं ; और

(ङ) कितने मामले अब भी विचाराधी हैं उस क कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केरल बन्द तथा तत्संबन्धी आन्दोलन के बारे में बडगारा थाने में 12 और एडीचेरी थाने में 3 मामले दर्ज किये गय ।

(ख) 220

(ग) जी नहीं । सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । किन्तु केरल विधान परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष, समिति के अभिमत के इस निर्विरोध निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराने के लिये सहमत हो गये कि सभी मामले वापिस ले लिये जाएं ।

(घ) अब तक 172 मामलों को वापिस लेने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(ङ) 50 मामले । ये मामले अभी विचाराधीन हैं क्योंकि ये गम्भीर प्रकृति के हैं ।

असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में हिन्दी

1490. **श्री सेझियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1967 को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट ग्रेट परीक्षा में हिन्दी को कल्पित माध्यम बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं को छोड़ कर केवल हिन्दी को ही वैकल्पिक माध्यम बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में वैकल्पित माध्यम के रूप में हिन्दी को 1964 से लागू किया गया ।

(ख) 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार ने 1964 में तथा उसके बाद होने वाली असिस्टेंट ग्रेड परीक्षाओं के कुछ प्रश्न-पत्रों का उत्तर

देने के लिये वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी को लागू करने का निर्णय किया। तदनुसार 1964 तथा उसके बाद होने वाली असिस्टैन्ट परिक्षाओं में यह विकल्प दिया जाता रहा है।

अभिभावक तथा शिक्षक परिषद्, दिल्ली

1491. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अभिभावक तथा शिक्षक परिषद् दिल्ली ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद की मुख्य मागें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). इस संबंध में लोक सभा में 31-8-66 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3902 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

कोयला उद्योग द्वारा लाभ सहभाजन बोनस भुगतान

1492. श्री दाजी : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के लिये लाभ सहभाजन बोनस के भुगतान के बारे में कोयला खान मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच कलकता तथा दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बातचीत में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो मज़दूरों ने क्या क्या मांगें रखी थी और उनपर मालिको की प्रतिक्रिया क्या थी ; और

(ग) द्विपक्षीय समिति ने क्या-क्या निर्णय किये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) मज़दुरों की यह मांग है कि ऐसी सब कोयला खानों को, जिनका वित्तीय वर्ष 31-3-66 को समाप्त हुआ, 1965 के वर्ष का बोनस 1966 के नवम्बर के अन्त तक अदा कर देना चाहिए। नियोजकों ने बोनस की अदायगी की समय-सीमा 31-3-1967 तक या सरकार द्वारा मुल्य वृद्धि की मंजूरी की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक जो भी पहले हो बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है।

(ग) नियोजकों और मज़दूरों के प्रतिनिधियों की बैठकें होती रही हैं और वे बोनस अदायगी के लिये समयावधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विमर्श करते रहे हैं ताकि वे अदायगी के लिए परस्पर स्वीकृत समयावधि पर सहमत हो सकें। अब तक जो चर्चा हुई है, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है और सम्बन्धित पक्ष आगे चर्चा के लिए फिर मीटिंग करने वाले हैं। इन चार्चाओं के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Arms Captured from Mizo Hostiles

1493. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the arms captured from Mizo hostiles in various combats were found to be of Indian make;

(b) if so, whether Government have made an enquiry as to how these arms fell into their hands; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, in some cases.

(b) Majority of these arms fell into the hands of Mizo hostiles when they launches the initial attacks on the posts of Assam Rifles and Civil Police on 28th February/1st March, 1966. Subsequently, some arms fell into their hands when the Mizos ambushed the Security Forces.

(c) Does not arise.

संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी

1494. श्री मुहम्मद कोया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाने के लिये कोई पत्र भेजा है; और

(ख) क्या यह प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं द्वारा गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों को दिये गये आश्वासनों के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज का योगदान

1495. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज के योगदान के बारे में 26 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं तो उन पर कब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं और इस सम्बन्ध में उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की दिसम्बर 1966 में होने वाली बैठकों में इन पर विचार किया जायेगा । भारत सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के विचारों से अवगत होने के बाद ही कोई निर्णय करेगी ।

कृषि प्रधान शिक्षा

1496. श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 सितम्बर, 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इसआशय का समाचार पढ़ा है कि कृषि का आधुनिक और प्रौद्योगिकीय तरीके पर विकास करने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्री ने शिक्षा को कृषि प्रधान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोन्दरम रामचंद्रन्) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इससे राजी हो गई है कि खेती का नये वैज्ञानिक ढंग पर विकास करने की तुरन्त जरूरत है और शिक्षा इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा बंटा सकती है ।

इंजिनियरिंग कालेजों के लिए प्रोफेसर

1497. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध इंजीनियरिंग कालेजों के लिए वरिष्ठ वेतन-क्रम वाले प्रोफेसरों के बहुत से पद मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन नियुक्तियों को स्थगित करना विशेषकर विज्ञान के विषयों में जिनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था इन विश्वविद्यालयों के मूल विज्ञान विभागों में पहले से विद्यमान है मितव्ययता समिति के प्रस्तावों के अनुकूल नहीं होगी; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) जिन तीन केन्द्र शासित विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी की फैकल्टी है उनमें से केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ एक इंजीनियरी कालेज संलग्न है । इस कालेज के तीसरी योजना सम्बन्धी विस्तार कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए प्रोफेसरों के तीन पद मंजूर किये गये हैं ।

(ख) और (ग). दिल्ली इंजीनियरी कालेज दिल्ली, दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इस कालेज के अलावा कर्मचारियों के प्रश्न पर विचार करते समय दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं पर ध्यान नहीं रखा जा सकता ।

हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, केरल

1498. श्री मुहम्मद कोया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले से केरल में एक हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इसके लिये अभी तक स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने त्रिवेन्द्रम में एक नया हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिए जून 1966 में प्रशासनिक मंजूरी दी थी । केरल सरकार अब उपस्कर फर्नीचर की खरीद और कालेज के लिए अध्यापकों की भर्ती आदि जैसे सभी आवश्यक कदम उठा रही है । सम्भव है कि अगले शिक्षा वर्ष से कालेज काम करना शुरू कर देगा ।

Central Hindi Directorate and Commission on Scientific and Technical Terminology

1499. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the S.I. Unit of the Ministry of Finance which inspected the work of the Commission on Scientific and Technical Terminology and of the Central Hindi Directorate, has not taken into consideration the existing as well as the future policies regarding Hindi and the schemes to be undertaken by these two offices in future; and

(b) if so, what step do Government propose to take to remedy the situation so that the development of Hindi is not adversely affected in the future?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) The S.I. Unit of the Ministry of Finance has furnished its Report only on the work of the Central Hindi Directorate. The Report on the work of the Commission for Scientific and Technical Terminology is awaited.

The Report on the Central Hindi Directorate takes into consideration the staff requirements, on the basis of existing schemes implemented by the Directorate, which has been assessed in consultation with the Director. The Report does not place any ban on the recruitment of additional staff that may be needed by the Directorate for new schemes to be implemented in future.

(b) The question does not arise. Additional staff for implementation of new schemes can and will be sanctioned as and when required.

विशेष टिकट

1500. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव स्वर्गीय श्री हेमरशोल्ड तथा अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री जान कैनेडी की स्मृति में विशेष डाक-टिकट जारी करने के लिये सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) सिक्यूरिटी प्रेस नासिक की मुद्रण-क्षमता सीमित होने और डाक-टिकट के आयातित चिपकने वाले कागज की अत्यधिक कमी के कारण प्रस्तावित डाक-टिकटों को निकालना सम्भव न हो सका ।

Arrest of Pak Spies in Delhi

1501. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two Pakistani spies have been arrested by the C.I.D. from a house near Kamla Market, Delhi;

(b) if so, the items of goods recovered from them; and

(c) the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. Two Pakistani nationals were, however, arrested on 11th October, 1966 from that area under section 14 of the Foreigners' Act, 1946 and on being challaned were sentenced to one month's R.I. and a fine of Rs. 50 each.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली की सेण्ट्रल जेल

1502. श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की सेन्ट्रल जेल का पूरा कार्य-भार दिल्ली प्रशासन ने सम्भाल लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से;

(ग) क्या उपरोक्त जेल के विभिन्न वर्गों के सभी कर्मचारियों को भी दिल्ली प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) 1 अगस्त 1966 ।

(ग) और (घ). 1 अगस्त 1966 से पहिले जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे वही आगे भी जेल में कार्य करेंगे और उन्हें पंजाब/हरियाना राज्य के संवर्ग के अन्तर्गत रखा गया है ।

शैक्षिक मेले

1503. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल प्रदर्शनियां तथा शैक्षिक मेले आयोजित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक योजना प्रायोजित की गई है; और

(ख) यदि हां तो गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किये गये ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीता दिग्रारा गांव का बिहार से उत्तर प्रदेश में मिलाया जाना

1504. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जयप्रकाश नारायण के गांव सीता दिग्रारा को बिहार से निकाल कर उत्तर प्रदेश राज्य-क्षेत्र में मिलाये जाने पर बिहार की विधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने जो उदगार प्रकट किये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या त्रिवेदी पंचाट में परिवर्तन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) और (ख). बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच निश्चित सीमा के अनुसार मौजा सीता दिग्रारा पहले ही से बिहार में है । बिहार तथा उत्तर प्रदेश सीम-परिवर्तन विधेयक 1966 पर बिहार विधान-सभा में वाद-विवाद के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस विधेयक में उस स्थान के बिहार से उत्तर प्रदेश को हस्तान्तरण की बात नहीं है जहां श्री जयप्रकाश नारायण का मकान स्थित है । इसलिए श्री त्रिवेदी के पंचाट में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर दस्तकारी की शिक्षा

1505. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा बहुत पहले नियुक्त किये गये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की थी कि माध्यमिक कक्षाओं के प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक दस्तकारी अवश्य सीखनी चाहिये चाहे उसे व्यवसाय के रूप में अपनाने की उसकी इच्छा हो अथवा नहीं; और

(ख) यदि हां तो माध्यमिक शिक्षा के इस पहलू पर कहां तक ध्यान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चे

1506. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितने बच्चों के लिये बालवाड़ियों की व्यवस्था है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) 1965–66 में 3–6 आयु वर्ग में 403 लाख।

(ग) इस समय लगभग 20,000 बालवाड़ियां हैं, जिनमें लगभग 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं।

विद्यार्थियों की कुल संख्या

1507. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के आखीर तक विद्यार्थियों की संख्या 7.209 करोड़ होने का अनुमान है।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के मुकाबले में यह बढ़ोत्तरी लगभग 2.383 करोड़ है।

श्रम मंत्रालय की शक्तियां

1508. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** :
श्री किन्दर लाल :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री श्रम अदालतों की शक्तियों के बारे में पूछे गये 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1902 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अदालतों की शक्तियों में वृद्धि करने के मामले पर सरकार ने अन्तिम रूप में विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1966 जो राज्य सभा में 6 सितम्बर, 1966 को पेश किया गया था, श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों को आवश्यक अधिकार देने की व्यवस्था करता है।

(ख) यह विचार है कि यदि किसी श्रमिक को नौकरी से हटाने या उसकी बरखास्तगी के बारे में कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को पंच निर्णय के लिये भेजा गया हो और यदि पंच निर्णय की कार्यवाही के दौरान श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जिसके पास भी केस हो, इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि नौकरी से हटाने या बरखास्तगी का आदेश न्याय संगत नहीं है तो वह अपने फैसले द्वारा नौकरी से हटाने या बरखास्तगी के आदेश को रद्द कर सकता है और ऐसी शर्तों पर श्रमिक की पुनर्नियुक्ति का निर्देश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे अथवा नौकरी से हटाने या बरखास्तगी के बदले अन्य प्रकार की राहत, जैसा कि केस की परिस्थितियों के अनुसार ठीक समझी जाय, श्रमिक को दे सकता है। इससे ऐसा फैसला भी दिया जा सकता है जिसके अधीन सजा कम की जाय। संबंधित अधिकारी इस प्रस्तावित व्यवस्था के अधीन किसी भी कार्यवाही में रिकार्ड

पर प्राप्त जानकारी पर ही सोच विचार करेगा और मामले से सम्बन्धित कोई नये प्रमाण नहीं लेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रशासन सुधार आयोग

1509. **श्री नाथ पाई :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग ने अतिरिक्त शक्तियां मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या क्या शक्तियां मांगी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952, (1952 का साठवां) के अधीन दी गई शक्तियां मांगी थीं और वे उसे दे दी गईं ।

ढोलका में तेल के भंडार

1510. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री किन्दर लाल :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के निकट ढोलका में तेल के नये भंडार पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन भंडारों में कितना तेल होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक केवल एक कुआं ही छेदा गया है । तेल की मात्रा का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जबकि कुछ और कुएं छेद लिये जायं ।

पहाड़ी राज्य मांग दिवस

1511. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 1966 को आसाम में सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन ने पहाड़ी राज्य मांग दिवस मनाया था;

(ख) क्या आन्दोलन को मनाने के लिये राज्य सरकार ने 24 अक्तूबर, 1966 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस आन्दोलन के कुछ दिन पहले आसाम नेता सम्मेलन के एक नेता ने राष्ट्रध्वज, जिसमें एक गुलाब लगाया हुआ था, जलूस में प्रदर्शित किया था अथवा प्रेस को दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । 24 अक्तूबर, 1966 को विजयदशमी के कारण सार्वजनिक अवकाश था ।

(ग) जी हां ।

(घ) सर्वदलीय पहाड़ी नेताओं की गति-विधियों की सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है ।

रामेश्वरम् में छिद्रण कार्य

1512. श्री मलाईछामी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम् द्वीप में तेल का परीक्षणात्मक छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब आरम्भ होने की सम्भावना है और क्या इस कार्य के लिए अपेक्षित सब उपकरण उस द्वीप में पहुंच चुके हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार किये गये अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार 1968 के दौरान कुआं छेद लिया जायेगा ।

इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की आस्तियां

1513. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन ऑयल कारपोरेशन का इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की स्थायी आस्तियों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन आस्तियों का स्वरूप और मात्रा क्या हैं और उनका बही मूल्य कितना है; और

(ग) इस सौदे को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) आस्तियों में मुख्य रूप से उनके बम्बई और कलकत्ते स्थित तेल के प्रतिष्ठान, देश में बड़े तेल डिपो तथा विभिन्न स्थानों पर फुटकर निकासी स्थान सम्मिलित हैं । 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष के संतुलन-पत्र के आधार पर स्थायी आस्तियों का बही-मूल्य 75,00,570 रुपये है ।

(ग) इस मामले में सूक्ष्म निरीक्षण और विस्तार से बातचीत करने की जरूरत है । अतः यह बताना कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा ।

उच्च न्यायालयों में द्वितीय दीवानी अपीलें

1514. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 से लेकर अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में दूसरी बार दायर की गई दीवानी अपीलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दूसरी बार दायर की गई कुल कितनी अपीलें खारिज की गई हैं और उनसे कितना न्यायालय शुल्क वसूल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस न्यायालय शुल्क के लौटाये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उपबन्ध बनाया गया है, तो वह क्या है और यह किस उच्च न्यायालय में लागू है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना देने को कहा गया है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

गोआनी देशभक्त

1515. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3919 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं जो देशभक्तों की स्मृति में एक उपयुक्त स्मारक बनाना चाहती है;

(ख) क्या प्रस्तावित स्मारक के डिजाइन तथा स्थान आदि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) इस समिति के अध्यक्ष गोआ के मुख्य मंत्री, श्री डी० बी० बन्दोदकर हैं । वास्को दागामा के श्री बसंत सुब्रय जोशी समिति के कोषाध्यक्ष हैं । पूना के श्री जयंत राव एस तिलक, बम्बई के श्री पीटर अल्वारस और गोआ में बिचोलिय के श्री गोपाल ए० कामत इसके महामंत्री हैं । समिति ने स्मारक के निर्माण में लगने वाली राशि जमा करने के लिये गोआ के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति बनाई है । श्री बसंत सुब्रय जोशी इस उप समिति के कोषाध्यक्ष हैं और जयंतराव एस तिलक, श्री पीटर अल्वारस तथा श्री गोपाल ए० कामत इसके महा मंत्री हैं ।

(ख) स्मारक के डिजाइन तथा स्थान के बारे में अभी तक समिति ने अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के नैनीताल में विश्वविद्यालय

1516. श्री कृ० चं० पन्त :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय कब खोला जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना को स्थगित करने के क्या कारण हैं, जबकि सरकार ने लगभग कई वर्ष पूर्व इस सम्बन्ध में एक औपचारिक घोषणा की थी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) नैनीताल में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का एक प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी

1517. **श्री कु० चं० पन्त** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सीमान्त तथा पहाड़ी जिलों में शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों को पर्याप्त रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के सीमान्त तथा पहाड़ी जिलों में काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से रोजगार खोजने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 30 जून, 1966 को 2491 थी जबकि 30 जून, 1966 को यह संख्या 2861 थी।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विभागीय योजनाओं के अधीन बेरोजगार व्यक्तियों को, जिनमें शिक्षित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, एक बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

Ghazipur Head Post Office

1518. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 394 on the 27th July, 1966 and state:

(a) the progress since made in regard to the scheme for the construction of the building for Ghazipur Head Post Office;

(b) whether it is a fact that the construction work has not yet started; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) The detailed estimate for the work was sanctioned on 26th July, 1966 and N.I.T. documents for calling of tenders have also been approved by the competent authority.

(b) Yes.

(c) This is one of the buildings, work on which has had to be deferred due to shortage of funds. The work is now likely to be taken up during the next financial year *i.e.* 1967-68.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति

1519. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत उन अधिकारियों को जिनकी ईमानदारी पर सन्देह सिद्ध हो गया है, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जायेगा;

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय ने इस योजना का विरोध किया है ; और

(ग) यह इस समय किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). "प्रशासन को मजबूत बनाने के लिये उपायों के सम्बन्ध में कागज में, जो स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 अगस्त, 1961 को सभा-पटल पर रखा गया था;

निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं:—

"ऐसे अधिकारियों का पता लगाने, जो अप्रभावशाली हैं अथवा जिनकी सच्चाई और ईमानदारी पर नैतिक दोष सिद्धि का सन्देह है, प्रत्येक मन्त्रालय में एक छोटी समिति नियुक्त करने का विचार है। आवश्यक परामर्श तथा प्रशिक्षण द्वारा इन अप्रभावशाली व्यक्तियों का विकास करने के लिये उपाय किये जायेंगे यदि इन व्यक्तियों में सुधार नहीं किया जा सकता होगा और उनकी आयु 45 से 50 वर्ष के बीच होगी तो उन्हें 25 वर्ष की सेवा के पूरे होने पर अथवा 50 वर्ष की आयु पर, जो भी पहले हो, सेवा से निवृत्त कर दिया जायेगा। सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी नियमों में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा। उन व्यक्तियों के मामलों को अलग से निबटाया जायेगा जिनमें सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होगा।

भ्रष्टाचार निवारण समिति (सन्थानम् समिति) ने भी एक इस आशय की सिफारिश की थी कि सरकार के पास किसी सरकारी कर्मचारी को 25 वर्ष की अर्ह सेवा पूरा होने के पश्चात् अथवा 50 वर्ष की आयु पूरा हो जाने पर बिना किसी कारण बताये और बिना किसी विशेष पेंशन के सेवा से स्थायी रूप से निवृत्त करने की शक्तियां होनी चाहियें। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वित्त मन्त्रालय ने इन प्रस्तावों के बारे में अपनी कुछ टिप्पणियां दी हैं।

धनवाद न्यायाधिकरण के पंचाट की क्रियान्विति

1520. श्री मुहम्मद इलियास :क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खसचलबालपुर कोयला खान के प्रबन्धकों ने धनबाद न्यायाधिकरण के 7 अक्तूबर, 1963 (1962 की उल्लेख संख्या 7) के पंचाट को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार मैनेजमेंट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये विचार कर रही है इस मामले में देरी कुछ कानूनी जटिलताओं के कारण हुई है, जिन पर विचार किया जा रहा है ?

कोयला खानों में श्रमिकों के अनुमोदित शिविर

1521. श्रीमती विमला देवी : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला खानों ने ऐसे श्रमिक शिविर स्थापित किये है, जिन केन्द्रीय कायला खनिक होस्टल समिति ने मंजूरी नहीं दी है;

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं;

(ग) उन शिविरों को बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) ये शिविर कब स्थापित किये गये थे; और

(ङ) कितनी कोयला खानों ने केन्द्रीय कोयला खनिक होस्टल समिति से अपने शिविरों को मान्यता देने की प्रार्थना की है और कितने शिविर नामंजूर किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नौ ।.

(ख) 1. खरखेरी कोलियरी, डाकखाना खरखेरी, जिला धनबाद ।

2. मुरलीढीह कोलियरी, डाकखाना महुदा, जिला धनबाद ।

3. खास धरमबंद कोलियरी, डाकखाना मलकेरा, जिला धनबाद ।

4. खना कोलियरी, डाकखाना धनसर, जिला धनबाद ।

5. खास करनपुर कोलियरी, डाकखाना पटाटू, जिला हजारीबाग ।

6. ईस्ट चोरा कोलियरी, डाकखाना बहुला, जिला बर्दवान ।

7. मधुजोर कोलियरी, डाकखाना कजोराग्राम, जिला बर्दवान ।

8. सामला मदेरबोनी कोलियरी, डाकखाना पंदवेश्वर, जिला बर्दवान ।

9. न्यूटन चिकली कोलियरी, डाकखाना परासिया, जिला छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश ।

(ग) कैम्प कोयला खानों द्वारा स्थापित किये गये हैं । ऐसे कैम्पों की स्थापना, जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार न हो, केन्द्रीय होस्टल समिति द्वारा निरुत्साहित की जाती है; यह समिति उन्हें मान्यता नहीं देती ।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

(ङ) आठ कोयला खानों की मैनेजमेंटों ने मान्यता के लिए पहले प्रार्थना की थी, परन्तु उनमें से किसी को भी मान्यता नहीं मिल सकी । नौवीं कोयला खान ने हाल ही में मान्यता के लिए प्रार्थना की है और इसके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

जिन आठ कोयला खानों के प्रार्थना-पत्र नामंजूर कर दिये गये थे, उनमें से छः ने मान्यता के लिए दोबारा प्रार्थना की है। इनमें से एक प्रार्थना-पत्र मंजूर हो गया है और शेष पांच पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक भुगतान

1522. श्री दाजी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 14 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स आर० बी० भोलानाथ एण्ड सन्ज़ को दी गई अधिक राशि इस बीच वसूल कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिक भुगतान के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). अग्रेतर छानबीन से यह पता चला है कि मेसर्स आर० बी० भोलानाथ एण्ड कम्पनी को घटिया माल के लिये केवल 550 रुपये, अधिक दे दिये गये थे और यह राशि उस फर्म से वापिस ले ली गयी है। अधिक भुगतान के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विचार किया गया था और निगम के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

केन्द्रीय भर्ती संगठन प्रणाली

1523. **श्री वारियर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के नौवें अधिवेशन में अगस्त, 1964 में कलकत्ता में हुई बैठक में केन्द्रीय भर्ती संगठन प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था ;

(ख) क्या यह संगठन अभी तक नियोजकों द्वारा चलाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति की इन सिफारिशों के क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जैसा कि 23-2-66 और 24-8-66 के अतारांकित प्रश्न संख्या 764 और 3205 के उत्तरों में बताया गया है, कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन नियोजकों का एक संगठन है। इस संगठन द्वारा गोरखपुरी श्रमिकों पर जो नियन्त्रण खा जा रहा था उसने कुछ अवांछनीय प्रथाओं को जन्म दिया है। कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति (1964 अगस्त) की सिफारिश के अनुसार सरकार ने इस मामले पर सावधानी से विचार किया है और वह इस निर्णय पर पहुंची है कि ये प्रथायें जिनके परिणामस्वरूप होस्टलों में प्रवेश, कार्य की दशाओं और अधीक्षक-नियन्त्रण के बारे में खानों में नियुक्त गोरखपुरी और दूसरे श्रमिकों में भेद-भाव किया जाता है, बन्द की जानी चाहिएं। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए गये हैं उन पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अमल किया जा रहा है।

सेंट्रल जेल, दिल्ली

1524. **श्री म० ना० स्वामी** :
डा० सारावीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचोबावा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल जेल, दिल्ली में ऐसे कैदियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें 'सी' श्रेणी में रखा गया है जबकि वे अच्छी श्रेणी के हकदार हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले अभी सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं; और वे कब से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) क्या कुछ मामले 6 मास से भी अधिक से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसे कैदियों की कुल संख्या बताना सम्भव नहीं है जो अच्छे श्रेणी के पात्र हैं क्योंकि अच्छी श्रेणी की पात्रता, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, न्यायाधीन व्यक्तियों के बारे में न्यायालयों द्वारा तथा दण्डित व्यक्तियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(ख) सरकार के पास कोई अनिर्णीत मामले शेष नहीं हैं।

(ग) कोई भी मामले 6 मास से अधिक समय से अनिर्णीत नहीं पड़े हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोदरा में छिद्रण कार्य

1525. **श्री च० का भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 646 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट केनिंग के निकट बोदरा में 18 अगस्त, 1966 को आरम्भ किया गया छिद्रण-कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, नहीं। अभी वहां छिद्रण-कार्य चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्त्रियों के अनैतिक पण्य में लगे हुए लोगों का गिरोह

1526. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्त्रियों के अनैतिक पण्य में अन्तर्ग्रस्त लोगों के एक गिरोह का पता लगाये जाने के मामले की जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या पहले गिरफ्तार किये गये सात व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो मुकदमे का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). जांच-पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई। इस मामले के सम्बन्ध में अब तक दो और गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आशा है कि शीघ्र ही यह मामला न्यायालय भज दिया जायेगा।

इंडियन आयल कारपोरेशन को देय बकाया राशि

1527. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन को अभी कितनी धनराशि दी जानी बाकी है और यह राशि कितनी अवधि से देय है;

(ख) दो महीने से अधिक अवधि से कितनी राशि दी जानी बाकी है और यह राशि कितनी पार्टियों ने देनी है;

(ग) सबसे अधिक राशि किस पार्टी को देनी है; और

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन किन शर्तों पर पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों की सप्लाई करता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 30 सितम्बर, 1966 तक 22·66 करोड़ रुपये की राशि दी जानी शेष थी। इसमें 0.29 लाख रुपये की एक छोटी राशि भी सम्मिलित है जो 1961–62 से दी जानी शेष थी, परन्तु अधिक राशि वर्ष 1965–66 और वर्ष 1966–67 से सम्बन्धित है।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) मिट्टी के तेल के एजेन्टों तथा व्यापारियों को फुटकर बिक्री के स्थानों पर उत्पादों की सप्लाई नकद भुगतान पर की जाती है। सरकारी, अर्ध-सरकारी ग्राहकों और अधिकतर औद्योगिक संस्थाओं को माल 30 दिन के उधार के आधार पर सप्लाई किया जाता है।

लोक शिकायत आयुक्त

1528. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच गृह-कार्य मंत्रालय में लोक शिकायत आयुक्त नियुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयुक्त ने अब तक कितने तथा कैसे मामलों की जांच की है और उन्हें किस प्रकार निबटाया गया है; और

(ग) आयुक्त के अधीन कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके कार्यालय का संगठनात्मक स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) लोक शिकायत आयुक्त को अक्तूबर के अन्त तक शिकायतें जनता से सीधे प्राप्त हुईं। इनमें से 689 शिकायतों को उन्होंने निबटाया है और शेष 271 शिकायतों के विषय में अभी अनेक स्तरों पर पत्र-व्यवहार तथा विचार-विमर्श हो रहा है। यहां पर शिकायतों के वर्गीकरण सहित वितरण का एक विवरण संलग्न है। आयुक्त, शिकायतों पर सम्बन्धित मंत्रालय/कार्यालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सम्बन्धित फाइल नस्तीकरण को मंगा कर कार्यवाही करता है।

विवरण

श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1. विलम्ब	188
2. गलत न्याय-निर्णय अथवा गलत स्वविवेक	123
3. अशिष्ट अथवा उपेक्षीय व्यवहार	10
4. सेवा सम्बन्धी मामले	48
5. क्षतिपूर्ति	18
6. विविध	56
योग	443

इसके अलावा 482 शिकायतें ऐसी थीं जो आयुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर थीं । इन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को भिजवा दिया गया है और शिकायत करने वालों को इसकी सूचना दे दी गई है । 35 मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई । ये मामले या तो बिना नाम के थे अथवा बिना किसी विशिष्ट शिकायत के थे अथवा इनका सम्बन्ध ऐसी शिकायतों से था जिनका शिकायत करने वालों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था ।

(ग) उनकी सहायता के लिये एक छोटा सा संगठन बनाया गया है । इस संगठन में एक अवर-सचिव, एक अनुभाग-अधिकारी, एक उच्चश्रेणी लिपिक, एक हिन्दी सहायक, एक आशु-मुद्रिक और एक लिपिक हैं ।

नई दिल्ली की देशबन्धु गुप्ता मार्केट में दुकानें

1529. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की देशबन्धु गुप्ता मार्केट के कुछ दुकानदारों को केवल कुछ पैसों की मामूली सी रकम पर जो वे दुकानों की कीमत की अदायगी में भूल से नहीं दे सके हैं दो सौ रुपये से अधिक ब्याज के रूप में देने को कहा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). अलाट की जाने वाली सम्पत्तियों के मूल्य के बकाया पर सूद विस्थापित लोग (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 28 के उपबन्धों के अनुसार लगाया जाता है । जो लोग दो वर्ष की अवधि में पूरी कीमत का भुगतान नहीं करते उन्हें उक्त नियम द्वारा निर्धारित दरों पर ही सूद देना पड़ेगा । यह नियम सब पर समान रूप से लागू होता है और देशबन्धु गुप्ता मार्केट के दुकानदारों को भी नियमों के अनुसार ही सूद का भुगतान करना होगा ।

Publishing of Shlokas from Guru Govind Singh's 'Dasham Granth'

1530. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the request of Government, UNESCO has agreed to publish selected Shlokas from Guru Govind Singh's 'Dasham Granth' in English; and

(b) if so, the date by which they are likely to be published?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The manuscript has been forwarded to UNESCO and their decision is awaited.

तंजोर के बृहदीश्वर मन्दिर से मूर्तियों का चोरी हो जाना

1531. **श्री रामचरण मलिक :**
श्री सुधांशु दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहदीश्वर मन्दिर जैसे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों से पत्थर पर तराशी हुई अति सुन्दर एवं कलात्मक नमूनों की कुछ मूल्यवान मूर्तियां चुरा ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) तीन मूर्तियां जिनकी पूजा की जाती थी, 11 अक्तूबर, 1966 की रात को तंजौर के बृहदीश्वर मन्दिर से चोरी चली गई थीं। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण को, पूजाधीन किसी मन्दिर से पिछले कुछ दिनों में ऐसी किसी अन्य चोरी की जानकारी नहीं है।

(ख) बृहदीश्वर मन्दिर से मूर्तियों की चोरी के बारे में पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। आमतौर पर संरक्षित स्मारकों में पूजा की मूर्तियों की देखभाल, मन्दिर के प्राधिकारियों आदि द्वारा किये गये प्रबन्ध के अन्तर्गत की जाती है। तंजौर मन्दिर के मामले में मन्दिर की निगरानी और देखभाल के प्रबन्धों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। केन्द्र संरक्षित स्मारकों से ऐसी चोरियों को पूरी तरह से केवल तभी रोका जा सकता है, जब चौबीसों घंटों की चौकीदारी का प्रबन्ध किया जाए। पैसे की कमी के कारण अब तक यह सम्भव नहीं हो पाया है। फिर भी पुरातत्व के महानिदेशक को हिदायत दे दी गई है कि संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर अलग पड़ी मूर्तियों को इक्ट्ठा करके कुछ चुने हुए मूर्ति-छज्जानों के नीचे ज्यादा प्रभावी चौकीदारी के अधीन तब तक रखा जाए, जब तक ज्यादा अच्छा समय न आ जाए और उनको रखने के लिए स्थल संग्रहालय बनाए जा सकें।

आगरा तथा दिल्ली में स्मारकों को देखने के लिए प्रवेश शुल्क

1532. **श्री फ० नो० सेन :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 नवम्बर, 1966 से आगरा में ताजमहल, सिकन्दरा में अकबर के मक़बरे और दिल्ली में सफदरजंग के मकबरे तथा हुमायून के मक़बरे में प्रवेश पर 20 पैसे का प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष/प्रति मास कितनी आय होने की आशा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शुक्रवार को कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) आगरा स्थित ताजमहल और इतिमाद-उद-दौला; सिकन्दरा स्थित अगबर के मकबरे; और नई दिल्ली स्थित सफदरजंग मकबरे को देखने वाले 15 साल की उम्र से ऊपर के प्रत्येक दर्शक से 20 नवम्बर, 1966 से 20 पैसे की प्रवेश फीस

ली जाएगी। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे को देखने वालों से ऐसी कोई फीस लेने का फिलहाल इरादा नहीं है।

(ख) इस समय मासिक या सालाना आमदनी का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

(ग) जी हां।

(घ) इससे सप्ताह में एक दिन हर व्यक्ति के लिए इन मकबरों को मुफ्त देख सकने की व्यवस्था हो जाती है; इसके अलावा कुछ ऐसे स्मारकों में जहां आमतौर पर श्रद्धालू लोग जाते हैं शुक्रवार के दिन का एक फायदा यह भी है कि नमाज़ पढ़ने के प्रयोजन से जाने वाले लोग बिना किसी पाबन्दी और फीस के नमाज़ भी पढ़ सकते हैं।

Printing of Forms in Hindi

1533. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5185 on the 11th May, 1966 and state:

(a) the number of forms printed in Hindi so far out of 147; and

(b) the reasons for the delay in printing the remaining ones?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) So far 69 forms have been printed either in Hindi-English or in Hindi only.

(b) Out of the remaining forms, some have already been translated into Hindi and efforts are being made to translate the others into Hindi. Thereafter arrangements would be made by the Delhi Administration to get them printed bilingually.

अध्यापकों के वेतन-क्रम

1534. श्री सुमत प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सरकारी तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में अन्तर है; और यदि हां तो किन-किन राज्यों में ;

(ख) क्या उक्त दोनों वेतन-क्रमों में समानता लाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास भेजा है और उन्हें समानता लाने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। वे राज्य असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार राज्य सरकारों पर निरन्तर यह जोर डालती रही है कि वे सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में समानता लायें। शिक्षा आयोग ने भी हाल में समानता के इसी सिद्धान्त पर बल दिया है। यह मालूम होता है कि विभिन्न राज्यों में वेतन-क्रम समान करने में सबसे बड़ी कठिनाई धनराशि की उपलब्धता है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन अफिसर

1535. श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राजदेव सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुमत प्रसाद :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में काफी बड़ी संख्या में अनहीहर व्यक्ति अनुभाग अधिकारी (सैक्शन आफिसर) के पद पर कार्य कर रहेहैं; जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई विभागीय सीमित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो सफल उम्मीदवारों की संख्या क्या है ; और

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित किये गये उम्मीदवारों को नियुक्त करके सभी अनियमित तथा तदर्थ नियुक्तियां समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1962 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में से नियम 13(2) में ऐसी व्यवस्था है कि अनुभाग अधिकारी वर्ग के लिए निर्मित चयन सूची में शामिल अधिकारियों के अभाव के कारण रिक्त रहने वाले अस्थाई पदों की पूर्ति सहायक वर्ग के ऐसे उपयुक्त स्थायी अधिकारियों की अस्थाई नियुक्ति द्वारा की जाये जो अपने वर्ग में कम से कम आठ वर्ष तक स्वीकृत सेवा कर चुके हों । चयन सूची में शामिल अधिकारियों के उपलब्ध होने पर इस प्रकार की पदोन्नतियों को समाप्त कर दिया जायेगा । यह सच है कि इस समय अनुभाग-अधिकारी के रूप में कार्यकारी रूप से ऐसे बहुत से अधिकारी अस्थाई पदों में नियुक्त हैं जो अधिकारियों की चयन सूचियों में शामिल नहीं है । ऐसी स्थायी रिक्तियों में अवकाश तथा अल्पावधि रिक्तियां भी शामिल हैं । ऐसे अधिकारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है । अतः उनकी संख्या अविलम्ब उपलब्ध नहीं हो सकती । किन्तु इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). 1965 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अनुभाग अधिकारी वर्ग की विभागीय सीमित परीक्षा का परिणाम संघ लोक आयोग द्वारा 17-9-66 को घोषित किया गया । इस परीक्षा के आधार पर 31 उम्मीदवारों के नाम चयन सूची में शामिल किये जाने की सिफारिश की गई है । 1962 के केन्द्रीय सचिवालय नियमों की चौथी अनुसूची में विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन सूची में इन 31 उम्मीदवारों के अतिरिक्त उसमें उल्लिखित अन्य दो श्रेणियों में से भी इतनी हीं संख्या में व्यक्ति लेने होंगे ।

ये श्रेणियां इस प्रकार हैं —(i) सहायक वर्ग के उपयुक्त स्थायी अधिकारी तथा (ii) 1959 और 1960 में ली गई सहायक अधीक्षक (नियमित स्थायी शक्ति) परीक्षाओं में से बाकी बचे हुए एसे उम्मीदवार जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने चयन सूची में शामिल किये जाने

योग्य घोषित किया हो। श्रेणी (ii) के उम्मीदवारों के नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अभी पिछले ही सप्ताह दिये गये हैं और आशा है कि चयन सूची शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी।

(ङ) ये नियुक्तियां केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 के नियम 13(2) के अधीन की जाती है और इन्हें अनियिमित नहीं कहा जा सकता। हर हालत में चयन सूची में शामिल अधिकारियों के उपलब्ध होते ही उन्हें ऐसे अनुभाग अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किया जायेगा जो चयन सूची में शामिल नहीं हैं।

स्मृति टिकट

1536. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता, स्वर्गीय रास बिहारी बसु की स्मृति में डाक-टिकट प्रकाशित करने में यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : स्वर्गीय रासबिहारी बसु की स्मृति में विशेष डाक-टिकट दिसम्बर 1967 में जारी करने के लिए मंजूर कर लिया गया है।

बेबीसाल कोयला खान

1537. **श्रीमती विमला देवी :** **डा० रानेन सेन :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर 1966 की अनिवार्य छुटटी के दिन श्रमिकों द्वारा काम करने से इंकार कर दिये जाने के बाद पश्चिमी बंगाल की बैबीसोल कोयला खान के श्रमिकों पर प्रबंधकों द्वारा किये गये अत्याचारों तथा पुलिस की ज्यादतियों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मैनेजमेंट द्वारा शोषण और पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने के आरोप लगाये गये थे।

(ख), (ग) और (घ). अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पत्र में उठाये गये अधिकांश मामले कानून और व्यवस्था से संबंधित हैं और वे पुलिस के हाथ में हैं। फिर भी केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी अपनी सक्षमता के अन्तर्गत इन मामलों की जांच कर रही है।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का नियतन

†1538. **श्री लहरी सिंह** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विस्थापित हिन्दुओं तथा सिखों के पुत्रों तथा पोतों को जिनके पिता अथवा दादा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान में ही रह गये थे अथवा देश के विभाजन के परिणाम स्वरुप भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे भूमि देने के सम्बन्ध में कार्यवाही सारांश संख्या 8 के अनुसार पंजाब सरकार तथा भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच 27 अगस्त 1957 को हुई बैठक में कोई निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या इस निर्णय के अनुसार भारत में आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को कोई भूमि दी गई थी और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन लोगों के पूरे पते क्या हैं ;

(घ) उन आंवटियों के दावे किस आधार पर तय किये गये थे ; और

(ङ) क्या उन हिन्दुओं और सिखों को कोई भूमि दी गई थी जो भारत में रहे थे किन्तु उन के पिता और दादा देश विभाजन से पहले मुसलमान बन गये थे और 1947–48 में पाकिस्तान चले गये थे और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है एवं उनके पूरे पते क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां । निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7334/66**] इस सम्बन्ध में 31-8-1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3894 के उत्तर की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है ।

(ग) जिन व्यक्तियों को भूमि दी गयी थी उनका पूरा ब्यौरा और पता आदि आसानी से उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जैसा कि निश्चय किया गया था दावों के बारे में निर्णय हिन्दू विधि और अर्ध-स्थायी भूमि आवंटन योजना के उपबन्धों के अनुसार किया गया है ।

(ङ) केवल उन स्थिापित व्यक्तियों को भूमि दी गयी है जो पश्चिमी पाकिस्तान से यहां आये हैं । उन उन हिन्दुओं और सिखों के पुत्रों का जो भारत में ही रहे तथा जिनके पिता और दादा पाकिस्तान चले गये थे पते सहित ब्यौरा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का नियतन

1539. श्री लहरी सिंह : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभाजन के समय कुछ हिन्दू तथा सिख भूस्वामी इस्लाम कबूल करने के बाद पाकिस्तान में रह गये थे, परन्तु उनके पुत्र और पौत्र भारत आ गये थे ;

(ख) क्या पंजाब सरकार उन विस्थापित व्यक्तियों को भूमि देने का जुलाई, 1951 में कोई निर्णय किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी और उस निर्णय के अनुसार जिन लोगों को भूमि दी गई है, उनके पतों सहित उनकी एक सूची भी सभा पटल पर रखी जायेगी;

(घ) उन व्यक्तियों के दावे किस आधार पर स्वीकार किये गये थे; और

(ङ) क्या अमृतसर जिले के पंजवार गांव के किसी भूस्वामी ने, जिस के दादा देश विभाजन से पहले मुसलमान बन गये थे तथा पाकिस्तान चले गये थे, कोई अभ्यावेदन 10 अगस्त, 1966 और 20 अक्तूबर, 1966 के बीच कुछ संसद् सदस्यों के माध्यम से भारत सरकार को इस प्रार्थना के साथ भेजे थे, कि उसे भूमि के नियतन के मामले में उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के समान समझा जाये, और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). आज के ही अतारांकित प्रश्न संख्या 1538 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथापि, उक्त निर्णय की प्रति तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के पते की सूची उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी, हां। मामला न्यायिक रूप से निपटाया जा रहा है।

अवर सचिवों की तालिका

1540. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिवों की वह तालिका, जो सितम्बर 1966 में निकाली थी, तैयार करने के लिए नियुक्त की गई चयन समिति, के प्रधान तथा सदस्य वही लोग थे, जो जनवरी 1966 में जारी की गई तालिका तैयार करने वाली समिति के प्रधान तथा सदस्य थे।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सितम्बर, 1966 में जारी की गई तालिका, जनवरी, 1966 में जारी की गई तालिका की अनुवर्ती तालिका मानी जानी थी ;

(ग) यदि नहीं, तो उन अनुभाग अधिकारियों को, जिनका साक्षातकार जनवरी 1966 की तालिका के लिए किया गया था, सितम्बर, 1966 में जारी की गई नई तालिका तैयार करते समय साक्षात्कार के लिए क्यों नहीं बुलाया गया ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या उन सब अधिकारियों के नाम, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी तथा चयन ग्रेड के लिये पदोन्नति) विनियमों के विनियम 5 (4) के अन्तर्गत अवर सचिव के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त पाये गये थे, परन्तु जिनका नाम जनवरी, 1966 की तालिका में शामिल नहीं किया जा सका था, सितम्बर 1966 की तालिका में शामिल कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दोनों चयन समितियों के वे ही सदस्य थे। अतः उन्होंने उन अनुभाग अधिकारियों का दोबारा साक्षात्कार जरूरी नहीं समझा जिनका जनवरी 1966 में जारी की गई तालिका के लिए पहिले ही साक्षात्कार किया गया था क्योंकि दोनों तालिकाओं के बीच की छोटी सी अवधि में इस प्रकार के सामान्य साक्षात्कार में उम्मीदवार के निष्पादन में बहुत भारी अन्तर नहीं पड़ सकता था अतः ऐसे अधिकारियों के मामले पर पहिले किये गये साक्षात्कार तथा उनकी सेवाओं के रिकार्ड के आधार पर विचार किया गया।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Hindi in Devanagari Script as Official Language

1541. Shri P. L. Barupal:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Daljit Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Thimmaiah:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Bakliwal:
Shri Alvares:
Shri Man Singh P. Patel:
Shri Basappa:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Achal Singh:
Shri Sham Lal Saraf:
Shrimati Kamala Chaudhuri:
Shri Sumat Prasad:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of Hindi in Devanagri script being the official language of the country, the bricks manufactured by the kilns in the country bear English words even now;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to prohibit marking in English on bricks manufactured by cooperatives and other kilns; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d). The Ministry of Education is not concerned with the Manufacture of bricks by the Kiln industry in the country. This is a matter, which falls under the jurisdiction of the Ministry of Industry, to whom a copy of the Question has been sent for necessary action.

एशियाई इतिहास कांग्रेस

1542. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् द्वारा दिसम्बर 1961 में आयोजित किये गये एशियाई इतिहास कांग्रेस पर होने वाले खर्चे के प्राक्कलन पहले से तैयार नहीं किये गये थे;

(ख) प्राक्कलनों के ब्यौरेवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) कांग्रेस के लिए कुल कितनी धन राशि मंजूर की गई थी; और

(घ) क्या उक्त कांग्रेस पर हुए खर्चे की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई थी और यदि हां, तो मंजूरी कब दी गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) खर्चे के तखमीने तदर्थ आधार पर तैयार किये गये थे और परिषद् की वित्त समिति ने भी उनको मंजूर शुदा किया था। 75,000 रुपये के संशोधित तखमीने, एशियाई इतिहास कांग्रेस पर खर्च करने के लिए मंजूर किये गये थे।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 81,000 रुपये ।

(घ) परिषद के कार्य-क्रम की अलग -अलग मदों पर खर्च के लिए परिषद् के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी दी जाती है ।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के सचिव द्वारा विदेशों का दौरा

1543. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के सचिव ने 1965 और 1966 में किन किन देशों का दौरा किया ; और

(ख) क्या दिल्ली कालिज, दिल्ली के भूतपूर्व प्रिंसिपल को उक्त परिषद् की ओर से भाषण दौरे पर अरब देशों में भेजा गया था ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1965 — श्री लंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैंड, कम्बोडिया, हांगकांग और फिलीपीन्स ।

1966 — चैकोस्लावाकिया, हंगरी, रुमानिया, बलगेरिया और टर्की ।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षाविदों के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में दिल्ली कालेज, दिल्ली के भूतपूर्व प्रिंसिपल, 1962 में संयुक्त अरब गणराज्य गये थे । लौटते हुए वह भारत पर भाषण देने और इन देशों की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए सूडान, सऊदी अरब, लेबनान., ईराक, और ईरान भी ठहरे । फालतू किराये के लिए परिषद् ने उन्हें केवल 1000 रुपये (एक हजार रुपये) का अनुदान दिया ।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के सचिव

1544. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के सचिव को चुनने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुना जाता है ;

(ग) उसकी नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है तथा एक पदधारी के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है ;

(घ) इस पद का विज्ञापन पिछली बार कब किया गया था और उसमें क्या योग्यतायें निर्धारित की गई थीं ; और

(ङ) वर्तमान पदधारी की योग्यताएं क्या हैं और इस पद के लिए उसकी विशेष उपयुक्तता क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् एक स्वायत्त संस्था है और जिस समय-अवधि और जिन निर्बंधनों और शर्तों को परिषद का शासीनिकाय ठीक समझता है तदनुसार इसके सचिव की नियुक्ति शासीनिकाय करता है । संघ लोक सेवा आयोग बीच में नहीं आता ।

(ग) परिषद् के सचिव का पद स्थायी है, पर शासी निकाय उस पद पर नियुक्ति या तो स्थायी आधार पर कर सकता है या प्रतिनियुक्ति पर या ठेके के अनुसार । एक पदधारी का समय वार्धक्य आयु के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार की तरह ही 58 है, कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है ।

(घ) पिछली बार इस पद का विज्ञापन 1955 में किया गया था और पद के लिए निहित की गई योग्यतायें बताने वाले विज्ञापन की एक प्रति नत्थी की जा रही है । नियुक्ति चुनाव समिति की सिफारिश पर की गई थी ।

(ङ) वर्तमान पदधारी की योग्यताओं सम्बन्धी विवरण की एक प्रति नत्थी की जा रही है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7332/66]**

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव

1545. श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् भारत में भारतीय नृत्य सीखने के लिए विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देती है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नृत्य तथा गान सीखने के लिए कितनी राशि को तथा कितनी अवधि के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं; और

(ग) 1962, 1963, 1964, और 1965 में कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गई तथा इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) नियमित छात्रवृत्तियों में 250 रुपये का मासिक अनुरक्षण भत्ता और हर अध्ययन साल के लिए 200 रुपये के ट्यूशन फीस और पुस्तक भत्ते शामिल होते हैं । छात्रवृत्ति की अवधि आमतौर पर दो वर्ष की होती है ।

(ग) वर्ष	छात्रवृत्तियों की संख्या	मंजूर की गई रकम
		रु०
1962–63	—	—
1963–64	2	1900
1964–65	2	2000
1965–66	5	9868·15

सिलचर प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

1546. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर प्रादेशिक इंजनियरिंग कालेज बन कर तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों का दाखिला कब आरम्भ होगा; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1968–69 के शैक्षिक वर्ष से ।

(ग) दाखिला किये जाने से पहले, पढ़ाई के लिए इमारतें, उपस्कर और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास जैसी जरूरी न्यूनतम भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा समुचित स्टाफ की भर्ती करना आवश्यक है । इस कार्य को करने में दो वर्ष लगने की सम्भावना है ।

मैसूर के लिये टेलीफोन

1547. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य को प्रतिवर्ष कितने टेलीफोनों की आवश्यकता होती है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य को सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए कितने टेलीफोन दिये गये और उक्त अवधि में टेलीफोनों के लिए कितने आवेदन पत्र मिले थे ;

(ग) आवेदन किये गये टेलीफोनों से कम टेलीफोन दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस राज्य को कितने टेलीफोनों की आवश्यकता है और उसे कैसे पूरा करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) प्राप्त आवेदन-पत्रों की औसत वार्षिक संख्या 4 600 है ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान दिये गए टेलीफोनों की संख्या – लगभग 16,200

उसी अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या – लगभग 23,000

(ग) भारत के अन्य राज्यों की तरह मैसूर में भी उपलब्ध साधनों के अनुसार एक्सचेंजों का विस्तार करने और नये एक्सचेंज खोलने का काम किया जा रहा है ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान मैसूर राज्य में लगभग 33,600 अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है । उसे क्रियान्वित करना साधनों के उपलब्ध रहने पर निर्भर करेगा ।

आसाम में घुसपैठिये

1548. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम से निष्कासित किये गये पाकिस्तानी लोग बड़ी भारी संख्या में पुनः उस राज्य में घुस आए हैं ;

(ख) यदि हां तो इस समय उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें वापिस खदेड़ने के लिये तथा राज्य में निष्कासितों की पुनः घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) आसाम से पहले निकाले गये पाकिस्तानियों के उस राज्य में पुनः लौट आने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) 16 सितम्बर, 1966 से 2 नवम्बर, 1966 तक अवधि के दौरान आसाम में भारत पाक सीमा पर 321 निष्कासितों का और नौगांव जिले में 24 निष्कासितों का पता चला । इनमें से अधिकांश को भारतीय क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया और कुछ को गिरफ्तार किया गया।

(ग) इस बारे में आवश्यक कदम उठाये गए हैं। इनमें सीमा पर गश्त को बढ़ाना और सीमा चौकियों को मजबूत करना आदि शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल सीमा पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ

1549. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1966 के अन्तिम भाग में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों तथा कुछ उन व्यक्तियों को, जो कई वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान चले गये थे और जिन्होंने कूच बिहार के भुरुंगमारी के रास्ते होकर पश्चिम बंगाल में घुसने का प्रयत्न किया था भारतीय पुलिस ने नजरबंद कर लिया है ;

(ख) क्या कूच बिहार तथा रंगपुर जिलों के बीच 500 मील लम्बी भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ साथ तैनात भारतीय सीमा सेनाओं को संभाव्य पाकिस्तानी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिये सचेत कर दिया गया है ;

(ग) क्या इस मामले में पूर्वी पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं, उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों, तथा अन्य लोगों ने जो कई वर्ष पूर्व भारत से पाकिस्तान में जाकर बस गये थे, अक्तूबर, 1966 में पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर जिले में जो कूच-बिहार जिले के बिलकुल सामने है पश्चिमी बंगाल में घुसने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

(ख) भारतीय सीमा सुरक्षा सेना के जवान भारत में सीमा के पार किसी भी गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार सतर्क हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नया नंगल उर्वरक कारखाने में हड़ताल

1550. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नया नंगल उर्वरक कारखाने के कर्मचारी पिछले ग्यारह दिनों से हड़ताल पर हैं ;

(ख) हड़ताल आरम्भ होने से एक दिन पहले के तथा हड़ताल होने के बाद प्रत्येक दिन के उत्पादन आंकड़े क्या हैं ;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि समझौता कार्यवाहियों के दौरान कर्मचारियों ने मध्यस्थ निर्णय का सुझाव दिया था जिसे प्रबन्धकों ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन): (क) कर्मचारी 17 अक्तूबर से 7 नवम्बर 1966 के 8 बजे पूर्वाह्न तक हड़ताल पर रहे थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्धन 1) **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० 7331/66]**

(ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 2) **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० 7331/66]**

(घ) प्रबन्धकों ने मध्यस्थ-निर्णय की बजाय न्याय-निर्णय का सुझाव दिया है ।

देशबन्धु गुप्ता मार्केट में दुकानों का नियतन

1551. श्री काजरेलकर: क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959 में देशबन्धु गुप्ता मार्केट में कुछ दुकानें अलाट की गई थीं और भुगतान दो वर्षों में बराबर राशि की किश्तों में किया जाना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1960 और 1961 में पूरा भुगतान करने के बाद कुछ दुकानदारों ने रीजनल सैटलमेंट कमिश्नर, जामनगर हाउस, नई दिल्ली के कार्यालय से बार बार प्रार्थना की कि उन्हें पूरे भुगतान के प्रमाण पत्र दिये जायें अथवा यदि उनकी ओर कोई राशि बकाया हो, तो वह बताई जाये ;

(ग) क्या 1965 तक उन्हें, कोई भी उत्तर नहीं दिया गया और उनकी कोई गलती न होते हुए भी उनसे 1960 से लेकर तब तक की पूरी अवधि का बकाया राशि पर ब्याज देने को कहा गया ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अलाटियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि उन्होंने करार के अनुसार भुगतान नहीं किया था, इसलिये अलाटियों को विस्थापित लोग (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम 1955 के नियम 28 के अधीन देय राशियों और ब्याज का भुगतान करने के लिये नोटिस दिये गये थे । चूंकि अलाटियों ने बकाया मूल्य को दो वर्षों की अवधि में चुकता नहीं किया, जैसा कि व स्वीकार कर चुके थे, इसलिये उनसे नियम 28 के अनुसार ब्याज लिया गया है ।

Strike in I. T. I. New Delhi

1552. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 250 employees of the Industrial Training Institute, New Delhi have gone on strike to press their demands;

(b) if so, the action taken in this regard; and

(c) the particulars of their demands?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

बस्तर के लोगों के लिये तकनीकी प्रशिक्षण

1553. श्री लखम् भवानी : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रस्तावित बेलाडीला परियोजना के लिये बस्तर के स्थानीय लोगों को तकनीकी प्रक्षिण देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी, नहीं। मध्य प्रदेश के आदिम-जाति कल्याण निदेशालय द्वारा बस्तर में 1-11-1965 से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा चुका है जहां फिटर, इलेक्ट्रीशन और वायरमैन आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संस्थान का और आगे विस्तार करने का विचार है जिससे उसमें लुहार, बढ़ई, मशीन मिस्त्री, मोटर मिस्त्री, ढलाई, खराद और वेल्डिंग के व्यवसायों में भी प्रशिक्षण दिया जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संस्थान की क्षमता चौथी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 296 स्थान कर दिया जाय। इस संस्थान को दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें

1554. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 1966 में अनेक विभागीय अथवा अन्य परीक्षाएं आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन विभिन्न परीक्षाओं के लिये प्रत्याशियों में केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारी हैं ; और यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) इन परीक्षाओं का समय युक्ति-संगत आधार पर अलग अलग नियत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में जन-दिनों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानि न हो तथा इसके साथ ही प्रत्याशी जिस परीक्षा के लिये वे पात्र हों, परीक्षा में बैठने का अवसर भी न चूकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7333/66]**

मद्रास बन्दरगाह में तूफान

1555. **श्री राम हरख यादव :**
श्री पी० सी० बरुआ :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री शिंकरे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 नवम्बर, 1966 को मद्रास नगर तथा बन्दरगाह में बहुत भारी तूफान आया था जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति हताहत हुए और जहाज नष्ट हो गए ;

(ख) यदि हां, तो इस दुखद दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जन-धन की कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) जी हां। 3 नवम्बर, को दोपहर बाद म ास नगर तथा चिंगलपुर और दक्षिण अर्कोट के तटवर्तीय जिलों में एक तूफान आया।

(ख) और (ग) पूर्वी तट के साथ-साथ लगभग 80 मील की दूरी तक उपल-वृष्टि तथा भारी वर्षा ने जबर्दस्त नुकसान किया। संचार के सभी साधन छिन्न हो गये। झोपड़ियां नष्ट हो गई और सिंचाई के बहुत से टैंकों में दरारें आ गई जिससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। एक पुल को आंशिक रूप से क्षति पहुंची तथा ग्रान्ड ट्रंक रोड का कुछ हिस्सा साफ हो गया। एक जहाज़ के दो टुकड़े हो गये और ीन जहाज़ भूमि पर चढ़ गये। तीस व्यक्ति मारे गये। कुल हानि का अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। सहायता कार्य पहले ही किए जा चुके हैं और लोगों को सहायता, तथा टैंकों और सड़क की दरारों आदि की मरम्मत के कामों में कुल दो करोड़ रुपया व्य र होने का अनुमान है।

पोस्टकार्ड, लिफाफे, डाक टिकट आदि

1556. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर पोस्टकार्ड, लिफाफे, डाक टिकट आदि उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह स्थिति कब सामान्य हो जायेगी ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) अन्तर्देशीय पत्रों को छोड़ कर अन्य किसी डाक स्टेशनरी तथा डाक-टिकटों की कमी नहीं है।

(ख) सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक की अपर्याप्त मुद्रण-क्षमता के कारण।

(ग) सिक्यूरिटी प्रेस की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मुद्रण-उपस्कर खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा पहले ही दी जा चुकी है और मशीन खरीदने के आदेश दे दिये गये हैं। आशा है कि जैसे ही नासिक में मशीनें लग जायेंगी देश में अन्तर्देशीय पत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में छात्रों की प्रस्तावित मार्च

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur): It was said yesterday that the Minister would give a statement next day, but at night Dr. Ram Manohar Lohia and other Members were arrested. This is a contempt of the House.

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे ध्यान दिलाने वाली सूचना लेने दीजिये ।

Shri Kishen Pattanayak: I draw the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public importance and request that he may give a statement in regard thereto.

"ban on the proposed national march of students in Delhi on 18th November, 1966."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों के संसद् के समक्ष राष्ट्रीय मार्च की घोषणा की गई है । हमें मिली सूचनाओं के अनुसार इसका संगठन समाजवादी युवा जन संघ कर रहा है ।

दिल्ली में 7 नवम्बर को हुए उपद्रवों के परिणामस्वरूप उपायुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन एक आदेश जारी किया था जिसके अन्तर्गत जलूसों, सभाओं आदि पर दिल्ली के समूचे संघीय राज्यक्षेत्र में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। दिल्ली के अधिकारियों ने यह निर्णय किया है कि 18 नवम्बर को उक्त प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । हमारे विचार में यह निर्णय उचित तथा विद्यार्थियों के हित में है ।

किसी संसद् सदस्य के कर्त्तव्यों और उसके द्वारा किये जाने वाले काम में यदि कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, तो यह संसद के विशेषाधिकारों का सरासर उल्लंघन है । इसलिए, यह एक गम्भीर मामला है । संसद-भवन के निकट लोगों के भारी संख्या में प्रदर्शन से संसद् का शान्त वातावरण भंग होता है । उसकी कार्यवाही में बाधा हो सकती है । जनता के किसी वर्ग की शिकायतों को संसद् में किसी न किसी रूप में उठाने के कई उपाय हैं । लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत सामान्य लोक हित के किसी विषय पर सभा को याचिका भेजी जा सकती है ।

विद्यार्थियों की कुछ वास्तविक कठिनाइयां तथा शिकायतें हो सकती हैं । परन्तु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाये जाने वाले तरीके उचित होने चाहियें । देश की भावी प्रगति तथा कल्याण कार्य शीघ्र ही उनके कन्धों पर आयेगा । यदि वे अपनी ज़िम्मेवारियां पूरी नहीं करते तो देश का भविष्य संकट में पड़ जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने कहा है कि किसी संसद् सदस्य के कर्त्तव्यों और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को करने में यदि कोई व्यक्ति दखल देने का प्रयास करता है तो यह संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है और यह एक गम्भीर विषय है । विशेषाधिकार प्रश्न इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता । इसके लिए निश्चित नियम हैं । इसलिए, यह भाग मंत्री महोदय के वक्तव्य से निकाल दिया जाना चाहिये ।

उन्होंने यह भी कहा है कि शिकायतों के सम्बन्ध में सदन में मामला उठाया जा सकता है । परन्तु नियमों के अधीन संसद् सदस्यों को सभा में शिकायतों का मामला नहीं उठाना चाहिये । इसलिए, यह भाग भी निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय मुख्य मामले से बहुत दूर चले गये हैं । उन्होंने विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को परामर्श देने के लिए कुछ विचार व्यक्त किये हैं और नीति सम्बन्धी कुछ मामले भी उठाये हैं कि जनता किस प्रकार अपनी शिकायतें संसद् सदस्यों द्वारा सरकार को पहुंचा सकती है । उनमें से अधिकांश मामलों पर सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा की जानी चाहिये । उन्होंने यह माना है कि इससे पहले कई प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है । परन्तु अब वह एक नई नीति तथा नया कार्यक्रम पेश करना चाहते हैं । उस नीति तथा कार्यक्रम पर सभा में चर्चा नहीं की गई है । नए गृह-कार्य मंत्री के लिए सूचना दिये बिना एक नई नीति पेश करना और यह आशा करना कि हम उसे स्वीकार कर लेंगे, न्यायसंगत नहीं है ।

मंत्री महोदय के वक्तव्य के कुछ भाग लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं के प्रतिकूल हैं । उन्हें सभा के सामने निश्चित प्रस्ताव रखना चाहिये । संसद्-भवन के समक्ष प्रदर्शन करने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है और ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर के आधार पर जनता को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री दाजी (इन्दौर) : सरकार तथा प्रधान मंत्री इसे मानें अथवा नहीं परन्तु हम संसद्-सदस्यों ने देश के नागरिकों का लोकतन्त्रात्मक तथा शान्तिपूर्वक तरीके से अपनी याचिकाएं लेकर आने के अधिकार का सदा सम्मान किया है परन्तु क्या सरकार किसी विशेष अवसर पर पुलिस की व्यवस्था असफल हो जाने के कारण या प्रदर्शनकारियों के एक निश्चित सीमा से बाहर चले जाने के कारण ही सरकार उस अधिकार से नागरिकों को वंचित कर सकती है ? केवल यही नहीं, क्या सरकार नागरिकों को संसद् सदस्यों को मिलने की अनुमति न देकर संसद् सदस्यों को भी इस अधिकार से वंचित कर सकती है ? यह संसद् के मूल विशेषाधिकार का मामला है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का मामला है । लोकतन्त्र में शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा प्रदर्शन का अधिकार मूल अधिकार है । यह प्रतिबन्ध 7 नवम्बर को स्थिति का गलत तरीके से सामना करने का एक स्वाभाविक परिणाम है । उसके लिए सरकार जिम्मेवार है ।

यह प्रतिबन्ध दिल्ली के समूचे संघीय राज्य क्षेत्र पर लागू किया गया है । परन्तु संसद् की परिसीमाओं का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में आता है । यदि दिल्ली के समूचे संघीय राज्य क्षेत्र में प्रतिबन्ध लगाते समय अध्यक्ष महोदय से सलाह नहीं की गई तो यह अध्यक्ष महोदय तथा संसद् का अपमान है ।

Shri Radhe Lal Vyas (Ujjain): A regular debate has started in the name of points of order. It is a contravention of the rules.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अपनी ज़िम्मेवारी समझनी चाहिये । सारा समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने में नहीं लगा देना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर देते समय ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें सुन कर हैरानी होती है। मंत्री महोदय ने ऐसे नियमों तथा विनियमों की घोषणा की है जो भविष्य में लागू होते हैं और इस संसद् के तथा अध्यक्ष के, जो कि इस विशिष्ट सभा के संरक्षक हैं, अधिकार पर आघात करते हैं।

संसद् सदस्य होने के नाते निर्वाचकों से अभ्यावेदन स्वीकार करना हमारा कर्त्तव्य है और नागरिकों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। अभी तक इस अधिकार को सीमित नहीं किया गया था। इसलिए इस विषय पर आज किसी समय चर्चा होनी चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य में कई विवादास्पद बातें कही गई हैं। इसलिए इस पर चर्चा की जानी आवश्यक है। बात इतनी ही नहीं कि किसी जुलूस पर रुकावट लगाई जाये या नहीं। मध्य प्रदेश के 20 कालेज सितम्बर के मध्य में बन्द किये गये थे और वे अभी तक नहीं खुले हैं। दूसरे राज्यों में भी स्थिति वैसी ही है। मालूम नहीं विद्यार्थियों की शिक्षा के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा है। गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार एक गम्भीर स्थिति पैदा करना चाहती है जब कि इस समय स्थिति गम्भीर नहीं है।

यदि आज हम ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दें तो कल हमें गिरफ्तार कर लिया जायेगा। सदस्यों को गिरफ्तार करने का क्या कारण है। इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं श्री रंगा तथा श्री कानत द्वारा उठाने गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। इस सभा को याचिका देने का अधिकार सभी नागरिकों को है और इसे प्रस्तुत करने की प्रणाली भी हमारे प्रक्रिया नियमों में निर्धारित की गई है। अब सरकार ऐसी प्रथा कैसे निर्धारित कर सकती है जो कि इसी सभा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकूल हो। संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि भारत के किसी भी भाग में आया जाया जा सकता है। क्या इस प्रकार का वक्तव्य दिया जा सकता है कि अध्यक्ष महोदय संसद् भवन के संरक्षक नहीं हैं। यदि ऐसा वक्तव्य आता है तो सभा द्वारा चर्चा उठाना ठीक ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल यही मांग की गई है कि चर्चा के लिये अवसर दिया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : कुछ समय पूर्व हमने चर्चा के लिए सूचना दी थी**।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उनसे कहा था कि वह न बोलें। इसलिए इसको कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

Shri Mauraya (Aligarh): I rise on a point of Order. Our Constitution is supreme and it protects the citizens. In this House your goodself and constitution protects our rights. In Article 19 of the Constitution people have been permitted to assemble peacefully without arms. To ban the demonstrations near Parliament House is a violation of the Constitution. Therefore whatever the hon. Minister has stated in this regard should be expunged.

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : आपने कई अवसरों पर यह निर्णय दिया है कि जब संसद् का सत्र हो रहा हो तो किसी संसद् सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उनके विरुद्ध कोई गम्भीर अपराधिक आरोप न हों, क्योंकि ऐसा करना सम्बन्धित सदस्य के कृत्यों तथा उसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप करना होगा। अब डा० राम मनोहर लोहिया को बिना कोई गम्भीर अपराधिक अरोप लगाये गिरफ्तार कर लिया गया है यह आप के निणर्यों के विरुद्ध है। आप के निर्णय का उल्लंघन करते हुए सत्र के दौरान किसी संसद् सदस्य का गिरफ्तार किया जाना सभा के विशेषाधिकार को भंग करना है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): While replying to the Calling Attention the hon. Home Minister has stated that he appeals to the guardians of the students. These words should not have been uttered while replying to a Calling Attention. I therefore, request that these words may be expunged from his statement.

Shri R. S. Pandey (Guna): On many occasions people have been allowed to ventilate their grievances through demonstration, near Parliament House. But the happenings of the 7th November, are also before us. If the hon. Members are seriously desirous of keeping peace and believe in democratic principles, then I should appeal the hon. Home Minister to provide all facilities for demonstrations.

अध्यक्ष महोदय : यह अपील करने का समय नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : अन्य दो सदस्यों के बारे में क्या है जिनके बारे में उन्होने इतना कुछ कहा है। क्या वे गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : मुझे कानूनी तथा संवैधानिक बातों पर बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य इस प्रकार बोलते रहे तो मुझे उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि सदस्यों के कुछ मूल अधिकार तथा विशेषाधिकार हैं। अभी कहा गया है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था अथवा अन्य को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। परन्तु इस समय उस बारे में मैं क्या कर सकता हूं। यदि चर्चा के लिए कहा गया तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं। मैं इस प्रकार चर्चा के लिए आदेश नहीं दे सकता यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं।

Shri Bagri (Hissar): I rise on a point of order. You rejected our Calling Attention motion on the ground that an identical motion is already with you. The arrest of Dr. Ram Manohar Lohia, students throughout the country and posting of police at my and Shri Pattnayaks' residence should have also taken alongwith the motion. If these things cannot be taken up with that then our motion should be accepted.

Mr. Speaker: Now you please resume your seat.

श्री पाराशर : मैं नियम 372 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): Mr. Speaker as this ** country . . .

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सम्मिलित नहीं किया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

Shri Kishen Pattnayak: I would like to know whether the Government have considered this aspect also that consequent on having this national march of the students, there can be more violence in the country?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कुछ धैर्य रखें । मैं विरोधी दल के सदस्यों से भी कहूंगा कि वे विचार करे कि क्या ऐसी बातों की अनुमति दी जा सकती है ।

Shri Kishen Pattnayak: I would like to know whether my question will not be answered. I enquired whether the Government has considered this aspect that after the 18th there would be violence and whether the hon. Home Minister would be held responsible or **

Mr. Speaker: The question may be answered.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह प्रश्न नहीं बल्कि धमकी है । हम विद्यार्थियों के हितों पर ध्यान देगे ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I would like to know whether the hon. Home Minister was assured by all the leaders that this demonstration will be a peaceful one? Inspite of that a ban has been imposed and consequent of this ban there is a possibility of violence and for that Government will be responsible. I would also like to know why this ban has been imposed without consulting the various States?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : दिल्ली प्रशासन का विचार था कि इस मार्च से कानून भंग होगा तथा गड़बड़ होगा । इसी आधार पर हमने यह निर्णय लिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस प्रतिबन्ध से स्थिति अधिक गम्भीर नहीं होगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारा विचार है कि नहीं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): When you allotted other members five to seven minutes, I may also be allowed to ask a question** you cannot expunge it like that. I object to it. Under rule 380 I raise a point of order on it.

Mr. Speaker: You please ask your question.

Shri Madhu Limaye: The students should have been allowed to stage a national march to Parliament House and happenings of the 7th should not be taken as basis for banning this march. How there is news that about 20 colleges have been closed in Madhya Pradesh since the middle of September.

Mr. Speaker: As I have already stated you may please ask your question.

Shri Madhu Limaye: Whether Government is aware that Madhya Pradesh Government has asked the guardians and students to give in writing that they will behave properly.

Mr. Speaker: Now you please conclude and resume your seat.

Shri Madhu Limaye: I resumed my seat and even now I will resume my seat but you may please get the answer of my question from the Minister.

Mr. Speaker: You have not asked any question.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने प्रश्न पूछा है । मंत्री महोदय को उसका उत्तर देना चाहिए ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: माननीय सदस्य यह चाहते थे कि विद्यार्थियों को कुछ शिकायतें हैं। मैंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है। इन शिकायतों के लिये "राष्ट्रीय मार्च" की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaye: My question should be answered.

Mr. Speaker: Shri Madhu Limaye may please leave the House.

Shri Madhu Limaye: Why, I asked a specific and pertinent question. They may be answered,

Mr. Speaker: You may please leave the House.

(इसके बाद श्री मधु लिमये सभा भवन के बाहर चले गये)

(Shri Madhu Limaye then left the House)

Shri Mauraya: I would like to know whether the Government have taken care of the difficulties and grievances of the students? Unless these are taken care of there cannot be any peace on the students' community.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिये बड़े उत्सुक हैं। हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई व्यवस्था की गई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I would like to know whether the students have not assured the Government that these demonstrations will be peaceful and whether you have got any agency wherefrom you have come to know that there will be violent and sabotage activities in the demonstration? Jan Sangh has been held responssible for the happening of the 7th November but Muni Sushil Kumar denied that.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में इस विशिष्ट प्रश्न में उत्तर देने को कोई बात नहीं है। जानकारी प्राप्त करने तथा स्थिति का अनुमान लगाने के लिये सरकार के अपने साधन हैं।

Shri Bagri (Hissar): My signature was also there on the Calling Attention Notice.

Mr. Speaker: Your signature is not there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: My question has not been replied in full.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री प्रश्न के अन्य भाग का भी उत्तर दें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में यह प्रश्न इस विशिष्ट वक्तव्य से उत्पन्न नहीं होता। मुझे इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

Shri Bagri: Today I gave a Calling Attention Notice. Even if my signature was not there on the previous even then I should have been given an opportunity to ask a question.

Mr. Speaker: You may please resume your seat.

Shri Bagri: You may please listen to me once. Dr. Ram Manohar Lohia has been arrested. My question was . . .

Mr. Speaker: You cannot raise this question at this moment.

Shri Bagri: You will have to listen me and also give me an opportunity to speak.

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी सदन से बाहर चले जायें । If Shri Bagri is not going out then I will have to name him. He is impeding the proceedings of the House and therefore I name him.

संसद् कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ससंद् सदस्य श्री बागड़ी को जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा था दस दिन के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जायें" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ससंद् सदस्य श्री बागड़ी जिनको अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा था, दस दिन के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha then divided.

पक्ष में 118 ; विपक्ष में 34

Ayes 118 ; Noes 34

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : सभा के निर्णय को देखते हुए मैं श्री बागड़ी से निवेदन करूंगा कि वह सदन से चले जायें ।

Shri Bagri: I will not go out. You may please do whatever you like.

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी बाहर नहीं जा रहे हैं । इस लिए मैं पन्द्रह मिनट के लिए सभा को स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा एक बज कर सैंतालीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till forty-seven minutes past thirteen of the Clock.

लोक सभा एक बज कर सैंतालीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at Forty-seven minutes past thirteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE CALLING ATTENTION NOTICE

(Query)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : कल मैं ने सिलीगुड़ी के पास हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में नोटिस दिया था । पता नहीं उसके बारे में मंत्री महोदय क्या

नीति अपना रहेहैं। हमारी पूर्वी कमान की भारतीय सेना ने भी इस क्षेत्र में सुधार करने को कहा है। अत: यह जरूरी था कि प्रधान मंत्री इसके बारे में उत्तर देते। कई जवानों की मौतें भी यहां हुई हैं। देखा जाय तो यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : रेलवे मंत्री अथवा प्रतिरक्षा मंत्री को इस बारे में उत्तर देना चाहिए कि कौन इस के लिए उत्तरदायी है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में कई बार रेलवे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा में नितान्त असफल रही है। रेलवे मंत्री तो यह भी कहते हैं कि हमने सुरक्षा सैनिक भी वापिस बुला लिये हैं क्योंकि इस जगह गश्त लगाने का काम राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है। सेना कमांडर ने जो कुछ कहा है वह रेलवे मंत्री की बातों का प्रतिवाद करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करूंगा और इसे कल लिया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार यंत्र (पांचवां संशोधन) नियम

संचार तथा संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार यन्त्र (पांचवा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो कि भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1646 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7321/66]।

न भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1539 में प्रकाशित हुई थी।

(2) राजस्थान कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1541 में प्रकाशित हुई थी।

(3) आसाम कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1542 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7322/66]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 1500 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सेवा) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1632 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम, 1966 को दिनांक 29 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1633 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7323/66]** ।

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित वेतन तथा भत्तों की अदायगी अधिनियम, 1951 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना जी० ओ० एम्० संख्या 341/66 की एक प्रति जो दिनांक 6 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये नियमों में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7324/66]** ।

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत अधिसूचना जी० ओ० (पी) संख्या 391 की एक प्रति, विनियमों में संशोधन करने के कारण बताने वाले एक ज्ञापन सहित, जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी० 7325/66]** ।

सदस्य की गिरफ्तारी (डा० राम मनोहर लोहिया)

ARREST OF MEMBER (Dr. Ram Manohar Lohia)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे 16 नवम्बर 1966 को नई दिल्ली के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"लोक सभा के सदस्य डा० राम मनोहर लोहिया को दंड प्रक्रिया संहित की धारा 107 के अधीन हिरासत में लिया गया है और क्योंकि वह 25,000 रुपये की रकम का

[अध्यक्ष महोदय]

जमानती बांड और इतनी ही रकम के लिए दो जामिन देने में विफल हुए हैं इस लिए उन्हें 28 नवम्बर, 1966 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। नियम 229 के अन्तर्गत किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष महोदय को तुरन्त दी जानी चाहिए और उसके कारण भी स्पष्ट रूप से बताये जाने चाहिएं। केवल इतना ही बता देना काफी नहीं कि न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। कारण नहीं बताये गये और कहां रखा गया है यह नहीं बताया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जानकारी पूर्ण नहीं है। गृह कार्य मंत्री को सारी सम्बद्ध जानकारी देनी चाहिए। मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया हुआ है। यह समाजवादी युवकों और संयुक्त समाजवादी दल के लोगों की गिरफ्तारी के बारे में है। हमने विद्यार्थी असन्तोष के सम्बन्ध में भी ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया। मध्य भारत में 23 कालिज बन्द कर दिये हैं। और स्थानों पर भी कालिज बन्द हैं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। संसद् सदस्यों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और बिना कारण बताये विरोधी पक्ष के लोगों को धारा 107 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : इन सारी बातों को सभा के सामने आना चाहिए। केवल एक पक्षीय वक्तव्यों से ही काम नहीं चल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : जो नोटिस श्री हरिश्चन्द्र माथुर का विद्यार्थियों के असन्तोष के बारे में स्वीकृत हुआ है उस पर कल चर्चा होगी। दूसरे नोटिस भी अध्यक्ष महोदय के समक्ष रख दिये जायेंगे और उन पर विचार होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम 229 के अन्तर्गत औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं, डा० लोहिया की गिरफ्तारी के बारे में।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस की अनुमति नहीं देना चाहता।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान जी मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :—

(I) "कि राज्य सभा अपनी 10 नवम्बर, 1966 की बैठक में लोक सभा द्वारा 1 नवम्बर, 1966 को बीड़ी एवं चुरूट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक, 1966 में किये गये संशोधनों से सहमत हुई।"

(II) "कि राज्य सभा ने अपनी 14 नवम्बर, 1966 की बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से कि कीटनाशी विधेयक, 1964 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को 30 नवम्बर, 1966 तक प्रतिवेदन देने के लिए हिदायत दी जाय, सहमति प्रकट की।"

(III) "कि राज्य सभा ने अपनी 14 नवम्बर, 1966 की बैठक में पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) विधेयक, 1966 पारित किया।"

पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) विधेयक

POLICE FORCES (RESTRICTION OF RIGHTS) BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) विधेयक, 1966 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

श्रीमती सहोदरा बाई राय (दमोह) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अट्ठावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): The notice of arrest is incomplete and I have the right to ask the clarification. I want to know.....* * *

उपाध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही में न शामिल किया जाय। माननीय सदस्य यदि अपने स्थान पर नहीं बैठना चाहते तो वह सभा से बाहर चले जायं। मैं इस तरह गड़बड़ की अनुमति नहीं दे सकता।

(इसके पश्चात् श्री किशन पटनायक सभा भवन से बाहर चले गये।)

(Shri Kishen Pattnayak then left the House).

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन् जी मेरा भी औचित्य प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इसकी अनुमति नही दे सकता। **(अन्तर्बाधायें)** . . . .**

शान्ति शान्ति में श्री बनर्जी को बाहर चले जाने का निवेदन करता हूं।

इसके पश्चात श्री स० मो० बनर्जी सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri S. M. Banerjee then left the House.

प्रधान मंत्री की छिपे नागाओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता के परिणाम के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: OUTCOME OF PRIME MINISTER'S TALKS WITH UNDERGROUND NAGA DELEGATION

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रधान मंत्री की छिपे नागाओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता के परिणाम के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 7326/66]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने कहा कि नागाओं को अपनी भावनाओं के विकास का पूरा अवसर दिया जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु वे तो यह कहते है कि हम अपनी मांग से एक इंच भी हटने को तैयार नहीं हैं। वे तो स्वतंत्र होने की बात करते हैं। और यह भी कहा गया है कि उनकी मांगों को स्वीकार करने की दिशा में संविधान के संशोधन का भी सुझाव दिया जा रहा है।

श्री विनेश सिंह: शान्तिपूर्वक कोई हल तलाश करने का प्रयास किया जायेगा और हमें आशा है कि हम अपना दृष्टिकोण उन्हें बता सकेंगें।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर खंडवार विचार करेगें।

Shri Balkrishna Singh (Chandauli): The Registrar is being given power to take disciplinary action against employees belonging to the ministerial subordinate executive and the class four employees. He can suspend them, pending inquiry and can administer warnings to them and impose on them penalty of censure and can withhold increment. I am of the opinion that these powers should not be given to him. I think the Vice-Chancellor should have these powers, who may delegate them to Registrar. That is my amendment.

I put forward my amendment Nos. 14, 15, 16.

श्री मु० क० चागला : मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

Shri Bal Krishna Singh: I want to withdraw these amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : इनके मतदान के लिए प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय सदस्य इन्हें वापिस लेते हैं।

संशोधन संख्या 14, 15 और 16, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये।

Amendments Nos. 14, 15 and 16 were by leave, withdrawn.

संशोधन किया गया।

Amendment made

(1) पृष्ठ 25,

पंक्ति 38 के बाद "from the faculty of law" ["विधि विभाग से"] रख दिया जाय। (50)

(2) पृष्ठ 37, पंक्ति 5

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाय। (51)

(3) पृष्ठ 44, पंक्ति 14

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाय। (52)

पृष्ठ 44 पंक्ति 27

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये, (53)

(5) पृष्ठ 50, पंक्ति 26

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये। (54)

(6) पृष्ठ 53

पंक्ति 21 के बाद ["समाज शास्त्र विभाग"]

16. Department of Sociology

17. Department of Library Scheme.

["पुस्ताकालय विज्ञान विभाग]" रख दिया जाये। (55)

(7) पृष्ठ 54 पंक्ति 31 के स्थान पर

"1. Department of Vocal Music.

2. 'Department of Instrumental Music.

3. 'Department of Musiocology.

4. Department of Painting.

5. 'Department of Plastic Arts.

6. 'Department of Applied Arts".

["1. सुगम संगीत विभाग

2. वाद्य संगीत विभाग

3. संगीत शास्त्र विभाग

4. चित्रकला विभाग

5. प्लास्टिक कला विभाग

6. व्यवहारिक कला विभाग"] (56)

[श्री भक्त दर्शन]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुसूची मतदान के लिए रखता हूं।

श्री बालकृष्ण सिंह : मेरे संशोधन हैं, मैं अपने संशोधन संख्या 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24 प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने संशोधन संख्या 23, 25 और 26 भी प्रस्तुत करता हूं :—

(1) पृष्ठ 32, पंक्ति 33 में "Madan Mohan Malaviya Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रखा जाये। (23)

(2) पृष्ठ 48, पंक्ति 24 में "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वद्यिालय"] रखा जाये। (25)

(3) पृष्ठ 49, पंक्ति 7 तथा 8 में "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय] रखा जाय । (26)

I am glad that the Bill is beig passed to give new life to the Banaras Hindu University. I hope my amendments will be accepted and the objects behind the establishment of the University is fulfilled.

Shri Sarju Pandey (Rasra): I support the amendments put forward by Shri Bal Krishna Singh. The Minister should agree to this demand that those colleges who should be given representation are given representation.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मेरी श्री बालकृष्ण सिंह के प्रति बहुत श्रद्धा है और यह भी पता है कि उन्होंने इस विधयक में कितनी रुचि दिखाई है । परन्तु मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि उन्होंने इस विधेयक की योजना को नहीं समझा है । हम कालेजों का विभागों में परिवर्तन कर रहे हैं और उन विभागों के अध्यक्षों को प्रतिनिधिन होगा । इसलिये मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं । मैं उनके तीन संशोधन अर्थात् 23, 25 तथा 26 स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि उनका सम्बन्ध नाम बदलने से है जो कि हम कल स्वीकार कर चुके हैं ।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)) : मैं दूसरा संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत कर रहा हूं ।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 19, पंक्ति 9 में, "Kashi Vishwavidyalaya" ["काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] शब्द रखे जायें । (93)

[श्री भक्त दर्शन]

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

(1) पृष्ठ 32, पंक्ति 33 में, " Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रखा जाये ।(23)

(2) पृष्ठ 48, पंक्ति 24 में, " Madan vidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रखा जाये" । (25)

(3) पृष्ठ 49, पंक्ति 7 तथा 8 में, "Madan Mohan Malaviya Kash Vishwavidyalaya"["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रखा जाये। (26)

प्रस्ताव पास हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुसूची पर शेष संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 से 22 तथा 24 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 17 to 22 and 24 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव पास हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The Schedule. as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1—**(संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)**

संशोधन किये गये।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये।(41)

[श्री भक्त दर्शन]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 28 ऐसा ही है जैसा कि सरकारी संशोधन संख्या 41। इसलिये यह अब अवरुद्ध है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव पास हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड, 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया।

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "Sixteen" ["सोलह"] के स्थान पर "Seventeen" ["सतरह"] रखा जाये।(40)

[श्री भक्त दर्शन]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 27 ऐसा ही है जैसा सरकारी संशोधन संख्या 40 इसलिये यह अब अवरुद्ध है ।

प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव पास हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री मु० क० चागला : महोदय नियम संख्या 93(3) के अन्तर्गत जिसके अनुसार मुझ औपचारिक रूप से संशोधन पेश करने का अधिकार है । मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में "Principal Act" ["मुख्य अधिनियम"] के स्थान पर Banaras Hindu University Act, 1915 (hereinafter referred to as the Principal Act)" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 ("इसके बाद उसे मुख्य अधिनियम कहा गया है")] रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में, "Principal Act" ["मुख्य अधिनियम"] के स्थान पर "Banaras Hindu Uniuersity Act, 1915 hereinafter referred to as the principal Act]" बनारस हिन्दू विश्वद्यिालय अधिनियम, 1915 (इसके पश्चात् उसे मुख्य अधिनियम कहा गया है)" रखा जाये ।

प्रस्ताव पास हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मु० क० चागला : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I congratulate Shri Chagla and Shri Bhakt Darshan for this Bill and also the members who took part so enthusiastically in the deliberations of the Bill.. I hope in Kashi Vishwavidyalaya a new atmosphere will be created and it will find a place of pride in the world.

Shri Bal Krishna Singh (Chandauli): I am happy that after many years of hard work this Bill has been passed by this House. I am sure the Government, the University Grants Commission, the University authorities and students will all make efforts for the fulfilment of the aims for which the University was established.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : महोदय मुझे प्रसन्नता है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का पुराना नाम रख लिया गया है। मैं तो आरम्भ से ही इस नाम के बदलने के विरुद्ध था।

पं० मदन मोहन मालवीय ने इम्पीरियल विधान परिषद् में कहा था कि यह विश्वविद्यालय कोई संकुचित साम्प्रदायी संस्था नहीं होगी बल्कि एक ऐसी संस्था होगी जो बुद्धि का विस्तार करे तथा मनुष्यों के बीच भाई चारे की भावना उत्पन्न करे।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय को इस विधेयक के सदन में संचालन के बारे में बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय विधेयक के बारे में भी ऐसा ही करेंगे ताकि अल्पसंख्यकों की भी शंकाएं दूर हो जायें।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): I am sorry to say that the Bill has not been passed in the way in which it should have come. I am sorry that our proposal has not been accepted. My objection was about the name of the University. My second point is that the students should be permitted to form union but I am sorry that no such arrangement has been made. I want the Minister to reconsider these issues.

श्री मु० क० चागला : परिनियम 40 के पृष्ठ 45, पंक्ति 6 में "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" के स्थान पर "यूनिवर्सिटी" रखा जाये तथा अनुबन्ध के पृष्ठ 53, पंक्ति 3 तथा 4 में "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" के स्थान पर "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी" रखा जाये। यह केवल औपचारिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब आनुषंगिक संशोधन है। जहां कहीं "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" लिखा गया है वहां "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय" रखा जाये।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

बहुत से सदस्य : जी हां।

संशोधन किये गये।

Amendment made

(1) पृष्ठ 45, पंक्ति 5 तथा 6 में, "Banaras Hindu University or the Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya." ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय") के स्थान पर "Uuiversity" (विश्वविद्यालय) रखा जाये। (95)

(2) पृष्ठ 53, पंक्ति 3 तथा 4, में "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रखा जाये। (96)

श्री मु० क० चागला : मैं अन्त में यह कहूंगा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय खुल गया है और यह शानदार अध्याय होगा। आठ वर्ष तक यह विश्वविद्यालय एक अध्यादेश की छाया में रहा है। मेरे विचार में अब वह बात बदल जायेगी।

अब उस विश्वविद्यालय में एक योग्य उपकुलपति है और मैं आशा करता हूं कि वह विश्वविद्यालय को एक स्फूर्ति देंग। इस विश्वविद्यालय ने एसे विद्वानों को पैदा किया है जिनमें से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं।

मुझे विश्वास है कि राज्य सभा इसे पास कर देगी। इस विधेयक का श्रय सारी संसद् को मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव पास हुआ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि राज्य सभा इससे सहमत नहीं तो फिर दोनों सदनों की बैठक बुलानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब हम अगला कार्य लेंगे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY BILL

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये।"

महोदय अब मैं एक विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका उद्देश्य एक बहुत बड़े व्यक्ति के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने से है। यह विश्वविद्यालय भारत के अन्य 66 विश्वविद्यालयों की भांति एक और विश्वविद्यालय नहीं होगा बल्कि यह उनसे भिन्न होगा तथा यह बहुत मामलों में अपने किस्म का एक ही होगा।

मैं इस विश्वविद्यालय का इतिहास बताना चाहता हूं। दिल्ली के पहले विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बहुत हो गई थी और यह अनुभव किया जा रहा था कि एक और विश्वविद्यालय होना चाहिये। जब यह विधेयक प्रवर समिति के पास गया तो उन्होंने निर्णय किया कि अजमेरी दरवाजे से उत्तर में स्थित कालेज पुराने विश्वविद्यालय से मिला दिये जाये तथा उससे दक्षिण में स्थित कालेज नये विश्वविद्यालय से मिला दिये जाये। परन्तु बाद में यह निर्णय हुआ कि सारे दिल्ली के कालेज पुराने ही विश्वविद्यालय से मिले रहें तथा यह नया विश्वविद्यालय नये सिरे से कार्य आरम्भ करे। क्योंकि उद्देश्य तो यह था कि नया विश्वविद्यालय अलग प्रकार का होना चाहिये।

मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू जीवित थे तो मैं उनके पास यह सुझाव लेकर गया कि यह विश्वविद्यालय उनके नाम पर स्थापित किया जाये। वह नाराज हो गये और बोले कि जीवित व्यक्तियों के नाम पर यह कोई विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। उनमें अपनी पूजा करवाने की आदत नहीं थी। आज क्योंकि वह जीवित नहीं हैं और क्योंकि वह व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री था, इस लिए यह विश्व विद्यालय उनके नाम पर स्थापित किया जाये।

इस विश्वविद्यालय में उन सिद्धान्तों पर खोज तथा अध्ययन किया जायेगा जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू का सिद्धान्त अब देश का सिद्धान्त बन गया है। जवाहरलाल नेहरू सामतिक न्याय में विश्वास रखते थे। ऐसे ही वह धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास रखते थे। अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया।

समस्याओं पर वैज्ञानिक रूप से विचार करने की बात भी जवाहरलाल नेहरू में बहुत थी। वह देश में विज्ञान के निर्माता थे।

हमने भाषा, कला तथा संस्कृति के विकास पर भी ज़ोर दिया है।

हमारे देश में विद्यार्थियों में बेचैनी का एक कारण यह है कि वे देश की सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते।

हम यहां विदेशी भाषाओं पर भी जोर देंगे जहां रूसी, जर्मन, फ्रेंच तथा स्पेनिश सिखाई जायेंगी।

जब यह विधेयक पास हो जायेगा तो मैं विश्वविद्यालय के कुलपति तथा पांच छः व्यक्तियों की परामर्श समिति बनाऊंगा ताकि वे अपने विचार इसके निर्माण में दे सकें। पहले तो हम अच्छा व्यक्ति तालाश करेंगे और फिर उसे स्वतन्त्रता देंगे ताकि वह अपने विचारों के अनुसार विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकें।

यह विश्वविद्यालय ऐसा रिहायशी विश्वविद्यालय होगा जब कि पुराना विश्वविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालय होगा।

इस विश्वविद्यालय में एक अकादमी परिषद् होगी जिसमें विद्यार्थियों के तथा अध्यापकों के प्रतिनिधि होंगे ताकि वह अपनी समस्याओं को मिल कर सुलझा सकें। मंत्रालय के लिए यह असंभव है कि वह प्रत्येक स्कूल तथा कॉलेज की छोटी छोटी शिकायतों पर ध्यान दे सके। इन शिकायतों का निवारण करना तो प्रध्यापकों, उपकुलपतियों अथवा अध्यापकों की जिम्मेदारी है। छात्रों में असंतोष जब उत्पन्न होता है, तब वे देखते हैं कि उन की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई फॉरम नहीं है, अतः उनकी शिकायतों का निवारण तभी होगा जब वे प्रदर्शन करेंगे अथवा आन्दोलन करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक सांविधिक निकाय की व्यवस्था करें, जो कि छात्रों की शिकायतें दूर करने के लिए एक उचित फॉरम होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में छात्रों की शिकायतें दूर करने के लिए एक निकाय की व्यवस्था की गई है।

मुझे आशा है कि यह सभा नये विश्वविद्यालय का केवल इस लिए स्वागत नहीं करेगी कि इसका नाम एक महान भारतीय के नाम पर रखा गया है बल्कि इस कारण भी स्वागत करेगी कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नये विचारों का प्रयोग करने जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : श्री मु० क० चागला ने शिक्षा मंत्री के रूप में बड़ी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता तथा कर्त्तव्य-निष्ठा के साथ बहुत ही सराहनीय काम किया है। जब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का पद भार सौंपा गया था, तो बहुत से व्यक्तियों ने इस नियुक्ति की

[श्री हनुमन्तैया]

आलोचना की थी। परन्तु मैंने इस नियुक्ति का सहर्ष स्वागत किया था। अब उन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पद भार सौंपा गया है और वह उस मंत्रालय का काम संभालेंगे। बहुत से लोगों का विचार है कि शिक्षा मंत्रालय की अपेक्षा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु मैं समझता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत न तो इतनी बड़ी सैनिक शक्ति है कि वह विश्व शांति के मामले में प्रभाव डाल सके और न ही विश्व शांति की अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता में हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सत्यता यह है कि आज के परमाणु युग में वे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भाग लेने के अयोग्य हैं, जिन के पास परमाणु हथियार नहीं हैं। हम अपनी कमी को छिपाने के लिए चाहे जो कहें, परन्तु हमारा राजनयिक स्तर इतना गिर गया है कि हमारी बातों को विश्व के राष्ट्र केवल दार्शनिक बातें समझते हैं। अतः कोई ऐसा कारण दृष्टि-गोचर नहीं होता, जिस के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि श्री चागला वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, अतः यही अधिक अच्छा होगा कि वह पुनः शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल लें।

इस प्रश्न पर तर्क पेश करना बहुत कठिन है कि एक व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए अथवा नहीं और विशेषतया इस समय इस सम्बन्ध में कुछ कहना और भी कठिन है, जब कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री की पुत्री स्वयं प्रधान मंत्री हैं। यह अच्छा होता यदि नेहरू जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम कुछ वर्षों बाद रखा जाता तब आने वाली पीढ़ी यह कहती कि ऐसा स्वेच्छापूर्वक और प्रेम तथा स्नेह से किया गया है। मुझे ऐसा कोई सिद्धान्त देखने को नहीं मिला है कि जो कुछ एक व्यक्ति कहे उसे एक विश्वविद्यालय का आदर्श मान लिया जाये। यदि ऐसा करना ही था तो महात्मा गांधी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वह एक पैगम्बर तथा राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी के नाम को छोड़ कर किसी अन्य नेता के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखना अन्ततः राष्ट्र को पूर्णतः स्वीकार्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के कथनों तथा कर्त्तव्यों को किसी विश्वविद्यालय के उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता, चाहे वह व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न रहा हो। यह सही है कि कुछ उद्देश्य तो वास्तव में स्वीकार्य हैं, परन्तु सभी नहीं हो सकते।

जहां तक राष्ट्रीय एकीकरण का सम्बन्ध है वह केवल गत 15 या 20 वर्ष पूर्व नहीं हुआ है बल्कि आदि शंकराचार्य ने हजार वर्ष पूर्व तथा महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व एकीकरण स्थापित किया था। उस सब के लिए पूर्ण श्रेय अपने आप को ही देना अनुचित सा प्रतीत होता है। उपनिशदों तथा वेदों के काल में भी भारत एकीकृत था तथा तदुपरान्त पैगम्बरों, आचार्यों तथा गुरुओं ने भी यही शिक्षा दी थी, जो वेदों तथा उपनिशदों में उल्लिखित है। यदि आप यह कहना चाहें कि राष्ट्रीय एकीकरण केवल 1947 के बाद हुआ है तो यह सर्वथा गलत है।

सामाजिक न्याय युग युगान्तर में नया रूप तथा अर्थधारण कर लेता है। वह हमारे समाज से बाहर की कोई चीज नहीं है। वह हमेशा ही मौजूद रहा है।

मैं 'धर्म निरपेक्षता' शब्द के विरुद्ध हूं क्योंकि उसे 'नास्तिकता' समझा जाता है । इस में नास्तिकता और अधार्मिकता की भावना से समस्यायें हल करने का दृष्टिकोण निहित होता है । भारत में विभिन्न धर्मों में सह-अस्तित्व की भावना रही है, और एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों का आदर करते रहे हैं । वास्तव में "धर्म निरपेक्षता" का विचार यूरोप में मध्य युग में जिसे यूरोप अन्ध-युग कहा जाता है, उत्पन्न हुआ था । यह विचार जब उत्पन्न हुआ था जब कि पोप ने चर्च तथा शासन दोनों के कार्य अपने हाथ में ले लिये थे । लोगों में धर्मान्धता थी, और एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म वाले के शत्रु थे । परन्तु हमने तो कभी किसी व्यक्ति को इस कारण से जिन्दा नहीं जलाया अथवा सूली पर नहीं चढ़ाया कि वह दूसरे धर्म को मानता है, ज्यादा से ज्यादा हमारी विचार-धारा में अन्तर हो सकता था । अतः मैं समझता हूं कि "धर्म निरपेक्षता" शब्द को जो एक अन्य समाज की देन है, अन्य प्रकार के वातावरण में उत्पन्न हुआ था तथा एक ऐसे समाज में उत्पन्न हुआ था, जिसके सामाजिक मानक हमारे सामाजिक मानकों से भिन्न हैं, भारत पर लादना इस देश की सभ्यता और महानता के लिए न आदरपूर्ण है और न न्यायसंगत । अतः मैं सुझाव देता हूं और मैं समझता हूं कि भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए मेरा सुझाव सही है, लोग इसे पसन्द करेंगे और वह सुझाव यह है "धर्म निरपेक्षता" शब्द को निश्चात्मक प्रयास से बदल दिया जाये और उस के स्थान पर "सर्वधर्मा समानयाः" अथवा इसका शुद्ध अंग्रेजी अनुवाद रख दिया जाये ।

लोकतंत्रीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बड़ी बड़ी बातें हैं । परन्तु इस से अधिक महत्व की बात यह है कि इन को संतोषजनक तरीके से किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये ।

आपने कहा है कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त किया जायेगा । यदि ऐसा किया जायेगा तो यह बहुत अच्छी बात है । परन्तु प्रायः देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त किया जाता है, जो सेवा-निवृत्त होने वाला है । हमारी अर्थ व्यवस्था का विकास करने के लिए विश्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है । परन्तु आपने जो व्यक्ति वहां हमारे प्रतिनिधि के रूप में भेजा हुआ है, वह लगभग सदा बीमार रहता है, और वह बैंक के कार्यकारी बोर्ड के समय भारत का दृष्टिकोण, भारत की स्थिति, भारत की आवश्यकतायें आदि रखने में असमर्थ है । इस के फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अतः मैं कहना चाहता हूं कि उपकुलपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाये, जिसमें सब की आस्था हो । उपकुलपति कोई अधिकारी नहीं है, उसे विद्यार्थी वर्ग का नेता होना चाहिए । उसे विद्यार्थी वर्ग का मार्गदर्शक तथा दार्शनिक होना चाहिए । मैं सरकारी अधिकारियों की योग्यता में पूर्ण विश्वास करता हूं, वे अपने कार्य में दक्ष हैं । परन्तु वे अपने विशेष कार्यक्षेत्र में ही दक्ष हैं । जैसा कि मैं संसद्-सदस्य हूं और मुझे परमाणु-ऊर्जा आयोग का सभापति बना दिया जाता है, तो मैं कोई कार्य नहीं कर सकूंगा । हां, यदि मुझे प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य बना दिया जाये, तो अवश्य ही मैं महत्वपूर्ण योगदान दे सकूंगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आई० सी० एस० तथा अन्य अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें उप-कुलपति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । उपकुलपति तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र में नाम कमा चुका हो और जिसे विद्यार्थी एक आदर्श व्यक्ति मान सकें ।

[श्री हनुमन्थैया]

सरकार इस बात से बड़ी चिन्तित है कि राज्यों में भारी असंतोष है। जगह जगह आन्दोलन किये जा रहे हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि लोगों में आन्दोलन की प्रवृत्ति तभी जागृत होती है, जब वे समझते हैं कि उन के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकार यह चाहती है कि दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और बंगाल में हिन्दी का विस्तार हो; परन्तु हमेशा वह राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें हिन्दी भाषी क्षेत्र में ही केन्द्रित करती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार परिषद् में यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रकार का विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में स्थापित किया जाये। सरकार ने इसे सिद्धान्तरूप में स्वीकार भी किया था, परन्तु क्रियान्विति के समय दिल्ली को चुन लिया गया ह, जहां पहले ही एक वि:वविद्यालय ह। उत्तर भारत में अलीगढ़ तथा बनारस पहले ही दो केन्द्रीय वि वविद्यालय हैं। अत: इस वि वविद्यालय को भी उत्तर भारत में स्थापित करना, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास तथा केरल—दक्षिण में भारत के बहुत बड़े भाग के साथ अन्याय करना होगा।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : इस विधेयक के प्रति मेरी पहली आपत्ति यह है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्रामों से बड़ा प्यार करते थे। परन्तु जब उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न आया, तो हम देखते हैं कि वह विश्वविद्यालय न केवल एक नगर में बल्कि भारत की राजधानी में स्थापित किया जा रहा है। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता देहाती क्षेत्रों में रहती है। बोलपुर को छोड़ कर लगभग सभी विश्वविद्यालय नगरों में स्थित है और देहाती क्षेत्रों को किसी अच्छी संस्था से वंचित रखा गया है। यदि हमें देहात के लोगों को शिक्षा देनी है, तो वहां अच्छी शिक्षा संस्थायें स्थापित करनी चाहिये। हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती का सवाल आता है, तो सामान्यतया देहाती क्षेत्रों के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। इसके लिये हम संघ लोक सेवा आयोग को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि देहाती क्षेत्रों में अच्छी संस्थाएं न होने के कारण वे लोग पीछे रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि नया विश्वविद्यालय स्थापित करना है तो इसे ग्रामीण भारत में स्थापित किया जाय। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ग्रामों से बड़ा प्रेम था। इसलिये उन के नाम पर स्थापित किया जाने वाला विश्वविद्यालय किसी देहाती क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिये।

भारत ने कई महान रत्नों को जन्म दिया है। आधुनिक काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू निस्संदेह वर्तमान भारत के महान सपूत हैं। परन्तु महात्मा गांधी, डा० रवीन्द्रनाथ टैगौर, पंडित मालवीय, डा० गोखले तथा श्री बालगंगाधर तिलक जैसे अन्य महान व्यक्ति भी हैं। डा० टैगौर ने जब बोलपुर में एक संस्थान स्थापित किया था, तो उन्होंने उसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ा था। अत: इस विश्वविद्यालय को पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहना अनुचित है। उन्होंने भी इस का अनुमोदन नहीं किया था। हमें इस मामले में उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के सिद्धतों का एक विश्वविद्यालय में अभी अध्यापन करना उचित नहीं है। उनके कुछ सिद्धांत बहुत विवादपूर्ण हैं और जब तक उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक किसी विश्वविद्यालय में उनका अध्यापन कराना अनचित है।

छात्रों में अनुशासनहीनता के संदर्भ में मंत्री महोदय ने कहा है कि वे एक प्रकार का निकाय स्थापित कर रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह निकाय छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्याओं को सुलझाने तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों पर गौर करने का प्रयत्न करेगा। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं समझता हूं कि ऐसी ही निकायों के द्वारा हम छात्रों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि सब विश्वविद्यालयों में ऐसी निकाएं तुरन्त स्थापित करना संभव नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि धीरे-धीरे देश के सब विश्वविद्यालयों में ऐसी निकायें स्थापित की जानी चाहियें।

यह बड़े खेद की बात है कि शारीरिक शिक्षा अथवा चरित्र-निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में धर्म-निर्पेक्षता के सिद्धांत का चरित्र निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है। पिछले कुछ महीनों के अनुभव से यह सिद्ध होता है कि हमें धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या कारण है कि गुरुकुलों तथा धार्मिक निकायों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती।

इन संस्थाओं में विद्यार्थी को आरम्भ से ही अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, परन्तु वर्तमान संस्थाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए।
Shri P. Venkatasubbaiah in the Chair]

मैंने एक संस्था देखी थी, जिसमें प्रातः उठने के समय से लेकर सायं सोने के समय तक एक अथवा दूसरा अध्यापक विद्यार्थियों की देखभाल करते रहते हैं। वहां विद्यार्थियों को प्रातः 5—30 शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है और सायंकाल में उनके लिए खेल कूद में भाग लेना अनिवार्य है। शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक हम नवयुवकों के शरीर तथा चरित्र को सुदृढ़ नहीं बना सकते, तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में नवयुवकों के लिए शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Shri Hanumanthaiya in his speech has advocated that this University should be established in South India. He has argued that no institution of national importance has been set up in South India, while all such institutions have been concentrated in North India. Moreover it does not look appropriate to establish two Universities in one single city. I therefore think that it will be better if this University is established somewhere in South India.

Secondly it has been argued that why this University is being named as Pandit Jawaharlal Nehru University. Today itself we have passed a bill from which we have deleted the name of Pandit Malaviya and have retained the old name of the University as "Banaras Hindu University" Now we are going to pass a bill in which a University is being named after the name of Pandit Nehru and it may look self contradictory that in one bill we have deleted the name of an individual, while in the other we are naming a University after the name of an individual. But I see no contradiction in it. It has also been argued that why this University should not be named after the name of Mahatma Gandhi. In this context, I may point out that the name of Mahatma Gandhi is so deeprooted in the hearts of the people that it does not require the help of any institution for its memory. His name has become so immortal, as the names of Lord Rama and krishna. He will

[Shri Raghunath Singh]

be remembered for ever by his countrymen for his deeds. To establish a university in his name is too small a homage for him.

Shri Hanumanthaiya has also made a reference of the names of Shri Sankaracharya and Lord Buddha. I want to tell him that Lord Buddha gave some principles to the world, but those principles were preached and spread by his disciple Sariputa. Likewise Mahatmaji taught us some principles about co-existence and neutrality. But those principles have been put into practice by no one else, but by Pandit Jawaharlal Nehru. So it will be a befitting tribute to name this University as Jawaharlal Nehru University.

Shri Hanumanthaiya has dealt at length the word 'Secularism'. He has contented the secularism is understood as agnoticism and it bears the psychology of ungodliness and irreligiousness He has also stated that 'secularism' is a borrowed idea from the dark ages of Europe, when there was religious intolerance. I agree with him that secularism is in the very blood of every Indian, but I beg to differ that it is a borrowed idea. Before 11th century, there was only one religion in India "The Vedic Dharma" or "Hindu Dharma" whatever it may be called. Then there came the Muslims and we had two separate religions. So it was then that the need for religious adjustment was felt and Allaudin Khilji was the first man who announced that religion and state are two different things. So the idea of secularism was originated in some vague form. Then secularism was practised in some limited sense by King Akbar.

It is also wrong to confuse "secularism" with irreligiousness. Actually it stands for religious tolerance for all religions and faiths. You are free to practise your own religion but you should tolerate and respect the religions with whom you differ.

I am of the opinion that if Pandit Nehru has given to the world anything great and appreciable, it is nothing but "secularism" and as such I fully support the word secularism that has been kept by the Minister of Education in the bill.

We have our own culture, which teaches us to respect all religions. It is based on humanism. It is all embracing and it can not be confused with civilisation.

It suggest that arrangements should be made in this University for the study and research of Indian culture.

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda): While presenting this bill to the House the hon. Minister stated that one of the reasons for establishing Jawaharlal Nehru University in Delhi is that the number of students in Delhi University has been increasing day by day and it has now become impossible to maintain the required standard of education and proper discipline among the students. If new universities are going to be established on this principle, then I want to draw the attention of the hon. Minister that the number of students in Calcutta University and the universities in other big cities has increased manifold and would it not be desirable that the question of establishing another University should be examined, whenever the number of students crosses a certain limit. New universities should be opened on the same principle in the cities like Calcutta.

The objects of establishing Jawaharlal Nehru University have been enumerated. In fact these objects have become the fundamentals of our national life and have been incorporated in our Constitution. At this moment I want to draw the attention of the Government that dissatisfaction among students is on increase. Had it been checked at the initial stages, it would have not taken such a violent form. The hon. Minister has himself admitted that one of the reasons of dissatisfaction among students is that no attention to their minor complaints is given and their problems are not considered in a proper way. The hon. Minister has suggested two or three things to tackle the problems of the students. But it is surprising as to why no proper action has so far been taken in this direction either by the Education Ministry or the authorities concerned.

We have the report of the Education Commission before us. It has given indications about many things. It is very sad that even after seventeen years of independence we have not been able to formulate a national education policy. Had this would have been done, many of our problems would have been solved long ago. We should try to go deep into the problems that confront us and try to find their solution at national level. We should try to find out the root causes of the problems of the students and try to find out their solution.

The hon. Minister had stated that special arrangements be made in this University for the study of foreign languages. It is a very good thing and I welcome it. But I was surprised to note that there are no arrangements in the country for teaching the languages of those countries with whom we have diplomatic relations. It is not enough to have arrangements to teach German, Russian, French and Latin only, but we should have arrangements for teaching the languages of those African, Asian and South American countries, with whom we have diplomatic relations. I therefore, suggest that arrangements should be made in other Universities also for teaching foreign languages.

Next point that I want to stress is that special attention should be given in appointing the Vice-Chancellor of the University. A person who is going to retire, or who has exhausted his whole energy should not be appointed as the Vice-Chancellor, but only an educationist of great fame should be given this honour.

Coming to next point I want to draw the attention of the Minister that upto now all such Universities have been established in North India only. Government should take early steps to establish Central University in South India and Western India also. My friend Shri Hanumanthaiya has demanded that a Central University should be established either in Andhra Karnatak and Kerala. I suggest that his demand should be met by establishing a Central University in any of these States.

There has been a demand from the south that some Central University should be established in South India hear a Hindi College is working in the South in Hyderabad. It should be extended and be made a University. Government should give sufficient economic help so that it may develop. There are Universities where every student is spending 2 to 3 thousand rupees and there are others where one spends only less than 5 hundred only. I would also like to impress upon the Education Minister that rural culture should be given special consideration in the Universities. That is why I stress that this University should be established in some villages.

The student-teacher ratio in educational institutions are far from satisfactory. There is also some disparity in the student teacher ratio and

[Shri Sidheshwar Prasad]

also in the expenditure per student. This should be seriously looked after by the Government. Yet we point out that Shri Jawahar Lal had great fascination for the rural areas. This ideal should be always kept in the mind.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): This Jawahar Lal Nehru University Bill has come before the House much against the hope. There has absolutely been no change at all in this Bill. I feel the great necessity of reducing the expenditure of education suit for poor circumstances the Jawahar Lal Nehru University should have introduced some new approach in the field of education. It is sad to note that it is going on the old path. University should not follow the foot steps of other universities. University should try to raise the standard of education and poor people should get the opportunity to avail the chances of getting education. Shri Chagla has been praised for bringing basic changes in the field of education. But today we find a great unrest in the field of education, and Government want to express this unrest with the help of bayonet.

I was really disappointed to note that there is no mention in the Bill that this university will provide cheap education arrest the falling standards in education and will sympathetically the rest cause of student unrest. I am of this opinion that in a poor country like ours, a provision should have been made for giving special consideration to the education of poor students in this University. Greater attention should be paid to the technical education. We must not also ignore the medical education in the University.

Yet we also refer to the unparalled unrest that is now prevailing in the field of education. Government should find ways and means to solve the problems of the students. I also feel that to run University in the name of some personality is also very objectionable in my eyes. I will impress upon the Government to withdraw the Bill and new Bill should be brought which may very clearly show a new path in the field of education so that our new generation may have some future.

श्री मुथिया (तिरुनेलवली) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय आधुनिक भारत के निर्माता, बीसवीं शताब्दी में हमारे देश के उच्चतम राजनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के महानतम प्रचारक तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन, भारतीय एवं विदेशी संस्कृति की महानतम कड़ी जवाहरलाल नेहरू का एक उपयुक्त स्मारक होगा। इसे आरम्भ करने के लिए बहुत से कारण हैं। हमें उन लक्ष्यों और आदर्शों को आगे लाना है जो श्री जवाहरालाल को बहुत प्रिय थे। अन्तर्राष्ट्रीय सूझ बूझ, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका सब से बड़ा लक्ष्य था। धर्म निरपेक्षता और समाजवादी लोकतंत्र का तो वह अन्तिम दम तक प्रचार करते रहे ।

प्रथम अनुसूचीमें विश्वविद्यालय के अत्यन्त सराहनीय उद्देश्यों का उल्लेख है। लोकतंत्री समाजवाद का जो पंडित जी को इतना प्रिय था, संवर्धन भी उसके उद्देश्यों में समाविष्ट किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय का भारत एवं विश्व के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसमें सर्वोत्तम स्तर की शिक्षा देना एवं उन्नत अनुसंधान की व्यवस्था करने का विचार है। खंड 3 में यह उपबन्ध है कि उपकुलपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे तथा उनकी पुनः नियुक्ति

नहीं की जायेगी । यह बहुत कठोर है और इसे कुछ सरल बनाने की आवश्यकता है । यदि विश्वविद्यालय का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया तो बहुत ही दिशाओं में अनुसंधान का कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

खंड 16 के अन्तर्गत विद्यार्थियों के मामलों की परिषद् के, जिसमें अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के प्रतिनिध होंगे, गठन द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के कार्य को प्रोत्साहन देने का उपबन्ध है । मेरे विचार में यह एक संतोषजनक उपबन्ध है । इससे विद्यार्थियों की शिकायतों की ओर ध्यान दिया जा सकेगा और उन में असन्तोष तथा अनुशासनहीनता दूर करने के उपाय किये जायेंगे । इसी तरह खंड 33 है । इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के किसी भी संगठन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं रखा गया । मेरे विचार में यह व्यवस्था भी ठीक ही है । इससे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना की वृद्धि हो सकेगी । आज देश में अधिक आवश्यकता नैतिक शिक्षा की है और खंड 34 के अन्तर्गत उसकी व्यवस्था है ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I congratulate Shri Chagla for this Bill. Shri Jawahar Lal Nehru's field of activities were very vast, and it is difficult to have the full account of his achievements in a short time. He had given practical shape to the ideals reached by Greatmen of our country. He worked throughout his life for the international understanding and cooperation. Peaceful co-existence was the soul of his teaching. He preached the democratic way of life worked for secularism and national consciousness. I am glad that the Jawahar Lal Nehru University would promote the study of the principles for which he lived and died. The objective of the university is highly commendable.

I wish that the University should achieve the status and fame of the Nalanda and Taxila Universities. But I want to stress this point very strongly that no retired civil servant should be made the Vice-chancellor of the University. Some eminent educationalist of repute should be appointed as the Vice Chancellor. At the same time I would also impress that the medium of instruction in the University should be Hindi and other Indian regional languages. It is befitting for such a University to have national language as a medium of instruction.

We should also see that due attention is paid that the University should promote agricultural research. Military education should also be imparted and poor students should be given scholarships.

श्री प्रिय गुप्त (कतिहार): मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने । आज देश का स्तर ही और हो गया है और समाज के मूल्य बदल गये हैं । आज हम शक्ति के पुजारी बन कर रह गये हैं । आज हम शक्ति के अन्धे पुजारी बन कर रह गये हैं । संस्थाओं के प्रति हमें कोई प्रेम नहीं है । विद्वान का तो आज के समाज में कोई स्थान ही नहीं रहा है । मेरा मत है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का केन्द्र होता है, यहां पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत ने अनेक सन्त, ऋषि, शिक्षा शास्त्री तथा विद्वान पैदा किये हैं । प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उनमें से किसी एक के नाम पर रखा जाना चाहिए । इस विश्वविद्यालय का नाम एक राजनीतिक नेता के नाम पर रखना उचित नहीं है ।

प्रथम अनुसूची के अनुसार इस विश्वविद्यालय में अनेक उत्कृष्ट सिद्धांतों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा विचार है कि इस दिशा में कथनी और करनी में भारी अन्तर है और यह सब लोगों को धोखे में डालने के लिए है। इस विश्वविद्यालय की स्थिति भी लगभग वैसी ही होगी जैसी कि अन्य विश्वविद्यालयों की है। सरकार का इस विश्वविद्यालय पर 8 करोड़ रुपया खर्च करने का विचार है। मेरा विचार है कि यह अच्छा होता यदि उस धन राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरक्षरता दूर करने जैसे कुछ आधारभूत कार्यों के लिए खर्च किया जाता।

इसके इतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि विधेयक को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री को यह बताना चाहिए कि दृष्टिकोण के मामले में इस विश्वविद्यालय की विशेष स्थिति क्या होगी। क्या विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के सम्बन्धों के बारे में कोई नयी विचारधारा प्रस्तुत की जाएगी। आजकल विद्यार्थी आम कहने लगे हैं कि वे अपने मां बाप की विलासता की उत्पत्ति है। स्कूलों में अध्यापकों को इन लड़कों के मामले में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। बेचारे अल्प वेतन लेने वाले अध्यापक कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा वातावरण बन रहा है कि यह लड़के न घर के रह रहे हैं न घाट के। प्रयास किया जाना चाहिए कि इन लड़कों का इस प्रकार का दृष्टिकोण बदले।

आज प्रशासन में जो कुछ हो रहा है वह जवाहर लाल नेहरू की लोकतंत्रीय विचारधारा के अनुकूल नहीं है। अतः मेरा कहना है कि सरकार को विभिन्न टिप्पणों की ओर ध्यान देना चाहिए दूसरे पक्ष की राय को देखना भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उसे यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए और यह संपदा कहीं और खर्च करनी चाहिए।

Shri Sheo Narain (Bansi): I have listened to all the speeches delivered by the members. Everybody spare with some consideration or the other. No body had kept in mind the vital importance and aim of education in view. I congratulate Shri Chagla that he is going to establish the university on the name Jawahar al Nehru. I welcome the Bill. I think the proposed university will keep alive the name of one of our greatest leaders of this generations. The objectives which have been set before the University are very noble and laudable.

In this connection I would like to urge the authorities that the steps should be taken to enable the poor students in this University. It is hoped that the proposed University should earn the name of Nalanda and Taxila Universities. In this connection let we also point out that this is also very essential that some Central Universities may be established in the South. There is no such like university in that part of the country. We should also try to create the sources of discipline amongst the students. With these words I support the Bill

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): We are discussing this Bill in the atmosphere when teachers and the taught find themselves out of tract in the field of education. Both the students and the teachers are very badly discontented with their lots. The unrest among the students is being manifest in so many ways in the country. The situation is becoming explosive. This is really a very bad plight and a sad commentary on the performance of the Government. Government have almost failed in solving the educational problem of the country. If the Government had solved the educational problems, the situation would not have become so deplorable.

There is uncertainty everywhere today, and I feel this is the main cause of the unrest prevailing among the students. What we find today in the country that students are hankering after services after completing their education some or the other—they become frustrated when they fail to get any employment. Then they resort to strikes and take to violent means. Also they get sufficient leisure also to think and scheme in this direction. Ultimately he falls an easy prey to these agitations. We should see that some way is found out to solve the problems of these youngsters.

Teachers generally have to resort to agitations due to their meagre salaries. They also want their other legitimate grievances to be redressed. It is generally felt that this type of agitational approach also produce an adverse effect on the students they also begin to follow their elders. Frequent changes in the text books also cause great nuisance to the students.

What I want to stress upon the Government is to realize that this problem will not be solved by adopting the repressive methods. The educationists should be consulted in making the policy to tackle the problem of student unrest. The situation in our country wherein both the teachers and the taught resorted to strikes is not a happy one. At least Government should see that such conditions are not created that army teachers and the administrative may have to resort to the strikes.

Let me also urge that the medium of instruction in the proposed University should be Hindi. Universities with Hindi, as medium of instructions should be established in non-Hindi speaking areas. I welcome this provision that any institution can be affiliated to the proposed University is welcome. It will enable a number of institutions which will have any difficulty in securing affiliation, to get affiliated to the university.

श्री कन्डप्पन (त्रिरूचंगोड) : मैं इस बात से सहमत हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। परन्तु मेरे विचार में इसको देहाती क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री यह तर्क देंगे कि ऐसा विश्वविद्यालय केवल वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां पर उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हों।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय को दक्षिण में स्थापति करने के लिए कहा है। इस समय मद्रास में केवल तीन विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के बावजूद दक्षिण में अधिकाश संबंध विश्वविद्यालय हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह मदुरै विश्वविद्यालय को सहायता करें क्योंकि इस विश्वविद्यालय के पास न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के लिए भी धन नहीं है। इस विश्वविद्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के बारे में माननीय मंत्री को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय स्थानीय विश्वविद्यालय न होकर एक व्यापक विश्वविद्यालय है और भारत की सभी संस्थाओं को इसके साथ संबंध किया जा सकता है।

देश के अन्य कई प्रदेशों तथा क्षेत्रों से दिल्ली में शिक्षा अधिक है। इसलिये यदि इस विश्वविद्यालय को किसी अन्य क्षेत्र विशेषकर दक्षिण में जहां हिन्दी नहीं बोली जाती स्थापित किया जाये तो अच्छा है। दूसरी बात यह कि यदि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्चतम शिक्षा प्रदान करना है तो मैं कहूंगा कि इस की स्थापना के लिये दिल्ली उचित स्थान नहीं है।

[श्री कन्डप्पन]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री सहित अन्य बोलने वालों ने कहा है कि मद्रास में ऐसे कालेज हैं जिनमें हिन्दी में शिक्षा दी जाती है। मद्रास में ऐसा कोई कालेज नहीं है।

इस से पूर्व कि शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार किया जाये सरकार को भाषा का मूल प्रश्न हल करना चाहिए।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Had the Education been nationalised 18 years ago there would have been no difficulty and unrest amongst the students to-day. We should find ways and means to instal a sense of discipline and responsibility in the students. They should also be assured of getting employment after the completion of their studies. We cannot teach them discipline unless we assure them a bright future. A man with a dark and uncertain future cannot remain disciplined.

It is not a good practice to name the universities after the name of individuals. This thing has become out of date. A spirit of self-respect and nationalism should be installed in the minds of people.

श्री मु० क० चागला: मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के दार्शनिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय श्री नहेरू के सिद्धांतों के अध्ययन को प्रगति देने का प्रयत्न करेगा जिन के लिए उन्होंने समस्त जीवन कार्य किया था। ये सिद्धांत अब हमारे राष्ट्रीय दार्शनिक सिद्धांतों का एक भाग बन गये हैं। विश्वभारती अधिनियम के आधार पर ही यह विधेयक बनाया गया है। विश्वभारती विश्वविद्यालय गुरूदेव टैगोर के सिद्धांतों के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर ही नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

आज यदि हम किसी बात पर गर्व कर सकते हैं तो वह है हमारी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपक्षेता की निति का अर्थ है कि इस देश की सीमाओं के अन्दर सभी धर्म फल फूल सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस देश में वे व्यक्ति भी फल फूल सकते हैं जो किसी धर्म में भी विश्वास नहीं रखते। यह धर्मनिरपेक्षता की नीति मुझे विश्वास है कि हमारे देश का दार्शनिक सिद्धांत बन चुंकी है और श्री नेहरू ने सारा जीवन इसी सिद्धांत के लिये कार्य किया है।

हमने स्पष्ट अनुदेश जारी किये थे कि इस विश्वविद्यालय के लिये स्वेच्छा से दिया गया अंशदान ही लिया जायेगा किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की जायेगी। मुझे यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि लोगों को इस विश्वविद्यालय के लिए अंशदान देने पर बाध्य किया गया है। यदि ऐसा कोई मामला हुआ है तो वह हमारी जानकारी में नहीं है और ऐसा बिना हमारे परामर्श तथा अनुज्ञा किया गया है।

कुछ लोगों ने इस विश्वविद्यालय को देहाती क्षेत्र में स्थापित न करके दिल्ली में स्थापित करने पर अपति की है। इस का उत्तर बहुत साधारण है और वह यह कि यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय को सफलता मिले तो इसको वहीं स्थापति किया जा सकता है जहां पर सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हो। दिल्ली में पुस्तकालय, प्रयोगशालायें तथा अन्य संस्थाएं हैं जिन में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। इसलिए यदि इस विश्वविद्यालय को किसी

ग्राम में स्थापित किया जाता है तो इसकी स्थापना में निहित उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय को चलाने के जिम्मेदार इन सिद्धान्तों को विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने जाने वाले विभिन्न पाठयक्रमों में सम्मिलित करेंगे।

यदि हम यह चाहते हैं कि देश का भविष्य शिक्षित तथा योग्य व्यक्तियों के हाथों में जाये तो हमें ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी होंगी जहां पर शिक्षा मंहगी हो और जहां पर हमारे योग्य लड़के लड़कियां शिक्षा पा सकें।

यह विश्वविद्यालय केवल समृद्ध व्यक्तियों के बच्चों के लिये ही नहीं होगी बल्कि मुझे आशा है कि इसमें समूचे देश से योग्य बच्चे लिये जायेंगे चाहे वे निर्धन लोगों के बच्चे ही क्यों न हों। यहां सब वर्गों के योग्य बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जायेगा।

मैं महसूस करता हूं उत्तर में दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय हैं और सभी व्यवहारिक प्रयोजनों से विश्वभारती को भी उत्तर में ही कहा जा सकता है परन्तु दक्षिण में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। मुझे दक्षिण के लोगों की भावनाओं के साथ पूर्ण सहानूभूति है। मैं अब शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं रहा हूं इसलिये भविष्य के लिये कोई वचन नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा की जायेगी। खण्ड 2 से 7 में कोई संशोधन नहीं है। इसलिए इनको सभा के मत के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : यदि सदस्य इन खण्डों पर बोलना चाहें तो उनको अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 में 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

खण्ड 8

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मु० क० चागला : क्या मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर सकता हूं कि वह इन संशोधनों को वापिस ले लें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : आपकी अनुमति से मैं इन को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री हरिविष्णु कामत : सदन की अनुमति ली जानी चाहिए।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 और 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 5 and 6 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 9 से 25 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 से 25 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 9 to 25 were added to the Bill.

खण्ड 26

सभापति महोदय : इस खण्ड में एक संशोधन संख्या 7 है। क्या श्री विश्वनाथ पाण्डेय इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : नहीं मैं इस संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 26 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 26 was added to the Bill.

संशोधन किया गया।

Amendment made.

पृष्ठ 10, पंक्ति 32—

"1965" के स्थान पर "1966" रख दिया जाये। (3)

[श्री भक्त दर्शन]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 27 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया जाये ।

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The First Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 12 पंक्ति 15 में—

"1965" के स्थान पर "1966" रख दिया जाये । (4)

[श्री भक्त दर्शन]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में,—

'1965" के स्थान पर "1966" रख दिया जाये । (2)

[श्री भक्त दर्शन]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में,—

"Sixteen" ("सोलह") के स्थान पर "Seventeen" ("सत्रह") रख दिया जाये । (1)

[श्री भक्त दर्शन]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री मु० क० चागला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1966-67 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (1963-64) (रेलवे)

Demands for Supplementary grants 1966-67 and demands for excess grants 1963-64 (Railways)

सभापति महोदय : अब सभा वर्ष 1966-67 के लिए बजट (रेलवे) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांग, तथा मतदान और वर्ष 1963-64 के लिये बजट (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा चर्चा करेगी ।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : 20,000 रुपये की प्रभारित धन राशि की व्यवस्था इसलिये करनी है क्योंकि उत्तर रेलवे पर की गई एक अदालती डिग्री के भुगतान के संबंध में आकस्मिकता निधि से मार्च, 1966 में पेशगी के तौर पर निकाली गई उतनी ही धन राशि की पूर्ति करनी है । दूसरी मांग उत्तर-पूर्व रेलवे के सुपौल-भपतिहाई खण्ड के सम्बन्ध में है । कोसी नदी तथा अन्य धाराओं के निरन्तर मार्ग बदलने के कारण होने वाले विध्वंस के कारण 25-6 किलोमीटर मार्ग को 1937-38 में यातायात के लिये बन्द कर दिया गया था । पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के लोग इस लाइन को पुन: विछाने के लिये अभ्यावेदन दे रहे हैं । इस लाइन को पुन: बिछाने के लिये यह कारण दिया जा रहा है कि कोसी नदी पर बांध दिया गया है । इसलिये इस मार्ग को कोसी नदी में आने वाली बाढ़ से अब कोई खतरा नहीं है । 12·78 किलोमीटर के इस मार्ग को जिस पर 21·63 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है, चालू करने के लिये योजना आयोग की अनुमति ले ली गई है । निर्णय लेने का कार्य उन्होंने रेलवे मंत्रालय पर छोड़ दिया है । इस कार्य को चालू कार्य काल में आरम्भ करने का प्रस्ताव है । इस उद्देश्य हेतु योजना बना ली गई है ।

इसमें अधिक कहने को कुछ नहीं है यदि कोई प्रश्न उठाया गया तो मैं उत्तर दूंगा ।

सभापति महोदय : दो कटौती प्रस्तावों की सूचना दी गई थी परन्तु वे सम्बन्धित मांगों के बारे में नहीं है इसलिये वे नियम बाह्य हैं।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : यद्यपि ये मार्ग विशेष रूप से एक अथवा दो मदों के बारे में हैं, तथापि रेलवे मंत्रालय में इन को पर्याप्त मदों पर व्यय किया जायेगा। वास्तव में नई लाइनों के निर्माण, विद्युतकरण तथा अन्य मदों पर भी व्यय किया जायेगा।

हाल ही में कुछ रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटना के पश्चात सभा पटल पर रखी गई प्रत्येक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के कारण बताये गये हैं। किसी भी रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए मंत्री महोदय को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है परन्तु फिर भी कुछ लोग मंत्री महोदय को त्यागपत्र देने की मांग करते हैं। प्रतिवेदनों से पता लगेगा कि इन दुर्घटनाओं के जिम्मेदार वास्तव में सिगनल कार्य में लगे व्यक्ति ही होते हैं। इसलिये सम्बन्धित मंत्री के त्यागपत्र की मांग करना एक असंगत सी बात है। यदि किसी मंत्री के त्यागपत्र से भविष्य में दुर्घटना घटनी बन्द हो जायें तो मैं भी त्यागपत्र की मांग करूंगा। अतः इस सम्बन्ध में राजनैतिक उद्देश्य जोड़ना तथा बार बार मंत्री महोदय के त्यागपत्र की मांग करना उचित नहीं है।

हमें प्रशासनिक कुशलता के मामले में राजनीति को नहीं लाना चाहिए।

माननीय मंत्री ने इन दुर्घटनाओं के लिए तुरन्त और निष्ठा से जो उपाय किये हैं उसके लिए वह सभा से प्रोत्साहन तथा समर्थन के पात्र हैं।

मैंने सदा इस बात पर जोर दिया है कि रेलवे का व्यवस्थीकरण किया जाना चाहिए। यूरोप के देशों में एक ही प्रणाली है बड़ी लाइन अथवा छोटी लाइन। परन्तु हमारे देश में कई प्रकार की लाइनें बिछाई गई हैं। इससे रेलवे को अधिक कार्यकुशल तथा मितव्ययी बनाने में कठिनाई होती है। यद्यपि आरम्भ में बड़ी लाइनों पर अधिक खर्च होता है परन्तु अन्ततः बड़ी लाइन अधिक कार्यकुशल तथा मितव्ययी होती है। मैं सदा से यह कहता आ रहा हूं कि कन्याकुमारी से दिल्ली तक बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिए। हैदराबाद, बंगलौर तथा त्रिवेन्द्रम को आपस में मिलाया जाना चाहिए। सलेम से बंगलौर तक बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् रेलवे का भी पुनर्गठन करके इसको नये तरीकों से चलाया जाना चाहिए।

रेलवे मंत्री ने गुन्टाकल-बंगलौर लाइन के सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया है। वह बंगलौर सेलस तक बड़ी लाइन बिछाने का आदेश भी दे सकते हैं इस पर निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है। यदि ऐसा हो जाये, तो सेलम से दिल्ली तक बड़ी लाइन द्वारा यात्रा की जा सकती है। इस पर अधिक व्यय भी नहीं होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय महसूस करेंगे कि ऐसा करने से दक्षिण के तीनों राज्यों के लोग प्रसन्न हो जायेंगे।

श्री बीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान कर्मचारियों की दयनीय अवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि पूर्वी रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं की पूर्ति के पश्चात् बेरोजगार हो गये हैं। इन कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए कुछ समय पूर्व इस रेलवे में आन्दोलन भी हुए थे।

[श्री दिनेश भट्टाचार्य]

कलकत्ता में हड़ताल के पश्चात् रेलवे प्रशासन तथा कर्मचारियों में समझौता हो गया था जिसमें यह बताया गया था कि कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युतीकरण का कार्य चल रहा होगा, हस्तांतरित कर दिया जायेगा अथवा उनको नई लाइनें बिछाने के काम पर लगा दिया जायेगा। स्वयं रेलवे प्रशासन ने इस समझौते को सभी कर्मचारियों में बांटा था परन्तु बाद में उन्होंने इसका पालन नहीं किया। हमने डा० राम सुभग सिंह के साथ इस मामले पर बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी फालतू कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा। परन्तु 29 अक्तूबर, 1966 को कलकत्ता सैक्शन के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिए गये हैं। परन्तु अब अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के बारे में कुछ कठिनाइयों का प्रश्न उठा रहे हैं परन्तु जहां तक मैं जानता हूं इसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है। इन लोगों को राउरकेला-दुर्ग सैक्शन में हस्तान्तरित किया जा सकता है।

---

*आगरा में आय कर की अपीलें

Income-tax appeals in Agra

श्री र० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : मैं सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कि किस प्रकार ईमानदारी से आयकर देने वालों को परेशान करने तथा बेईमान व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। अतारांकित प्रश्न संख्या 1360 के संदर्भ में दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आगरा के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध न्यायाधिकरण को पेश की गई 39 अपीलों में से केवल दो अपीलें ही सफल हुईं। 93 प्रतिशत अपीलों के विफल होने के बावजूद भी विभाग ने सावधानी से काम नहीं लिया और पहले से भी चार गुना अपीलें न्यायाधिकरण के पास पेश की गई हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि आयकर अधिकारी मामले दर्ज किये जाने के तुरन्त बाद उन पर विचार नहीं करते। गतवर्ष अधिकांश मामलों को तब लिया गया जब कि उनके निर्धारण के लिए समय समाप्त होने वाला था। अधिकांश मामलों का निपटान जनवरी से मार्च में किया जाता है। परिणाम यह हुआ कि आयकर अधिकारियों ने कर-दाता को आप साक्षी न मिलने के कारण उसमें मनमानी वृद्धि कर दी।

गरीब करदाता को इस कारण बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब वह अपील करता है तो सहायक आयकर आयुक्त द्वारा उसको रद्द कर दिया जाता है और फिर न्यायाधिकरण को झूठी अपील करके करदाता को दण्ड दिलवाया जाता है। इस प्रकार ईमानदार करदाताओं को दण्ड दिया जाता है और बेईमान कर-दाताओं को लाभ पहुंचाया जाता है।

---

*आधे घण्टे की चर्चा

*Half-an hour discussion

यह ठीक है कि यह विभाग सरकार के लिए धन एकत्र करता है परन्तु ऐसा न्याय तथा उचित ढंग से किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लोगों में असंतोष फैल जायेगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि जो पन्द्रह मामले अपील में निपटाने के लिये पड़े थे उनमें से चार मामलों में एक वर्ष से अधिक समय से परिप्रेषण रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। कई मामलों में दो अथवा तीन वर्षों से इन रिपोर्टों की, प्रतीक्षा है। इसका कारण यह है कि आयकर अधिकारी समझते हैं कि जैसे ही ये रिपोर्टें आ जायेंगी अपीलों को स्वीकार कर लिया जायेगा। यह भी पता है कि एक मामले के रिकार्ड नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार ईमानदार करदाताओं के मार्ग में बाधायें खड़ी की जाती हैं।

प्रतिदान की स्थिति भी ऐसी ही है। प्रतिदान के मामलों पर बहुत कम निर्णय लिये जाते हैं। कई कई वर्षों तक प्रतिदान के मामलों का निपटान नहीं किया जाता। यदि सरकार यह चाहती है कि साधारण व्यक्ति अपने व्यवहार में इमानदारी बरते तो सरकार को भी अपने व्यवहार में ईमानदारी का उदाहरण स्थापित करना चाहिए। मुझे आशा है कि गलत प्रक्रियाओं को रोकने के लिए सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas): May I know whether there is any scheme under consideration to expedite the disposal of cases and whether it has also come to the notice of the Government that Income-tax remain at the place for years together? After creating influence in the area they indulge in private business.

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhour): How long this practice to assessing of income-tax arbitrarily by the Income-tax officers will continue?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I would refer the cases of Agra region, mentioned here by the hon. Member, to the Board for investigation. All the cases filed in the Agra region have been dismissed. There was only one case that two of the hon. Member which could not be decided in that day due to the fact that records were not available for few hours. In spite of all this, I would request the Board to investigate all the cases.

So far as the whole country is concerned, the picture is absolutely different than Agra. It is wrong to say that the departmental appeals are filed to harras the assessees. Out of the 2442 departmental appeals filed before the tribunal 794 appeals were successful i.e. more than 32 per cent. In 1964-65 it was 34 per cent in 1965-66 it was 29 per cent.

Assessment is made after taking into accounts full facts. Recommendation are made from the lower ranks and decision whether an appeal can be filed or not is given by the Commissioner. There are certain provisions in the Income-tax Act under which appeals can be filed. Assessees have the right to appeal.

So far as harrasment is concerned each tax-payee is given some concession. But the big and complicated cases are centralized. If several companies continue themselves then investigation is carried on from one company to another to see that no fact has been concealed.

[Shri B. R. Bhagat]

The hon. Member has also made a reference to delay in disposing of the cases. I would simply say that number of cases for assessment is increasing and the number of disposals is also increasing. But in the complicated cases where the assessees have the right to appeal, some delay do take place because it takes time to decide them. But on the whole the assessment work is good.

श्री शं० ना० चतुर्वदी : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 17 नवम्बर, 1966/27 कार्तिक, 1888 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 11th November, 1966/Kartika 27, 1888 (Saka).

GMGIPND---LS III---2362 (Ai) LS---17-5-67---600